



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032025-262044
CG-DL-E-28032025-262044

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 92]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2025/ चैत्र 5, 1947

No. 92]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2025/ CHAITRA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अंतिम जांच परिणाम
नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025
मामला सं.-एडी(ओआई) 05/2024

विषय: ईरान और कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'लीनियर अल्काइल बेंजीन' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/05/2024-डीजीटीआर

क. मामले की पृष्ठभूमि

- समय-समय पर संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण करने के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "एडी नियमावली" या "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने ईरान और कतर (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "लीनियर अल्काइल बेंजीन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु", "एलएबी" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया।

2. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर अधिसूचना संख्या 6/05/2024-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के माध्यम से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-। खंड-। में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं की कथित पाटन के होने, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई, जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच आरंभ करने से पहले वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
- ख. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-। खंड-। में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/05/2024-डीजीटीआर जारी की, जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ की गई।
- ग. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटनरोधी जांच आरंभ की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध से अवगत कराने तथा जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित रूप में तथा तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था।
- घ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदक द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई।
- ड. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र तथा प्रश्नावली की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें।
- च. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतर को परिचालित किए जाने के 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
- छ. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर इनपुट प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हितप्रश्नावली (जिसे आगे "ईआईक्यू" कहा गया है) भी जारी की।
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

 - i. ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी
 - ii. कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी

- झ. जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकारकार के रूप में पंजीकरण कराया है तथा प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं।
 - iii. कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी
 - iv. एसईईएफ लिमिटेड, कतर
 - v. ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी
 - vi. बनाम अल्काइन ट्रेडिंग एलएलसी
 - vii. क्लस्टर ट्रेडिंग एलएलसी
 - viii. एर्बियम ट्रेडिंग एलएलसी

ix. सुरक्षित रसायन FZE

x. विसोटुन पेट्रोकेमिकल कंपनी

झ. ईरान की एक उत्पादक कंपनी विसोटुन पेट्रोकेमिकल कंपनी ने एक पत्र दायर कर स्पष्ट किया कि जांच अवधि के दौरान उन्होंने भारत को कोई निर्यात नहीं किया।

ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी।

xi. ए.आर. स्टैचेम प्राइवेट लिमिटेड

xii. ए.आर. सल्फोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड

xiii. अब्दोस कंज्यूमर केयर लिमिटेड

xiv. एडवांस सर्फेक्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम

xv. आनंद केमिकल्स

xvi. बार्कुर सर्फेक्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड

xvii. भारती सोप वर्क्स

xviii. भास्कर वेंकटेश प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड

xix. साइमोस प्रोडक्ट्स

xx. देवी फसल विज्ञान प्रा.लि. लिमिटेड लिमिटेड

xxi. फैशन सूटिंग (पी) लिमिटेड

xxii. फेना प्राइवेट लिमिटेड

xxiii. फ्लोरा प्रयोगशालाएँ

xxiv. हरि राम लिमिटेड मुफ्त Mp3 डाउनलोड

xxv. हिपोलिन लिमिटेड

xxvi. हाई-टेक इंडिया

xxvii. इसरो उत्पाद

xxviii. किशोर संस डिटर्ज्यूट्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड

xxix. xix लिंगम केमिकल इंडस्ट्रीज

xxx. मैन केमिकल्स

xxxi. मुथुकानी इंडस्ट्रीज

xxxii. नेशनल सोप्स कंपनी

xxxiii. न्यू इंडिया डिटर्ज्यूट्स लिमिटेड

xxxiv. आर्किड केमिकल्स

xxxv. पावर सोप्स लिमिटेड.

xxxvi. xvi. प्रभु सोप वर्क्स

xxxvii. रेसमी उत्पाद

xxxviii. राजा केमिकल वर्क्स

xxxix. राजाराम ग्रूप ऑफ इंडस्ट्रीज

xl. किंगडम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड

xli. सबरी डिटर्जेंट

xlii. सैसी केम

xliii. शक्ति ट्रेडर्स

xliv. शांति नाथ डिटर्ज्यूट्स (पी) लिमिटेड

xlv. श्री यूनिकॉन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

xlii. श्री पुष्पम इंडस्ट्रीज

xlvii. शिवा सोप वर्क्स

xlviii. श्रीराम भारत केमिकल्स एंड डिटर्ज्यूट्स (पी) लिमिटेड

xlix. xxxix शुनमुगा इंडस्ट्रीज

i. स्किल डाइकेम

ii. श्री मनकुला विनायगा केमिकल्स

iii. स्टैंडइर्स सर्फेक्टेंट्स लिमिटेड
 iv. सिल्वर केमिकल्स
 iv. एस. कुमार्स डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
 iv. एक्सएलवी. एस.एस. एंटरप्राइजेज
 vi. वरदान डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड

ट. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है:

lvii. साईं फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 lviii. ए.आर. सल्फोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 lix. लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स एंड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड
 lix. केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड

ठ. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

lx. साईं फर्टिलाइजर्स एंड फॉस्फेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 lxii. ए.आर. सल्फोनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
 lxiii. लक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स एंड एक्सपोर्टर्स लिमिटेड
 lxiv. केएलजे रिसोर्सेज लिमिटेड

ड. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं/आयातक संघों ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है:

lxv. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड होमकेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ("एआईएफएसडीएचपीएम")
 lxvi. बंगाल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन

ढ. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

ण. डीजी सिस्टम और डीजीसीआईएंडएस से क्षति की जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी द्वारा इसे प्राप्त किया गया और जांच की शुरूआत के चरण के साथ-साथ वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए भी इस पर अनुरोध किया गया।

त. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए सूचना पत्रों के परिचालन की तारीख से 15 दिनों का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी या अनुरोध प्राप्त नहीं हुए। इसलिए, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/05/2024 दिनांक 3 जून, 2024 के माध्यम से पीयूसी के दायरे को अधिसूचित किया और यह भी अधिसूचित किया कि कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई गई।

थ. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 12 नवंबर, 2024 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में संबद्ध जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने अनुरोध प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर अनुरोध दें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।

द. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण भारत में संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन की लागत और लगाई गई पूँजी पर उचित प्रतिफल के आधार पर किया गया है, जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए अभिलेख पर आधारित है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ध. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन आवश्यक मानी गई सीमा तक मौके पर जांच की गई और उसका सत्यापन किया गया तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए उस पर विश्वास किया गया है।

न. संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और सत्यापन भी जहां तक आवश्यक समझा गया, किया गया तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के उद्देश्य से उस पर विश्वास किया गया है।

प. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपसी आधार पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर व्यापार नोटिस संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल, 2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोध गोपनीयता के ऐसे दावों की पर्यासिता के संबंध में जांच की गई थी।

फ. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है, जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य थे और वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।

ब. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है, या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में बहुत अधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

भ. नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्य ज्ञात हितबद्ध पक्षों को दिनांक 13 मार्च, 2025 के प्रकटीकरण विवरण के माध्यम से प्रकट किए गए थे और उन पर प्राप्त टिप्पणियां, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया, इन अंतिम निष्कर्षों में संबोधित की गई हैं।

म. अंतिम जांच परिणामों में ‘***’ किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को दर्शाता है तथा नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

य. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमेरिकी डॉलर= 83.21 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था-

“3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद “लिनियर एल्काइल बेंजीन” है। इसे आम तौर पर वाणिज्यिक भाषा में लिनियर एल्काइल बेंजीन या एलएबी के रूप में जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित एल्काइल बेंजीन शामिल हैं, और विशेष रूप से मिश्रित एल्काइल नेफ्थलीन को बाहर रखा गया है।

4. एलएबी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र सी6एच5सीएनएच2एन+1 है। आमतौर पर, 'एन 10 से 16 के बीच होता है। यह एक रंगहीन और बिना पानी वाला तरल है, और पानी में थोड़ा घुलनशील है। इसे एक ज्वलनशील रासायनिक उत्पाद माना जाता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एलएबी कार्बन परमाणुओं की एकल श्रृंखला से जुड़ी एक बेंजीन रिंग से बने पदार्थों का मिश्रण है। इस प्रकार, विभिन्न आइसोमर्स संभव हैं क्योंकि बेंजीन रिंग टर्मिनल कार्बन को छोड़कर एल्काइल श्रृंखला के सभी कार्बन पर स्थित हो सकती है।”

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए। हालांकि, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि ईरान से आयातित उत्पाद एक अलग वस्तु थी क्योंकि इसका आणविक भार अधिक था और भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों की तुलना में इसकी गुणवत्ता निम्न थी।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उच्च आणविक भार के एलएबी का उत्पादन करते हैं।
- iii. भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित उत्पाद तकनीकी और व्यावसायिक रूप से आयातित उत्पाद के साथ विनिमेय है और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उत्पादों के बीच कोई अंतर है।
- iv. वर्तमान मामले के तथ्यों में किसी पीसीएन पद्धति की आवश्यकता नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. प्राधिकारी ने उपर्युक्त अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच की है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी करने का अवसर सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी नहीं की। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान प्रकटन विवरण के उद्देश्य से, जांच की शुरुआत संबंधी नोटिस में यथा-परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के उसी दायरे पर विचार किया है। विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद "लिनियर एल्काइल बेंजीन" है। इसे आम तौर पर वाणिज्यिक भाषा में लिनियर एल्काइल बेंजीन या एलएबी के रूप में जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित एल्काइल बेंजीन शामिल हैं, और विशेष रूप से मिश्रित एल्काइल नेफ्रथलीन को बाहर रखा गया है।"

4. एलएबी एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र सी6एच5सीएनएच2एन+1 है। आमतौर पर, 'एन 10 से 16 के बीच होता है। यह एक रंगहीन और बिना पानी वाला तरल है, और पानी में थोड़ा घुलनशील है। इसे एक ज्वलनशील रासायनिक उत्पाद माना जाता है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एलएबी कार्बन परमाणुओं की एकल शृंखला से जुड़ी एक बेंजीन रिंग से बने पदार्थों का मिश्रण है। इस प्रकार, विभिन्न आइसोमर्स संभव हैं क्योंकि बेंजीन रिंग टर्मिनल कार्बन को छोड़कर एल्काइल शृंखला के सभी कार्बन पर स्थित हो सकती है।"
8. संबद्ध वस्तुओं को सीमा प्रशुल्क अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 38 के अंतर्गत समर्पित प्रशुल्क कोड 3817 00 11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से उपर्युक्त प्रशुल्क कोड पर विचार किया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई कि वे प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन के 15 दिनों के भीतर पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि पीसीएन पद्धति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन पद्धति पर अनुरोध नहीं किया है।
10. कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि ईरान से आयातित उत्पाद अपने उच्च आणविक भार के कारण भारत सरकार के गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने तर्क दिया कि टीएनपीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उच्च आणविक भार के एलएबी का उत्पादन करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर अपनी टिप्पणियों में हितबद्ध पक्षकारों ने आणविक भार के आधार पर उत्पाद विभेदीकरण की आवश्यकता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया। उसी के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पीसीएन पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं थी। मौखिक सुनवाई के चरण में ही हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि आणविक भार के आधार पर उत्पाद के विभिन्न ग्रेड हैं। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध में स्पष्ट किया है कि घरेलू उत्पादकों ने उच्च आणविक भार वाले एलएबी का भी उत्पादन किया है। मामले की जांच की गई है, और यह नोट किया गया है कि विदेशी उत्पादकों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि उच्च आणविक भार वाले उत्पाद में घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद के साथ तुलनीय विशेषताएं नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि आयातित और घरेलू उत्पाद का उपभोग एक ही उपयोग के लिए किया जाता है और वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य हैं और उनका आपस में अदला-बदली की गई थी, जिसका विदेशी उत्पादकों ने खंडन नहीं किया है। पूर्वोक्त को देखते हुए,

प्राधिकारी इस तर्क में कोई आधार नहीं देखते हैं कि ईरान से आयात किए उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद से तुलनीय नहीं हैं।

11. अभिलेख में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी इस बात का खंड नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित वस्तुओं से तुलनीय हैं। इसको देखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

12. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- संबद्ध वस्तुओं के दो प्रमुख उत्पादकों नामतः इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पिछली जांचों में डेटा उपलब्ध कराने के बावजूद संबद्ध जाँच का न तो समर्थन किया है और न ही उसमें भाग लिया है।
- आवेदकों का भारतीय उद्योग का बड़ा हिस्सा नहीं है क्योंकि वे कुल भारतीय उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा नहीं हैं।
- आवेदकों का उत्पादन बहुत कम है, निरमा अपनी क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैप्टिव खपत के लिए उपयोग करती है। व्यापार उपचारात्मक जाँचों के लिए परिचालन कार्यपद्धति मैनुअल में यह स्वीकार किया गया है कि भाग न लेने वाले उत्पादकों से सूचना माँगी जानी चाहिए, खासकर जहाँ किसी प्रमुख उत्पादक ने विस्तृत सूचना नहीं दी है।
- रिलायंस इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का देशव्यापी उत्पादन और विक्री है, और इस प्रकार वे संबद्ध आयातों से प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा के बेहतर मामला अध्ययन प्रदान करते हैं।
- क्षति विश्लेषण में ऐसे उत्पादकों को शामिल न करने से वर्तमान जाँच में विश्लेषण गलत हो जाएगा।
- पीवीसी सर्वेंशन रेजिन और प्लेन मीडियम डेसिटी फाइबर बोर्ड जैसे पिछले मामलों में, प्राधिकारी ने जाँच के लिए प्रमुख उत्पादकों से डेटा मांगा था। वर्तमान मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
- अन्य प्रमुख उत्पादकों के भाग न लेने के संबंध में प्राधिकारी के विभिन्न पिछले जांच परिणामों पर घरेलू उद्योग की निर्भरता गलत है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

13. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदन निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य घरेलू उत्पादक हैं, यानी इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने संबद्ध जाँच का विरोध नहीं किया है।
- आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में पाठित की गई वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं हैं।
- आवेदकों की उत्पादन मात्रा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की व्यक्तिगत क्षमता से अधिक है।
- आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है और कारण से वे नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत 'घरेलू उद्योग' हैं।

v. कई जांचों विशेषकर **लुब्रिजोल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2005 (187) ई.एल.टी. 402 (द्राई-डेल.)]** पर विश्वास किया गया था जिसमें सेस्टैट ने यह माना कि यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का 50% से अधिक हो। भारतीय उत्पादन का 31% हिस्सा बनाने वाले आवेदक भी नियम 2(ख) के तात्पर्य से प्रमुख अनुपात बनते हैं।

vi. नियम 2(ख) के अनुसार पूरे भारतीय उद्योग को प्राधिकारी के समक्ष आवेदक होने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक किसी विशिष्ट उत्पादक को जांच में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। एक से अधिक प्रमुख अनुपात हो सकते हैं, लेकिन आवेदकों को उनमें से एक होना चाहिए, जैसा कि अर्जेंटीना - पोल्ट्री में डब्ल्यूटीओ द्वारा माना गया है और विभिन्न मामलों में प्राधिकारी द्वारा इसका पालन किया गया है। ऐसी आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरी कर ली गई है।

vii. प्राधिकारी ने कई जांचों में यह निर्धारित किया है कि कुल भारतीय उत्पादन का 30-35% हिस्सा बनाने वाले आवेदक घरेलू उद्योग होने के लिए पात्र हैं।

viii. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वित्तीय प्रदर्शन और पिछली जांच में उनकी भागीदारी संबद्ध जांच में संगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारी को केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना का विश्लेषण करके घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करने की आवश्यकता है और देश में प्रत्येक घरेलू उत्पादक के प्रदर्शन की जांच करने के लिए वह बाध्य नहीं है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के नियांतकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

15. यह आवेदन निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी नियांतक या आयातक से संबंधित नहीं हैं। इसे देखते हुए, प्राधिकारी पाते हैं कि यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत घरेलू उद्योग के रूप में माना जाने के लिए पात्र हैं। संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं, नामतः इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। संबद्ध वस्तुओं के प्रत्येक उत्पादक का उत्पादन नीचे दिया गया है।

पक्षकार	उत्पादन	उत्पादन में हिस्सा
आवेदक	***	43%
अन्य घरेलू उत्पादक	***	57%
कुल	***	100%

16. हितबद्ध पक्षकारों ने इस बात पर बल दिया है कि जांच में भाग नहीं लेने वाले अन्य घरेलू उत्पादकों से भी सूचना मांगी जानी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों का कुल भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 40% से अधिक है, जो काफी अधिक है। ऐसी कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है कि आवेदकों को कुल भारतीय उत्पादन का कम से कम 50% हिस्सा बनाना होगा। जैसा कि अर्जेंटीना - ब्राजील से पोल्ट्री पर निश्चित पाटनरोधी शुल्क में पैनल द्वारा नोट किया गया है, “एक प्रमुख अनुपात” का संदर्भ यह सुझाव देता है कि “घरेलू उद्योग” को परिभाषित करने के उद्देश्य से एक से अधिक “प्रमुख अनुपात” हो सकते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि प्राधिकारी को केवल इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या

आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्राधिकारी या घरेलू उद्योग किसी पक्षकार को जांच में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

17. इसके अलावा, भारत से ईसी - कॉटन-टाइप बेड लिनन में डब्ल्यू.टी.ओ. पैनल की रिपोर्ट में यह पाया गया कि घरेलू उत्पादकों से संबंधित सूचना, जो घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर है, घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करने के लिए संगत नहीं है।

“6.182 हालांकि, भारत के दावे के दूसरे पहलू के संबंध में हमारा निष्कर्ष अलग है। जैसा कि हमने उल्लेख किया है, क्षति का निर्धारण जांच अधिकारियों द्वारा परिभाषित घरेलू उद्योग के लिए किया जाना है, इस मामले में 35 उत्पादक यूरोपीय समुदायों द्वारा परिभाषित “सामुदायिक उद्योग” को शामिल करते हैं। हमारे अनुरोध में, घरेलू उद्योग के भीतर नहीं आने वाली कंपनियों से संबंधित सूचना अनुच्छेद 3.4 के तहत आवश्यक “उद्योग की स्थिति” को प्रभावित करने वाले संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों के मूल्यांकन के लिए असंगत है। यह तब भी सच है, जब वे कंपनियां वर्तमान में या अतीत में समान उत्पाद, बेड लिनन का उत्पादन कर सकती हैं। घरेलू उद्योग के बाहर की कंपनियों के लिए अनुच्छेद 3.4 कारकों से संबंधित सूचना घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के बारे में निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं प्रदान करते हैं। यदि अन्य वर्तमान या पूर्व बेड लिनन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाता, तो यह तथ्य कि उनमें से कुछ व्यवसाय से बाहर हो गए, घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए संगत होगा। लेकिन यह देखते हुए कि यूरोपीय समुदाय ने घरेलू उद्योग को बेड लिनन के 35 उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है, अन्य कंपनियों से संबंधित सूचना, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 के तहत “उद्योग की स्थिति” पर असर डालने वाले कारकों और सूचकांकों के मूल्यांकन की सूचना नहीं देती है, और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों के प्रभाव के बारे में जांच परिणामों के आधार के रूप में काम नहीं कर सकती है।”

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड आवेदक न हों, लेकिन यह प्राधिकारी को यह जांच करने से नहीं रोकता कि उसके समक्ष आने वाले आवेदक, जो कि एक बड़ा हिस्सा हैं, को क्षति हुई है या नहीं।

19. उपर्युक्त को देखते हुए, यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं। इसके अलावा, यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव है कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

20. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- घरेलू उद्योग ने अन्य भारतीय उत्पादकों की उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन की मात्रा और मूल्य के विवरण के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- घरेलू उद्योग ने ब्याज और वित्त लागत तथा कुल पीबीआईटी निवल निर्यात कीमत की गणना के लिए किए गए समायोजन के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- आवेदक दावा की गई ऐसी गोपनीयता के लिए उचित कारण दिखाने में विफल रहे हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

21. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलनीयता के लिए सभी समायोजनों के बारे में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है।
- उत्पादकों/निर्यातकों ने व्यापक चरण-वार उत्पादन प्रक्रिया और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और विक्री में लगे संबंधित पक्षकारों के नामों के बारे में गोपनीयता का दावा करके व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन किया है। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना को भी गोपनीय बताया गया है। उत्पादक, एसईईएफ ने संबंधित पक्षकारों से कड़े माल की खरीद के बारे में गोपनीयता का दावा किया है, भले ही यह तत्कालीन कतर पेट्रोलियम (एसईईएफ की होल्डिंग कंपनी) की वार्षिक रिपोर्ट 2018 में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

- iii. सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी को भी गोपनीय बताया गया है। निर्माता, एसईईएफ ने संबंधित पक्षों से कच्चे माल की खरीद के बारे में गोपनीयता का दावा किया है, भले ही यह जानकारी तत्कालीन करतर पेट्रोलियम (एसईईएफ की होल्डिंग कंपनी) की वार्षिक रिपोर्ट 2018 में सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।
- iv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता पर अपने अनुरोध समय सीमा समाप्त होने के दो महीने से अधिक समय बाद प्रस्तुत किए हैं, जिससे उनके अनुरोध समय-बाधित हो गए हैं।
- v. घरेलू उद्योग ने अपने द्वारा दावा की गई गोपनीयता को उचित ठहराया है।
- vi. पक्षकारों के दावे के विपरीत, आवेदन में उत्पादन प्रक्रिया पर विवरण प्रदान किया गया है।
- vii. अन्य घरेलू उत्पादकों की वास्तविक सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल दो अन्य उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने कुल भारतीय उत्पादन का व्यौरा प्रदान किया है।
- viii. व्याज लागत और प्रति यूनिट पीबीआईटी को अनुक्रमित सूचना के रूप में प्रदान किया गया है।
- ix. आवेदकों को निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए किए गए समायोजन के संबंध में साक्ष्य को प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, क्योंकि इसे तीसरे पक्षकार से प्राप्त किया गया था।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

23. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

24. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना मानी गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. ईरान के आयातों की गुणवत्ता भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है क्योंकि ईरान के उत्पादकों के पास जांच अवधि के दौरान बीआईएस लाइसेंस नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के अंत में ईरान से कोई आयात नहीं हुआ। इसके बाद, कतर और ईरान सहित केवल 7 निर्माताओं को बीआईएस द्वारा प्रमाणित किया गया।

ii. उसी उत्पाद की पिछली जांच में, प्राधिकारी ने नोट किया था कि सऊदी अरब के लिए क्षति मार्जिन जांच की शुरुआत के चरण में ही नकारात्मक था, और इस प्रकार, सऊदी अरब को बाहर रखा गया। हालांकि, वर्तमान मामले में जांच के चरण में ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया गया।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

26. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं।

- दोनों संबद्ध देशों के उत्पादकों को एलएबी के संबंध में बीआईएस लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। ईरान के उत्पादकों को भी जांच की अवधि के बाद बीआईएस लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
- चूंकि एलएबी खुदरा स्तर पर नहीं बेचा जाता है, इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोस्प्स, डिटर्जेंट्स एंड होमकेयर प्रोडक्ट्स मैन्यूफैक्चरर्स के पास नियम 6(5) के अनुसार जांच में भाग लेने का कोई आधार नहीं है।
- जैसा कि एटीएमए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टैट ने माना है, हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लेने के इच्छुक किसी भी संघ को व्यापार नोटिस फा. संख्या 14/44/2016-डीजीएडी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी साख स्थापित करनी होगी। भाग लेने वाले प्रयोक्ता संघ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।
- चूंकि घरेलू उद्योग ने सऊदी अरब या थाईलैंड को संबद्ध देशों के रूप में शामिल करने का अनुरोध नहीं किया है, इसलिए ऐसे देशों को शामिल करने या बाहर करने के संबंध में कोई टिप्पणी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

27. घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में, प्रयोक्ताओं की भागीदारी के संबंध में; प्राधिकारी नोट करते हैं कि संघों के सदस्य विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने उनके द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार किया है।

28. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के संबंध में, प्राधिकारी ने सऊदी अरब के लिए क्षति मार्जिन के संबंध में जांच की शुरुआत के चरण में निर्धारण नहीं किया, जैसा कि पिछले मामले में किया गया था, यह नोट किया जाता है कि पिछली जांच में, घरेलू उद्योग ने ईरान, कतर, चीन और सऊदी अरब से आयात के विरुद्ध आवेदन दायर किया था। चूंकि प्राधिकारी ने पाया कि सऊदी अरब से आयात के लिए क्षति मार्जिन नकारात्मक था, इसलिए प्राधिकारी ने ऐसे आयातों के विरुद्ध जांच की शुरुआत न करने का निर्णय लिया और जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में इस आशय की टिप्पणी की। हालांकि, वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने सऊदी अरब से आयात के संबंध में कोई आवेदन दायर नहीं किया है। इसके अलावा, संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से पाठन और क्षतिकारी आयात के कोई आरोप नहीं थे। तदनुसार, सऊदी अरब से क्षति मार्जिन के संबंध में निर्धारण करने और टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाठन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाठन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदकों ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री कीमत, तीसरे देशों को निर्यात की कीमतें और संबद्ध देशों में उत्पादन की लागत निर्धारित करने के अपने प्रयासों का विवरण नहीं दिया है।
- कतर में घरेलू बिक्री, सामान्य व्यापार के दौरान भारत को निर्यात के 5% से अधिक है और इस प्रकार, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए इस पर अनुरोध किया जाना चाहिए।
- ईरान के मूल के संबद्ध वस्तुओं को डीजी सिस्टम डेटा में यूएई के मूल के वस्तु के रूप में माना गया है। ऐसे आयातों को ईरान के मूल का माना जाना चाहिए, जैसा कि उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है।
- ईयू - बायोडीजिल और यूक्रेन - अमोनियम नाइट्रेट में अपीलीय निकाय के निर्णय के आलोक में, आवेदकों ने मूल देश ईरान के बजाय आवेदकों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करने में चूक की।
- आवेदकों की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना करना अनुचित है क्योंकि आवेदकों के पास ऊर्ध्वाधिर एकीकरण नहीं है और इस प्रकार, उन्हें उच्च लागत उठानी पड़ती है।

- vi. ईरान के लिए सामान्य मूल्य की गणना प्रतिक्रियाओं में दी गई घरेलू बिक्री के आधार पर की जा सकती है।
- vii. घरेलू उद्योग यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य देने में विफल रहा है कि एसईईएफ द्वारा अपने सहयोगियों से इनपुट की खरीद आम्स लेंथ कीमतों पर नहीं की गई थी।
- viii. जैसा कि पहले ही प्रतिक्रिया में दिखाया गया है, निर्यातकों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित कीमतों के अनुरूप, आम्स लेंथ कीमतों पर सहयोगियों से इनपुट खरीदे हैं। ऐसी कीमतों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
- ix. विशेष बाजार स्थिति का तर्क देर से दिया गया है, क्योंकि जांच के एक उन्नत चरण में इसे बनाया गया है। इस स्तर पर इस तरह के तर्क को अनुमति देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। इसके अलावा, ऐसी विशेष बाजार स्थिति का कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
- x. आवेदकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस प्रकार मात्र सरकारी स्वामित्व का अस्तित्व या सरकारी स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ता द्वारा फीडस्टॉक की आपूर्ति से विशेष बाजार स्थिति उत्पन्न होगी, या किस प्रकार ऐसी विशेष बाजार स्थिति उचित तुलना को रोकेगी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया-कॉपी पेपर में पैनल रिपोर्ट द्वारा अपेक्षित है।
- xi. निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए किए गए समायोजनों का साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- xii. आवेदक अपने इस दावे को प्रमाणित करने में विफल रहे कि संबद्ध देशों के निर्यातिक बीजक के बाद छूट में लगे हुए हैं।
- xiii. घरेलू उद्योग के दावों के विपरीत, मुंतजात इंडिया विचाराधीन उत्पाद के लिए बिक्री चैनल में शामिल नहीं है।
- xiv. पाटन और क्षति मार्जिन सहयोगी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर आधारित होना चाहिए।
- xv. आवेदकों ने तिमाही आधार पर पाटन और क्षति मार्जिन का दावा किया है, उन्होंने तिमाही आधार पर क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए लागत और कीमत के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं कराया है।
- xvi. निर्यात न करने वाले उत्पादक द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। यह टिप्पणी की कि विसोटुन पेट्रोकेमिकल ने जांच अवधि में भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निर्यात नहीं किया है, जांच परिणाम में दर्ज किया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

- 30. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि कच्चे माल की कीमतों के साथ-साथ आयात कीमतों और मात्रा में भी महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव होता रहता है, जैसा कि प्राधिकारी की विगत में कार्य-पद्धति रही है।
 - ii. जांच की अवधि में संबद्ध आयात कीमतों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण भारित औसत निर्यात कीमत बाजार में प्रचलित वास्तविक कीमतों से काफी भिन्न होगा।
 - iii. घरेलू उद्योग ने अपनी सूचना तिमाही आधार पर प्रदान की है और याचिका में प्रदान किया गया पाटन और क्षति मार्जिन भी तिमाही आधार पर था।
 - iv. जांच की अवधि के दौरान कीमतों और लागतों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के कारण प्राधिकारी ने कई जांचों में तिमाही या मासिक विशेषण किया है।
 - v. केवल औसत के आधार पर आयातों की तुलना करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है, और बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, तुलना तिमाही या मासिक हो सकती है।
 - vi. प्राधिकारी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर सकते हैं, और यदि वह सही पाई जाती है, तो उसका उपयोग निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए किया जा सकता है।
 - vii. जांच की शुरुआत करने के लिए, आवेदकों को केवल प्राधिकारी की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि के लिए सूचना देने की आवश्यकता होती है, जैसा कि एटीएमए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में सेस्टेट द्वारा माना गया है। इस प्रकार, आवेदकों ने पाटन मार्जिन की गणना के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना प्रस्तुत की।

viii. भारित औसत निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के साथ-साथ जांच की अवधि के लिए भारित औसत पहुंच कीमत की धर्ति रहित कीमत के साथ तुलना, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.4 के अनुसार उचित तुलना नहीं होगी।

ix. एलएबी की कीमतों और कच्चे माल की कीमतों के संबंध में संबद्ध देशों में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है।

x. कतर के बाजार में एलएबी और इसके फीडस्टॉक के राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य नियंत्रित आपूर्तिकर्ताओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसने बाजार में एलएबी और फीडस्टॉक की कीमतों को विकृत कर दिया है।

xi. कतर से एलएबी का एकमात्र प्रतिवादी उत्पादक कतर एनर्जी, एक सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक निगम का स्वामित्व और नियंत्रण है। इसके अलावा, ऐसे उत्पादक ने कतर एनर्जी से फीडस्टॉक खरीदा है, जो बाजार में सरकार की उपस्थिति को दर्शाता है।

xii. संबद्ध देशों के प्रतिवादी उत्पादकों ने अपने संबद्ध पक्षकारों से भी प्रमुख इनपुट खरीदे हैं और इस प्रकार, जब तक कि उत्पादक यह सिद्ध नहीं कर सकते कि खरीद आम्ल लेंथ पर की गई थी, ऐसे उत्पादकों की उत्पादन लागत को ऐसे इनपुट के बाजार कीमतों के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।

xiii. भारत में स्थित एसईईएफ और मुंतजात की एक संबद्ध इकाई मुंतजात इंडिया लिमिटेड की भूमिका की जांच करने की आवश्यकता है। यदि इकाई एलएबी की बिक्री या विपणन में शामिल है, तो निर्यात कीमत को ऐसी गतिविधियों के संबंध में समायोजित किया जाना चाहिए।

xiv. कतर के प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने एलएबी के उत्पादन या बिक्री, उत्पादन प्रक्रिया, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के लिए दावा किए गए समायोजन और प्रमुख कच्चे माल की खरीद से संबंधित सूचना में लगे संबंधित पक्षकारों के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

xv. कतर के भीतर बिक्री की मात्रा घरेलू उद्योग द्वारा किसी विशेष बाजार स्थिति के दावे का आधार नहीं बनती है।

xvi. सरकारी मूल्य विनियमन के कारण इनपुट कीमतों में विकृति से उत्पादन की लागत और घरेलू कीमत में विकृति आती है, लेकिन निर्यात कीमतों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो वैश्विक उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं। इस प्रकार, इनपुट कीमतों में विकृति घरेलू और निर्यात कीमत की उचित तुलना को रोकती है।

xvii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, प्राधिकारी इस देश में उत्पादन की लागत को दर्शाने के लिए उसका उचित रूप से समायोजन करने के बाद उत्पादन की लागत का निर्धारण करने हुत देश के बाहर की कीमतों पर विचार कर सकते हैं, जैसा कि ईयू-बायोडीजल में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय द्वारा देखा गया है।

xviii. ईरान में किसी विशेष बाजार स्थिति का दावा केवल कम घरेलू बिक्री पर आधारित नहीं है, बल्कि कीमतों और इनपुट की कीमत को प्रभावित करने वाले कारकों पर आधारित है।

xix. कानून किसी विशेष बाजार स्थिति के होने का आरोप लगाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। किसी भी मामले में, घरेलू उद्योग सुनवाई के दौरान आरोप लगाता है, जिससे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने उत्तर प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

xx. ईरान के निर्यातक विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों के समक्ष विपरीत रुख अपना रहे हैं, उन्होंने ईरान के मूल की वस्तु को यूएई के मूल की वस्तु घोषित किया है, जो प्रस्तुत की गई सूचना की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

xxi. बीजक के बाद छूट के संबंध में उत्तर देने वाले निर्यातकों की निर्यात कीमतों को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, निर्यातकों के बिक्री दस्तावेजों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

xxii. प्राधिकारी को प्रत्येक निर्यातक का नाम दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है जिसने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है। निर्यातक बाद में एक नई शिपर समीक्षा दायर कर सकता है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. धारा 9क(1)(ग) के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित नियर्तिक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब नियर्तिक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब नियर्तिक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका नियर्ति उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार नियर्तिक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को नियर्ति के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन नियर्ति के देश में नहीं होता है, अथवा नियर्ति के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा।

32. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कतर और ईरान में एक विशेष बाजार स्थिति मौजूद है। यह दावा किया गया है कि दोनों देशों में एलएबी के आपूर्तिकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के स्वामित्व में हैं और/या उसके नियंत्रण में हैं। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के लिए इनपुट के आपूर्तिकर्ता भी सरकार के स्वामित्व में हैं और/या उसके नियंत्रण में हैं। परिणामस्वरूप, संबद्ध देशों में एक विशेष बाजार स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि कतर और ईरान में ऐसी विशेष बाजार स्थिति मौजूद है। तदनुसार, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस दावे की जांच नहीं कर रहे हैं।

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि उत्पादकों/नियर्तिकों के लिए सामान्य मूल्य और नियर्ति कीमत का निर्धारण उत्पादकों/नियर्तिकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना के आधार पर किया जाएगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकों/नियर्तिकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना उपयुक्त है और इस प्रकार, घरेलू बाजार में उपभोग के लिए निर्धारित संबद्ध वस्तुओं की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

34. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि जांच शुरू करने के चरण में सामान्य मूल्य उचित नहीं था, यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 5.1 के तहत, प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, करार के अनुच्छेद 5.2 में यह प्रावधान है कि ऐसे आवेदन में “आवेदक के पास उचित रूप से उपलब्ध जानकारी” होनी चाहिए। तदनुसार, आवेदक ने अपने पास उचित रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर पाटन मार्जिन प्रदर्शित करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। इसके अलावा, जांच शुरू करने के समय, प्राधिकारी को केवल पाटन, धृति और दोनों के बीच कारण संबंध के बारे में साक्ष्य के बारे में प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट होना आवश्यक है। जांच शुरू करने के उद्देश्य के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति उसी गुणवत्ता की नहीं हो सकती है जैसी कि शुल्क के अंतिम अधिरोपण के लिए आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी को नहीं लगता कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदकों द्वारा प्रदान किया गया साक्ष्य उचित नहीं था। हालांकि, प्राधिकारी ने अब सभी उत्तरदाता उत्पादकों के लिए उनके द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

35. इस तर्क के संबंध में कि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए, यह नोट किया गया है कि जांच अवधि के दौरान, दो तिमाहियों के लिए ईरान से कोई आयात नहीं हुआ। इसके अलावा, जांच अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों और विषय की पहुंच कीमत में काफी उतार-चढ़ाव आया। पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 2.4 के तहत निर्धारित निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पहुंच मूल्य का निर्धारण तिमाही आधार पर किया है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

छ.3.1.1 ईरान के लिए सामान्य मूल्य

क) ईरान के मिकल्स इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए सामान्य मूल्य

36. ईरान के मिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी (आईसीआईआईसी) ने जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की *** मीट्रिक टन बिक्री की है, जबकि इसने चार असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं की *** मीट्रिक टन निर्यात की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में है। आईसीआईआईसी ने संबद्ध वस्तुओं को घरेलू बाजार में असंबंधित ग्राहकों को बेचा है, केवल कमर्शियल एंड पोर्ट सर्विसेज ऑफ ईरान कंपनी को कुछ बिक्री को छोड़कर, जिसे संबद्ध वस्तुओं के संबंधित अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में पहचाना जाता है न कि संबद्ध वस्तुओं के व्यापारी के रूप में। घरेलू बाजार में आईसीआईआईसी द्वारा की गई कुल बिक्री से संबंधित सूचना रिकॉर्ड में प्रस्तुत की गई है। तदनुसार, प्राधिकारी ने आईसीआईआईसी द्वारा घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन निर्धारित करने के लिए व्यापार के सामान्य क्रम का परीक्षण किया है। यह नोट किया गया है कि 80% से अधिक घरेलू बिक्री लाभदायक है। तदनुसार, सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए आईसीआईआईसी द्वारा सभी घरेलू बिक्री पर विचार किया गया है। आईसीआईआईसी ने किसी भी मूल्य समायोजन का दावा नहीं किया है क्योंकि घरेलू बिक्री एक्स-फैक्ट्री आधार पर की गई है। इस प्रकार, आईसीआईआईसी के लिए एक्स-फैक्ट्री स्तर पर सामान्य मूल्य की गणना पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित अनुसार की गई है।

ख) ईरान के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

37. ईरान के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

A.1 छ.3.1.2 कतर के लिए सामान्य मूल्य

क) एसईईएफ लिमिटेड (उत्पादक) के लिए सामान्य मूल्य

38. उत्पादक मेसर्स सीईईएफ लिमिटेड और उसके संबद्ध निर्यातक अर्थात् मेसर्स कतर के मिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी.द्वारा दाखिल आंकड़ों के आधार पर प्रश्नावली प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। निर्यातक और उत्पादक के बीच मेसर्स सीईईएफ लिमिटेड द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की सभी मात्रा की बिक्री के लिए सभी गंतव्यों अर्थात् घरेलू बाजार, भारत और भारत के अलावा अन्य देशों में सहमत विपणन शुल्क फार्मूले के अनुसार निर्यातक मेसर्स कतर के मिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी. को अनन्य विक्रय अधिकार प्रदान करने पर एक समझौता है। यह नोट किया गया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की *** मीट्रिक टन बिक्री की गई।

39. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया का संचालन किया। भारत को निर्यात की तुलना में घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में पाई गई। प्राधिकारी ने यह भी निर्धारित किया कि क्या संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री लेनदेन थे। यदि लाभ कमाने वाले

लेनदेन 80% से अधिक हैं, तो सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बिक्री में सभी लेनदेन पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में जहां लाभ कमाने वाले लेनदेन 80% से कम हैं, सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए केवल लाभदायक घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां कहीं भी कोई लाभदायक घरेलू बिक्री लेनदेन नहीं है, वहां उचित लाभ के साथ-साथ उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया था।

40. मुंतजात के बीमा, ऋण लागत, बैंक प्रभार, विपणन शुल्क और एसजीए व्यय के कारण दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

41. तदनुसार, एसईईएफ के लिए कारखाना-बाहर स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और इसे पाठन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ख) कतर के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

42. कतर के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख पाठन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण

छ.3.2.1. ईरान के लिए निर्यात मूल्य

क) ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए निर्यात मूल्य

43. ईरान से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी (आईसीआईआईसी) द्वारा निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की गई है, साथ ही यूएई स्थित असंबद्ध निर्यातकों अर्थात् एरबियम ट्रेडिंग एलएलसी (पूर्व में रूबिक्स ट्रेडिंग एलएलसी के रूप में जाना जाता था), एल्काइन ट्रेडिंग एलएलसी, क्लस्टर ट्रेडिंग एलएलसी और सेफ केमिकल्स एफजेडई द्वारा भी निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर की गई है।

44. आईसीआईआईसी ईरान में वर्ष 1984 में स्थापित एक सीमित देयता कंपनी है और संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है। आईसीआईआईसी ने संबद्ध वस्तुओं को सीधे भारत में निर्यात नहीं किया है और संपूर्ण निर्यात ऊपर नामित असंबंधित निर्यातकों और भारत में असंबंधित आयातकों के माध्यम से किया गया है।

45. जांच की अवधि के दौरान, आईसीआईआईसी ने ऊपर बताए गए असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है। उत्पादक और संबंधित निर्यातकों द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं को डेस्क सत्यापन के अधीन किया गया था। हालांकि, यह नोट किया गया कि निर्यातक अपने दावा किए गए शुद्ध निर्यात मूल्य को प्रमाणित करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थे। प्राधिकारी ने नोट किया कि चूंकि निर्यातक पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए, प्राधिकारी आईसीआईआईसी और उसके निर्यातकों द्वारा दावा किए गए निर्यात मूल्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसे देखते हुए, आईसीआईआईसी द्वारा निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के मामले में निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य का उल्लेख पाठन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ख) ईरान के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

46. ईरान के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख पाठन मार्जिन तालिका में किया गया है।

A.2 छ.3.2.2 कतर के लिए निर्यात मूल्य

क) एसईईएफ लिमिटेड के लिए निर्यात मूल्य

47. प्राधिकारी ने नोट किया है कि एसईईएफ ने अपने सहयोगी निर्यातक अर्थात् मेसर्स कतर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (मुंतजात) क्यू.पी.जे.एस.सी. के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को कुल *** मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया है। प्राधिकारी ने निर्यात मूल्य की गणना के लिए एसईईएफ और मुंतजात द्वारा दाखिल आंकड़ों पर विचार किया है।

48. शिपिंग लागत, समुद्री बीमा, बंदरगाह शुल्क, बैंक शुल्क, क्रृष्ण लागत और विपणन शुल्क के कारण दावा किए गए समायोजन को प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उत्पादक के स्तर पर कारखाना द्वारा निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए पीयूसी की बिक्री पर मुंतजात के एसजीए व्यय के कारण निर्यात मूल्य में समायोजन किया।

49. तदनुसार, एसईईएफ के लिए निवल निर्यात कीमत भारत को भारित औसत निर्यात मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

ख) कतर के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

50. कतर के अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जी.4. पाटन मार्जिन का निर्धारण

51. वर्तमान जांच में सभी संबद्ध देशों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं –

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य (\$/एमटी)	निर्यात कीमत (\$/एमटी)	पाटनमार्जिन (डीएम) (\$/एमटी)	डीएम (%)	डीएम रेंज
1.	ईरान	ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी।	***	***	***	***	0-10
		अन्य कंपनी	***	***	***	***	0-10
2.	कतर	एसईईएफ लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
		कोई अन्य	***	***	***	***	0-10

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

52. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में

निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क्षति का संचयी मूल्यांकन उचित नहीं है क्योंकि ईरान और कतर से आयात की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर है।
- क्षति अवधि के दौरान कतर से आयात में केवल मासूली वृद्धि हुई है, जो दर्शाता है कि कतर से आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं हो सकता है।
- ईरान से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई मात्रा क्षति नहीं हुई है, क्योंकि जांच अवधि की पिछली दो तिमाहियों के दौरान ईरान से कोई आयात नहीं हुआ क्योंकि उत्पादकों के पास बीआईएस प्रमाणीकरण नहीं था। जांच अवधि की पिछली तीन तिमाहियों के दौरान कतर से आयात समान रहा है।
- वर्ष 2022-23 में कतर से आयात में गिरावट आई है, जब कथित तौर पर शुल्क हटा दिए गए थे, जबकि कुल आयात में 31 अंकों की वृद्धि हुई थी। मांग में वृद्धि के बावजूद यह गिरावट आई थी। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में ईरान से आयात में कमी आई है। इस प्रकार, आयात में निरपेक्ष रूप से कोई वृद्धि नहीं हुई है।
- संबद्ध वस्तुओं की कीमत डाउनस्ट्रीम मांग के अनुरूप बढ़ी है। पहली छमाही में उच्च कीमतों और डाउनस्ट्रीम

उपयोगकर्ताओं के साथ अति-संतुम माल-सूची के कारण 2022 की दूसरी छमाही में एशिया में कीमतों में गिरावट आई। हालांकि, मांग में वृद्धि और एथिलीन की कीमतों द्वारा प्रदान की गई लागत सहायता के कारण जुलाई और सितंबर 2023 के बीच कीमतों में वृद्धि हुई। कमजोर औद्योगिक मांग के कारण वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत में कीमतों में 16% की गिरावट आई।

- vi. बेंजीन की कीमतों में गिरावट के कारण कतर से संबद्ध आयातों की कीमतों में गिरावट आई।
- vii. आवेदकों ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए मूल्य कटौती प्रदान नहीं की है, जो कि व्यापार नोटिस 5/2021 के अनुसार आवश्यक है।
- viii. कोई कीमत हास अथवा न्यूनीकरण नहीं है क्योंकि कतर से आयात की कीमत आधार वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। भले ही घरेलू उद्योग की विक्री कीमत और पहुंच कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन घरेलू उद्योग की लाभप्रदता खराब हो गई है, जो कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण हो सकती है।
- ix. जबकि आवेदकों ने दावा किया है कि कच्चे माल की लागत पर मार्क-अप में कमी आई है, इस गिरावट को आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि आवेदकों को कच्चे माल की उच्च लागत का सामना करना पड़ रहा है और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है। हालांकि, आयात की कीमत में भी वृद्धि हुई है।
- x. आवेदकों की विक्री लागत की पुष्टि करने की आवश्यकता है, क्योंकि केरोसीन और बेंजीन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गईं, लेकिन घरेलू उद्योग की विक्री लागत में कमी नहीं आई।
- xi. विक्री मूल्य, विक्रय मूल्य, वेतन एवं मजदूरी तथा शुद्ध अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में अधिक बेहतर थे, जबकि आधार वर्ष में पाटनरोधी शुल्क लागू था।
- xii. ऐसा प्रतीत होता है कि कथित क्षति और आयात की कीमतों के बीच कोई संबंध नहीं है।
- xiii. क्षति के दावों के बावजूद, टीपीएल वर्तमान में अपनी उत्पादन क्षमता को *** मीट्रिक टन से *** मीट्रिक टन तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है। टीपीएल की योजना अपने कास्टिक सोडा उत्पादन को बढ़ाने की भी है। निरमा ने स्टेरिकॉन फार्मा लिमिटेड, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में भी हिस्सेदारी हासिल की है।
- xiv. संबद्ध देशों से आयात की मात्रा केवल 60 केटी है जो घरेलू मांग का केवल 4% है। शेष मात्रा निर्यात किए जाने वाले माल के उत्पादन के लिए आयात की जाती है। इतनी नगण्य मात्रा घरेलू उद्योग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि शुल्क लगाया भी जाता है, तो घरेलू उद्योग को अन्य देशों से होने वाले भारी आयात के कारण संघर्ष करना पड़ेगा।
- xv. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड दक्षिणी भारतीय बाजार की मांग को पूरा करता है, जबकि कतर से आयात उत्तरी और पश्चिमी भारतीय बाजारों में किया जाता है, इस प्रकार, ऐसे आयात से तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड को कोई क्षति नहीं होती है।
- xvi. घरेलू उद्योग के घाटे का कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतें हो सकती हैं, जिससे उत्पाद की अपस्ट्रीम वैल्यू चेन में कच्चे माल की लागत प्रभावित होती है। तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने भी वर्ष 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को स्वीकार किया है।
- xvii. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य भारतीय उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।
- xviii. सऊदी अरब से आयात काफी मात्रा में होता है और उत्पाद काफी हद तक समरूप है, इसलिए सऊदी अरब से आयात की उच्च कीमतों का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सऊदी अरब से आयात में वृद्धि के बारे में चिंता व्यक्त की।
- xix. संबद्ध देश के दायरे से थाईलैंड को बाहर रखना उचित नहीं है और निम्नलिखित के मद्देनजर यह कारणात्मक संबंध को तोड़ता है।
- क. ऐसा बहिष्कार भेदभावपूर्ण है और पाटनरोधी नियमों के नियम 19 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
- ख. थाईलैंड से क्षति और पाटन की अनुपस्थिति को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। यह संभव है कि थाईलैंड से आयात ही क्षति का एकमात्र कारण हो।
- ग. ईरान और थाईलैंड से आयात के बीच मूल्य अंतर 2% से भी कम है, तथा ईरान से आयात की पहुंच कीमत थाईलैंड से आयात की पहुंच कीमत से अधिक है।
- घ. जांच अवधि के दौरान थाईलैंड से आयात की कीमत में गिरावट आई है, जो ईरान से आयात की कीमत से अधिक है।

ड. थार्डलैंड से आयात पूरे समय प्रचलित रहा है तथा जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है, जबकि संबद्ध आयात में जांच अवधि के दौरान लगातार गिरावट आई है।

च. कुल आयात में थार्डलैंड से आयात का हिस्सा ईरान से आयात के हिस्से से अधिक है।

xx. सऊदी अरब और थार्डलैंड से आयात की कीमतें संबद्ध आयातों की तुलना में कम थीं और इस प्रकार, यह भी घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण हो सकता था।

xxi. घरेलू उद्योग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि उत्पाद के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी लाभदायक हैं, तथा यह दर्शाता है कि उनका खराब प्रदर्शन अत्यधिक मूल्यहास वाले संयंत्रों के कारण है, जिसके कारण परिचालन अक्षमताएं और रखरखाव की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं।

xxii. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड का संयंत्र *** दिनों तक रखरखाव के अधीन रहा, जिससे इसकी लाभप्रदता और उत्पादन प्रभावित हुआ।

xxiii. आवेदकों ने शटडाउन के कारण हुई मात्रा क्षति का वास्तविक या सार्थक सारांश साझा नहीं किया है।

xxiv. चूंकि आवेदक पिछड़े एकीकृत उत्पादकों, रिलायंस इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर निर्भर हैं, इसलिए घरेलू उद्योग को काफी नुकसान हो रहा है। इस प्रकार, हानि अकुशलता और फीडस्टॉक मुद्दों के कारण हो सकता है।

xxv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों के विपरीत, पश्चात्यामी एकीकरण के संबंध में आरआईएल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय पर भरोसा करना उचित नहीं है, क्योंकि संबोधित मुद्दा कैप्टिव संयंत्र में उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य की गलत गणना के संबंध में था, न कि क्षति निर्धारण के संबंध में।

xxvi. जैसा कि विस्कोस स्टेपल फाइबर मामले में कहा गया है, निवेद की आयु की परवाह किए बिना 22% का रिटर्न माना जाता है, जैसा कि एक सुसंगत अभ्यास है। इसी तरह, सोडियम साइनाइड में, प्लांट के मूल्यहास की परवाह किए बिना 22% का रिटर्न माना गया था। इसलिए, ट्रिब्यूनल और ऑपरेटिंग ट्रैक्टिस के मैनुअल के विभिन्न निर्णयों के अनुसार 22% के रिटर्न के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

xxvii. जब लागत कारणों से कच्चे माल के उपयोग की मात्रा भिन्न होती है, तो जांच अवधि के दौरान उपयोग की केवल वास्तविक लागत का उपयोग करने के बजाय, प्राधिकारी को दोनों उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोग की अकुशलताओं को अनुचित रूप से संबद्ध आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके।

xxviii. क्षमता में वृद्धि के बिना शुद्ध अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि से गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य में कृत्रिम रूप से वृद्धि हो सकती है।

xxix. यह दावा कि जांच अवधि के दौरान केवल कच्चे माल और उपयोगिता खपत की वास्तविक लागतों पर विचार किया जाना चाहिए, कानून के अनुसार तर्कसंगत नहीं है। गैर-क्षतिग्रस्त मूल्य के निर्धारण के लिए केवल जांच की अवधि पर विचार नहीं किया जा सकता है। नियम उन मामलों में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग तक विश्वेषण को सीमित नहीं करता है जहां घरेलू उद्योग को अकुशल उपयोग के कारण क्षति पहुंची है।

A.3 ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

53. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं::

- नियमों के अंतर्गत संचयी मूल्यांकन का प्रावधान एक अनिवार्य प्रावधान है तथा वर्तमान मामले में इसमें निर्धारित शर्तें पूरी की गई हैं।
- संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- अप्रैल 2022 में कतर और ईरान से आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों का हिस्सा बढ़ा है तथा संबद्ध देशों में वृद्धि की दर अन्य आयातों की तुलना में काफी अधिक थी।
- आयात की मात्रा में 48% की वृद्धि हुई है, जो मांग की दर में वृद्धि से अधिक है।
- इस अवधि में उत्पादन के संबंध में आयात की मात्रा में 54% तथा खपत के संबंध में 45% की वृद्धि हुई है।
- मांग का 9% हिस्सा होने वाले संबद्ध आयात को महत्वहीन नहीं माना जा सकता।

- viii. घरेलू उद्योग की लागत में वृद्धि इनपुट की कीमतों में वृद्धि के कारण है, लेकिन यह आयात कीमतों में परिलक्षित नहीं होती है।
- ix. वर्ष 2020-21 में, आयात की कीमतें कच्चे माल की लागत से 51% अधिक थीं, लेकिन जांच अवधि के दौरान खपत किए गए कच्चे माल की लागत से केवल 8% अधिक थीं, जिससे घरेलू उद्योग को कच्चे माल की लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ाने से रोका जा सका।
- x. घरेलू उद्योग को आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए जांच अवधि के दौरान अपनी कीमतें लागत से भी कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- xi. ट्रेड नोटिस 5/2021 के अनुसार, प्रोफार्मा IV-A और IV-B में घरेलू उद्योग को मूल्य कटौती प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के लिए मूल्य कटौती प्रदान की है।
- xii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से भी कम थी।
- xiii. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य दोनों में कमी आई। हालांकि, उत्तराई मूल्य में गिरावट के साथ, बिक्री मूल्य में गिरावट बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी।
- xiv. संबद्ध आयातों की कीमतें गैर-संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में कम थीं। जबकि अन्य आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थीं, संबद्ध आयातों की कीमतें लागत से कम थीं।
- xv. घरेलू उद्योग की क्षमता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही, जबकि उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई।
- xvi. घरेलू बिक्री की मात्रा में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतें लागत से कम कर दीं और अपने मात्रा मापदंडों को बनाए रखने के लिए अपनी लाभप्रदता से समझौता किया।
- xvii. वर्ष 2020-21 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 26% थी, जो जांच अवधि में घटकर 24% रह गई।
- xviii. बाजार हिस्सेदारी के नुकसान के साथ, घरेलू उद्योग को इन्वेंट्री के संचय का सामना करना पड़ा, जो 2020-21 की तुलना में 110% बढ़ गया।
- xix. घरेलू उद्योग वर्ष 2021-22 तक पर्याप्त लाभ कमा रहा था, जब तक कि शुल्क लागू थे। वर्ष 2022-23 के दौरान, अत्यधिक पाटन के कारण लाभ में तेजी से गिरावट आई और जांच की अवधि के दौरान स्थिति और खराब हो गई, जिससे काफी नुकसान हुआ।
- xx. आधार वर्ष की तुलना में प्रति इकाई लाभ में 103% की गिरावट आई। नकद लाभ में भी आधार वर्ष की तुलना में 97% और पिछले वर्ष की तुलना में 75% की गिरावट आई।
- xxi. चूंकि निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड के संयंत्र क्रमशः 27 और 40 वर्ष पुराने हैं, इसलिए उनका पर्याप्त मूल्यहास उच्च पूंजी नियोजन की गारंटी नहीं देता है और अर्जित अल्प लाभ भी नियोजित पूंजी पर बहुत उच्च प्रतिफल दर्शाता है।
- xxii. अर्जित निवेश पर प्रतिफल लगभग शून्य था।
- xxiii. ब्याज भार में उल्लेखनीय कमी के बावजूद घरेलू उद्योग के ब्याज कवरेज अनुपात में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है।
- xxiv. पाटित किए गए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।
- xxv. निरमा पश्चिमी भारत में स्थित है और उत्तरी और पश्चिमी बाजारों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। किसी भी मापदंड में, आयातक पश्चिम में माल आयात कर रहे हैं और दक्षिण में बेच रहे हैं, जिससे पाटित किए गए माल को पूरे भारत में भेजा जा रहा है।
- xxvi. अन्य पक्षकारों के दावों के विपरीत, तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने वर्ष 2021 में दीर्घकालिक व्यापार योजनाओं पर विचार करते हुए क्षमता विस्तार की घोषणा की, जब कोई पाटन नहीं थी। इसके अलावा, निरमा द्वारा क्षमता विस्तार गैर-संबद्ध के वस्तुओं से संबंधित है।
- xxvii. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उत्पादन प्रक्रिया लागत-कुशल है। इसके अलावा, ऊर्जा और फीडस्टॉक की उच्च लागत घरेलू उद्योग के लिए अंतर्निहित कारक हैं, जो क्षति अवधि के दौरान नहीं बदले हैं।
- xxviii. घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच उसी रूप में की जानी चाहिए, जैसी वह है और उद्योग में निहित

कारकों को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता, जैसा कि **निष्पाँॅन जियोन कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी** के मामले में निर्णय दिया गया है, तथा जिसे विभिन्न जांचों में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

xxix. विश्व भर में एलएबी के सभी प्रमुख संयंत्र पुराने हैं, जिनमें एसईईडी और आईसीआईसीआई के संयंत्र भी शामिल हैं जो क्रमशः 21 और 34 वर्ष पुराने हैं।

xxx. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में किसी भी विकास पर प्रकाश नहीं डाला है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी पुरानी हो जाएगी।

xxxi. अन्य पक्षकारों के दावों के विपरीत, घरेलू उद्योग क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमताओं का बहुत अच्छा उपयोग करने में सक्षम था, जो दर्शाता है कि संयंत्रों का मूल्यह्रास नहीं हुआ है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने शटडाउन के प्रभाव को छोड़कर क्षति की जानकारी प्रस्तुत की है।

xxxii. घरेलू उद्योग की निवल अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि कैस्ट्रिव विद्युत इकाई के लिए नई मशीनरी की खरीद के कारण हुई, जिससे उत्पादन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

xxxiii. संबद्ध आयात क्षति के कारणों में से एक होना चाहिए, न कि क्षति का एकमात्र कारण, जैसा कि ई.सी.-ट्यूब्स एंड पाइप्स, यू.एस.- हॉट-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स और यू.एस. - सैल्मन में कहा गया है।

xxxiv. थाईलैंड से आयात की कीमत संबद्ध आयात की तुलना में अधिक है, तथा यह अंतर घरेलू उद्योग द्वारा ज्ञेली गई कीमत कटौती के बराबर है।

xxxv. अन्य पक्षकारों के दावों के विपरीत, थाईलैंड से एलएबी के आयात पर भारत-आसियान एफटीए के तहत 5% शुल्क और 10% अधिभार लगता है।

xxxvi. थाईलैंड से आयात की तुलना समग्र रूप से संबंधित आयात से की जानी चाहिए, न कि ईरान से आयात से। फिर भी, थाईलैंड से आयात की कीमत 2 महीने में ईरान से आयात की तुलना में अधिक थी और एक महीने के लिए तुलनीय थी।

xxxvii. चूंकि संबद्ध देश बाजार में मूल्य निर्धारिक है, इसलिए संबद्ध वस्तुओं पर शुल्क लगाने से अन्य आयातों के मूल्य में भी सुधार होगा।

xxxviii. उपयोगकर्ता उद्योग को अपने दावे को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने सऊदी अरब से संबद्ध वस्तुओं का आयात समान या समान कीमतों पर किया है।

xxxix. तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने सामान्यतः मध्य पूर्व, थाईलैंड और चीन से आयात के संबंध में चिंता व्यक्त की, लेकिन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विशेष रूप से संबद्ध देशों से आयात के कारण होने वाली क्षति पर प्रकाश डाला।

xl. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग अन्य भारतीय उत्पादकों की तरह पिछड़ा एकीकृत नहीं है, क्षति का कारण नहीं है।

xli. रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम डीए के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कानून एकीकृत और गैर-एकीकृत कंपनियों के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ऐसा भेदभाव उन छोटे संयंत्रों के लिए हानिकारक होगा जिनका कोई पिछड़ा एकीकरण नहीं है।

xlii. हितबद्ध पक्षकारों के दावों के विपरीत, आरआईएल बनाम डीए में लिया गया निर्णय, जिसमें घरेलू उद्योग की समग्र चिंताओं की जांच करने के तरीके के बारे में बताया गया है, क्षति और गैर-क्षति कीमत दोनों के संदर्भ में समान रूप से लागू होता है।

xliii. क्षति मार्जिन का निर्धारण तिमाही विशेषण पर आधारित होना चाहिए क्योंकि यह जांच अवधि के दूसरे भाग में ईरान से आयात की अनुपस्थिति के कारण वार्षिक आधार पर गणना की गई गैर-क्षति मूल्य और पहुंच मूल्य की उचित तुलना नहीं होगी।

xliv. अनुलग्नक III का पैरा 3 अनुलग्नक III के पैरा 4 के प्रावधानों पर प्रभावी है, क्योंकि पूर्व में प्राधिकारी को घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, जबकि पैरा 4 में प्रावधान है कि प्राधिकारी यह जांच कर सकता है कि क्या उपयोग में अक्षमताओं के कारण उद्योग को क्षति हुई है और उसे निरस्त किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में न्यूनतम उपयोग का यांत्रिक उपयोग कानून निर्माताओं के इरादे को निरस्त कर देगा।

xlv. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, अनुलग्नक-III में प्रावधान है कि नियोजित पूँजी पर उचित रिटर्न की अनुमति दी जानी चाहिए। सीईएसटीएटी और प्राधिकारी की यह सुस्थापित प्रथा है कि 22% से अलग रिटर्न की अनुमति दी जाए, जहां इसका समर्थन करने वाले साक्ष्य मौजूद हों।

xlvi. घरेलू उद्योग के संयंत्रों का मूल्यहास काफी अधिक है, और केवल 22% का रिटर्न देना उद्योग के लिए प्रतिकूल होगा। पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग ने उच्च रिटर्न प्राप्त किया है और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

54. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को संबोधित करता है।

ज.3.1 आयातों का संचयी मूल्यांकन

55. विश्व व्यापार समझौते के अनुच्छेद 3.3 और अनुबंध-II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि किसी उत्पाद का एक से अधिक देशों से आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हो रहा है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेगा, यदि यह निर्धारित होता है कि:

- प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है, तथा
- आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों तथा आयातित उत्पादों और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मध्येनजर आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

56. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि कतर और ईरान से होने वाले आयातों का संचयी विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माल की मात्रा और कीमतों में अंतर है, यह नोट किया जाता है कि कतर और ईरान दोनों से होने वाले आयातों की मात्रा कुल आयातों के 3% से अधिक है और ऐसे आयातों को देश में पाटित किया जा रहा है। कतर से आयातित विचाराधीन उत्पाद में ईरान से आयातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान भौतिक और रासायनिक विशेषताएं हैं और इसके विपरीत। कतर और ईरान से आयात की कीमत में अंतर होने के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने आगे नोट किया कि पाटनरोधी समझौते के अनुच्छेद 3.3 के साथ-साथ अनुलग्नक II के पैरा (iii) में स्पष्ट रूप से सभी संबद्ध देशों से आयातों का संचयी विश्लेषण करने से पहले संतुष्ट की जाने वाली शर्तें प्रदान की गई हैं। ऐसे प्रावधानों में प्राधिकारी को ऐसे संचयन से पहले शर्त के रूप में कीमतों का देश-वार विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।

57. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- संबद्ध वस्तुएँ संबद्ध देशों से भारत में पाटित की जा रही हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।
- आयातों के प्रभावों का संचयी आकलन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात न केवल उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समान वस्तुओं के साथ भी प्रतिस्पर्धा करता है।

58. तदनुसार, प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि घरेलू उद्योग पर संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित होगा।

59. अनुलग्नक II के साथ पठित पाटनरोधी झूटी नियम, 1995 के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं:

“... सभी प्रासांगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पाटित किए गए आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों के परिणामस्वरूप ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल है...”

60. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाना या कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हृद तक घटित हो जाती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

61. जांच के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए निवेदनों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, की जांच की गई है और नीचे प्रासंगिक मानदंडों के अंतर्गत उनका समाधान किया गया है।

62. प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी पैरामीटर गिरावट दर्शाते हों। कुछ पैरामीटर गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों का आकलन करने के लिए सभी क्षति मापदंडों पर विचार करता है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

ज.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित किए गए आयातों का मात्रा प्रभाव

क) मांग/प्रकट खपत का आकलन

63. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओ आई
ईरान	मीट्रिक टन	100	6066	42481	23,542
कतर	मीट्रिक टन	34215	40823	39518	52,878
संबद्ध देशों से आयात	मीट्रिक टन	34,315	46,889	81,999	76,420
सूचीबद्ध	सूची	100	137	239	223
अन्य देशों से आयात	मीट्रिक टन	2,05,518	2,27,119	2,49,128	2,17,543
सूचीबद्ध	सूची	100	111	121	106
कैप्टिव सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूची	100	97	88	93
कैप्टिव को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूची	100	96	87	93
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
कैप्टिव सहित कुल मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूची	100	104	109	106

कैप्टिव को छोड़कर कुल मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूची	100	104	110	106

64. यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 में मांग चरम पर होने और पीओआई में मामूली रूप से कम होने के साथ क्षति की अवधि में पीयूसी की मांग बढ़ गई है।

ख) पाटित किए गए आयात का मात्रा प्रभाव

65. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में पाटित आयातों में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष पर्यास वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
संबद्ध आयात	मीट्रिक टन	34,315	46,889	81,999	76,420
सूचीबद्ध		100	137	239	223
ईरान	मीट्रिक टन	100	6066	42481	23542
कतर	मीट्रिक टन	34,215	40,823	39,518	52,878
अन्य देशों से आयात	मीट्रिक टन	2,05,518	2,27,119	2,49,128	2,17,543
सूचीबद्ध		100	111	121	106
कुल आयात	मीट्रिक टन	2,39,832	2,74,009	3,31,127	2,93,962
सूचीबद्ध		100	114	138	123
के संबंध में आयात					
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	%	***	***	***	***
कुल आयात	%	14.31	17.11	24.76	26.00

66. उपरोक्त तालिका से यह नोट किया गया है कि:

- क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।
- इस अवधि में कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध आयातों में अन्य देशों से आयातों में वृद्धि की तुलना में उच्चतर दर से वृद्धि हुई है।
- उत्पादन और मांग (कैप्टिव को छोड़कर) के संबंध में संबद्ध आयात में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है और पीओआई में गिरावट आई है।

ज.3.3 पाटित किए गए आयातों का मूल्य प्रभाव

67. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में कमी लाने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में घटित होती। संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और निवल विक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) कीमत कटौती

68. कीमत कटौती विशेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की विक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से भारित औसत आयात कीमत से की गई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के लिए तिमाही आधार पर पहुंच कीमत की गणना की है। तदनुसार, संबद्ध देशों से पाठित आयातों की मूल्य कटौती तिमाही आधार पर नीचे दिए अनुसार निर्धारित की गई है।

विवरण	इकाई	पीओआई क्यू 1	पीओआई क्यू 2	पीओआई क्यू 3	पीओआई क्यू 4	पीओआई
शुद्ध विक्री प्राप्ति	₹/ मीट्रिक टन	***	***	***	***	***
पहुंच कीमत	₹/ मीट्रिक टन	1,29,893	1,23,772	1,46,454	1,36,601	1,34,935
कीमत कटौती	₹/ मीट्रिक टन	***	***	***	***	***
कीमतों कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमतों कटौती	श्रेणी	20-30	15-25	नकारात्मक	1-10	5-15

69. यह नोट किया गया है कि जांच अवधि की तीन तिमाहियों में संबद्ध आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हुई थी।

ख) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

70. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाठित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं या कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है या मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की जांच नीचे दी गई तालिका में की गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
विक्री की लागत	₹/ मीट्रिक टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूची	100	160	228	208
विक्रय मूल्य	₹/ मीट्रिक टन	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूची	100	144	170	153
पहुंच कीमत	₹/ मीट्रिक टन	82,184	1,32,723	1,48,490	1,34,935
सूचीबद्ध	सूची	100	161	181	164

71. यह नोट किया गया है कि आयातों का पहुंच मूल्य पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की विक्री कीमत से काफी कम था। जबकि 2022-23 तक घरेलू उद्योग की विक्री लागत और विक्रय मूल्य दोनों में वृद्धि हुई, विक्रय मूल्य में वृद्धि लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। जबकि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की विक्री लागत और विक्रय मूल्य में गिरावट आई, विक्रय मूल्य में गिरावट बहुत अधिक थी क्योंकि इस अवधि में पहुंच मूल्य में भी गिरावट आई थी। क्षति अवधि के दौरान, जबकि घरेलू उद्योग की विक्री लागत में 108% की वृद्धि हुई, आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए विक्रय मूल्य में केवल 53% की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और मूल्य वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा घटित होती।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

72. नियमों के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाठित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाठित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, नियोजित पूँजी पर लाभ या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच की गई है।

73. प्राधिकारी ने हितवद्ध पक्षों द्वारा दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी पैरामीटर्स की जांच की है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

74. क्षति अवधि में क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	100	100	100
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	98	92	91
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	100	93	93
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	96	87	93

75. यह नोट किया गया है कि:

- पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता स्थिर बनी रही है।
- क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्रमशः ***% और ***% गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2022-23 तक लगातार गिरावट आई किन्तु जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई जब इसकी पिछले वर्ष 2022-23 से तुलना की जाती है। तथापि, क्षति अवधि में घरेलू बिक्रियों में गिरावट आई है।
- जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियां क्षति अवधि के पहले दो वर्षों में बिक्री मात्रा की तुलना में निम्न थीं जब पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त थे।

ख) बाजार हिस्सा

76. घरेलू उद्योग और आयातों का बाजार हिस्सा नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कैप्टिव सहित					

घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	93	81	88
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	96	91	94
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	131	218	211
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	106	111	100
कैप्टिव के बिना					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	92	79	88
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	96	90	94
संबद्ध उत्पाद	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	131	217	210
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	106	110	100

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2020-21 में ***% से गिरावट आ कर जांच की अवधि में यह ***% हो गया। दूसरी ओर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। जहां, पूर्ववर्ती वर्ष (2022-23) से तुलना किए जाने पर जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, यह इस तथ्य के कारण है कि घरेलू उद्योग ने बाजार में विक्री के लिए अपनी कीमतों में महत्वपूर्ण कमी की है। क्षति अवधि में भारतीय उद्योग के समग्र बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

ग) मालसूची

78. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
समापन मालसूची	एमटी	***	***	***	***
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	99	234	202

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि –

- घरेलू उद्योग की औसत मालसूचियों में 2020-21 की तुलना में 102% तक बढ़ोतरी दिखाते हुए क्षति अवधि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- जहां पूर्ववर्ती वर्ष 2022-23 के साथ तुलना किए जाने पर, जांच की प्रस्तावित अवधि में औसत मालसूची में गिरावट आई है, आवेदकों ने दावा किया है कि ऐसी गिरावट इस कारण से है कि घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें कम कर रहा है।

घ) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

80. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दिया गया है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
वेतन और मजदूरियां	लाख रु.	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	***	***	***	***
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी/सं.	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	107	85	90
उत्पादकता दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	98	92	91

81. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में गिरावट आई है जबकि समान अवधि के दौरान भुगतान किए गए वेतनों में वृद्धि हुई है। इस अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है।

ड.) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय

82. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय नीचे दी गई सारणी में दी गई है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
विक्रियों की लागत	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	160	228	208
विक्री कीमत	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	144	170	153
कर पूर्व लाभ /(हानि)	रु./एमटी	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	100	9	(3)
कर पूर्व लाभ /(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	96	8	(2)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	97	13	4
निवेश पर आय	%	***	***	***	***
सूचकांकित	सूचकांक	100	85	8	1

83. यह नोट किया गया है कि –

- घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 तक पर्याप्त लाभ अर्जित किए हैं। तथापि, वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में महत्वपूर्ण हानियों का सामना किया है क्योंकि इसने अपने बाजार हिस्से को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतों में कमी की है।
- जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में 103% तक ह्रास हुआ है।
- घरेलू उद्योग ने इस अवधि में नकद लाभों में भी ह्रास का सामना किया है। नकद लाभों में आधार वर्ष की तुलना में 96% तक और पिछले वर्ष की तुलना में 72% तक गिरावट आई है।

घ. घरेलू उद्योग ने निवेशों पर आय में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना किया है। जहां घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 तक एक स्वस्थ आय अर्जित की थी, वहीं 2022-23 में इसकी निवेशों पर आय में गिरावट आई थी और जांच की प्रस्तावित अवधि में यह लगभग शून्य थी।

च) **वृद्धि**

84. क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों, लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूँजी पर आय के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन	एमटी	-	-2%	-6%	-1%
घरेलू बिक्रियां	एमटी	-	-4%	-10%	7%
कर पूर्व लाभ /(हानि)	रु./एमटी	-	0%	-91%	-128%
नकद लाभ	लाख रुपए	-	-3%	-87%	-72%
नियोजित पूँजी पर आय	%	-	-15%	-91%	-86%

85. यह नोट किया गया कि इस अवधि में मात्रा और लाभप्रदता संबंधी पैरामीटरों ने गिरावट देखी है। तथापि, जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभप्रदता पैरामीटरों ने तीव्र गिरावट देखी है। घरेलू उद्योग की नियोजित पूँजी पर लाभ, नकद लाभ और आय में गिरावट देखी है।

छ) **पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रभाव**

86. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इसने इसकी लाभप्रदता में गिरावट का सामना किया है और इस अवधि में इसकी व्याज कवरेज अनुपात में भी गिरावट आई है। व्याज लागतों में महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद घरेलू उद्योग के व्याज कवरेज अनुपात में गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
पीबीआईटी	लाख रुपए	***	***	***	***
व्याज लागत	लाख रुपए	***	***	***	***
व्याज कवरेज अनुपात	समय	12.24	17.30	3.65	0.40

87. घरेलू उद्योग ने भी अनुरोध किया है कि लगभग *** करोड़ रु. की महत्वपूर्ण निवेश के प्रति, घरेलू उद्योग ने वास्तव में कोई आय अर्जित नहीं की है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक संयंत्र की स्थापना के लिए प्रति एमटी *** लाख रुपए के निवेश की जरूरत होगी। तथापि, वर्तमान लाभप्रदता पर घरेलू उद्योग ऐसे निवेश की वसूली करने में असमर्थ होगा। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित उच्चतम आय पर विचार करते हुए भी, यह नए निवेशों पर केवल ***% की आय अर्जित करने में समर्थ होगा।

88. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया है कि क्षति के दावों के बावजूद, तमिलनाडु पैट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड अपनी उत्पादन क्षमता का *** एमटी से *** एमटी तक विस्तार कर रहा है। यह भी दावा किया गया है कि निरमा लिमिटेड ने स्टेरिकोन फार्मा लिमि., ग्लेनमार्क लाइफ साइंसिस में भी स्टेक अधिग्रहित किया है। इस संबंध में,

घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार नियोजित था और क्षति अवधि के आरंभ में कार्यान्वित किया गया था जब घरेलू उद्योग क्षति का सामना नहीं कर रहा था। अन्य विस्तार योजनाओं के संबंध में, ऐसी योजनाएं संबद्ध वस्तुओं से संबंधित नहीं हैं और इस प्रकार, यह वर्तमान जांच का विषय नहीं है।

ज) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

89. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग विक्रियों की लागत में वृद्धि के संबंध में अपनी कीमतों में वृद्धि करने में समर्थ नहीं है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को लागत से कम पर वस्तुओं की विक्री करने के लिए विवश किया है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की है जो घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पैदा कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आई है। अतः, संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

झ) पाठन मार्जिन की मात्रा

90. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं को भारत में पाठित किया जा रहा है और पाठन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज.3.5 क्षति का संपूर्ण आकलन

91. सभी पक्षकारों के अनुरोधों के आधार पर, संबद्ध वस्तुओं के आयातों की जांच और घरेलू उद्योग के निष्पादन स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि -

- क. क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जहां वर्ष 2021-22 तक आयात निम्न थे, उसके बाद उनमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ख. घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों की मात्रा में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।
- ग. मांग में वृद्धि के विरुद्ध क्षति अवधि में आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है।
- घ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में संबद्ध आयात उल्लेखनीय कटौती कर रहे थे।
- ड. जहां जांच अवधि में घरेलू उद्योग की विक्री की लागत और विक्री कीमत में वृद्धि हुई, वहीं विक्री की लागत में वृद्धि विक्री कीमत में वृद्धि की तुलना में अधिक थी।
- च. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास किया और कीमत वृद्धि को नियंत्रित किया जो अन्यथा घटित हुई होती।
- छ. इस अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ज. घरेलू उद्योग ने इस अवधि में मालसूचियों के उल्लेखनीय संचय का सामना किया।
- झ. घरेलू उद्योग ने 2021-22 तक पर्याप्त लाभों को अर्जित किया किन्तु इसमें 2022-23 में लाभप्रदता में गिरावट आई और इसने जांच की प्रस्तावित अवधि में महत्वपूर्ण हानियां अर्जित कीं।
- ज. घरेलू उद्योग ने अपने नकद लाभों में महत्वपूर्ण गिरावट का सामना किया और इसने अपनी नियोजित पूंजी पर लतगभग शून्य आय अर्जित की।
- ट. संबद्ध आयातों ने पूंजी निवेश को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता को प्रभावित किया है और संबद्ध वस्तुओं के लिए वर्तमान और भविष्य के निवेशों को जोखिम में डाला है।

ज.3.6 क्षति मार्जिन की मात्रा

92. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। पीयूसी के एनआईपी को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/डेटा को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है।

93. नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग के तर्कों के संबंध में, जिन पर एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार किया जाना है, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी के लगातार अभ्यास के अनुसार, एनआईपी पर पहुंचने के लिए व्याज, निगमित कर और लाभ की वसूली के लिए पीयूसी के लिए

नियोजित की गई औसत पूँजी (अर्थात् औसत निवल अचल परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूँजी) पर एक उचित आय (कर रूर्व @22%) को अनुमति दी गई है जैसा कि नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित किया गया है।

94. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए एक तिमाही एनआईपी निर्धारित किया है। तदनुसार, जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए सभी सहयोगी उत्पादकों के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तुओं के एनआईपी के बीच एक तुलना की गई है। पहुंच कीमत और उपरोक्त अनुसार निर्धारित क्षति रहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रस्तावित क्षति मार्जिन को, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, नीचे दी गई सारणी में उपलब्ध कराया गया है:

क्र. सं.	देश	उत्पादक का नाम	क्षति रहित कीमत (डॉ./एमटी)	पहुंच कीमत (डॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (आईएम) (डॉ./एमटी)	आईएम (%)	आईएम रेंज
1.	ईरान	ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी।	***	***	***	***	0-10
		कोई अन्य	***	***	***	***	0-10
2.	कतर	एसईईएफ लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
		कोई अन्य	***	***	***	***	0-10

ज) गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

95. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं। नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य ज्ञात कारकों की जांच करना जरूरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए। प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारणों ने घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान किया है।

क) तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों के अतिरिक्त, सऊदी अरेबिया और थाइलैंड से महत्वपूर्ण आयात किए गए हैं। अन्य हितवद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध आयातों के कारण नहीं है क्योंकि संबद्ध आयात कुल आयातों में बहुत कम हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और क्षति सऊदी अरेबिया और थाइलैंड से आयातों के कारण हो सकती है, जिनकी कीमत भी निम्न है। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि सऊदी अरेबिया से आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की संबद्ध आयातों और विक्री कीमत की तुलना में अधिक है। अतः, ऐसे आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते।

97. थाइलैंड से आयातों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि थाइलैंड से आयातों की कीमत संबद्ध आयातों से अधिक थी। अतः, घरेलू उद्योग को क्षति संभवतः ऐसे आयातों के कारण नहीं है।

ख) मांग में संकुचन

98. यह नोट किया गया है कि इस अवधि में सबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और अतः, घरेलू उद्योग को हुई क्षति को मांग में संभावित संकुचन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

ग) खपत के पैटर्न में परिवर्तन

99. यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के खपत पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता है।

घ) व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां और विदेशी व घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

100. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं हैं और देश में मुक्त रूप से आयात योग्य हैं।

ड. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

102. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

103. प्राधिकारी ने क्षति संबंधी विश्लेषण के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक डेटा पर विचार किया है। अतः, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं हो सकता।

ज) एक क्षेत्र में संकेंद्रित आयात

104. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि कतर से किए गए आयात उत्तरी और पश्चिमी बाजारों में बनाए जाते हैं जबकि तमिलनाडु पैट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड दक्षिणी बाजार को आपूर्ति करते हैं और ऐसे आयात घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं हो सकते। तथापि, यह नोट किया गया है कि अन्य आवेदक, निरमा लिमिटेड, गुजरात में स्थित हैं और यह पश्चिमी बाजार को भी आपूर्ति कर रहा है। किसी भी मामले में, पूरे देश में संबद्ध वस्तुओं की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और अतः पाटित आयातों को पूरे देश में बेचा जा सकता है।

झ) घरेलू उद्योग के मूल्यहासित संयंत्र

105. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी आगोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति अत्यधिक मूल्यहासित संयंत्रों के कारण है जिन्हें अत्यधिक रखरखाव और शटडाउन किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पूरे विश्व में सभी संयंत्र 20 वर्ष से अधिक पुराने हैं, जिनमें किया गया नया निवेश बहुत सीमित है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के संयंत्र बहुत पुराने और मूल्यहासित हैं, एक ऐसा कारण है जो उद्योग के लिए स्वाभाविक है और अपरिवर्तित बना हुआ है। अतः, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए स्वाभाविक कारकों के लिए एक गैर-आरोप्य विश्लेषण आयोजित करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति अपीलीय निकाय द्वारा यूरोपीय संघ - अर्जेंटीना से बायोडीजल पर- पाटनरोधी उपाय में अपनाई गई थी। [\[डीएस473/एबी/आर\]](#)

“7.522. अर्जेंटीना ने मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के अधिकारियों के निष्कर्ष पर सवाल उठाया कि यूरोपीय संघ उद्योग की संरचना क्षति का कारण नहीं था। दो कारकों की अर्जेंटीना द्वारा पहचान की गई, अर्थात् ऊर्ध्वाधिर एकीकरण का अभाव और कच्चे माल तक पहुँच का अभाव, जो अनिवार्य रूप से यूरोपीय संघ के घरेलू उद्योग की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं, जो अर्जेंटीना के अनुसार, इसे अर्जेंटीना के उत्पादकों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। हमारे विचार में, यह तर्क पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 3.5 सहित इसके विभिन्न पैराग्राफों की गलत व्याख्या पर आधारित है। अनुच्छेद 3 द्वारा परिकल्पित क्षति की अवधारणा घरेलू उद्योग की स्थिति में नकारात्मक विकास को दर्शाती है। अनुच्छेद 3 का उद्देश्य नियर्यातिक सदस्य की तुलना में घरेलू उद्योग की संरचना में अंतर का पता लगाना नहीं है। इसके बजाय यह अनुच्छेद 3.5 के मूल पाठ और ऐसे “अन्य कारकों” की इसकी सांकेतक सूची से स्पष्ट है - जो सभी घरेलू उद्योग की स्थिति में परिवर्तन से संबंधित हैं - कि प्राधिकारी द्वारा ऐसे कारकों के संबंध में एक गैर-आरोप्य विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। जो घरेलू उद्योग में अंतर्निहित और इसके क्षति

संबंधी विश्लेषण के प्रयोजन हेतु जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा विचार की गई अवधि के दौरान अपरिवर्तित बने रहे हैं।"

106. अतः, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के संयंत्र मूल्यहासित हैं, जो कि आवेदकों के लिए एक निहित कारक हैं, को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

ज.) अन्य उत्पादकों के पिछड़े एकीकृत संयंत्र

107. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि घरेलू उद्योग पिछड़ा एकीकृत नहीं है, जबकि अन्य भारतीय उत्पादक जैसे आरआईएल और आईओसीएल हैं। परिणामस्वरूप, जहां आरआईएल और आईओसीएल ने क्षति का सामना नहीं किया है वहां घरेलू उद्योग ने किया है। यह नोट किया गया कि उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर इंटेग्रेशन की कमी को किसी उत्पादक के विरुद्ध धारित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कानून प्राधिकारी को संयंत्रों के बीच भेदभाव करने की उनके क्षति संबंधी विश्लेषण में अनुमति नहीं देता जो उर्ध्वरूप से एकीकृत हैं और जो नहीं हैं। यह स्थिति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी, [2006] 10 एससीसी 368]** के मामले में स्थापित की गई थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कानून एकीकृत और गैर-एकीकृत कंपनियों के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं देता है और ऐसे भेदभाव से पिछड़े एकीकरण वाले छोटे संयंत्रों के लिए अनिवार्य रूप से संकट उत्पन्न हो जाएगा।

"निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विचारधारा, हमारी राय में एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगी जहां (पिछड़े एकीकरण से तात्पर्य ऐसे कारखाने से है जो अपना कच्चा माल आदि भी उत्पादित करता है)। एकीकृत और गैर-एकीकृत कंपनियों के बीच एक नकली भेदभाव सृजित किया जाएगा जो छोटे संयंत्रों के लिए खतरा है, जिनका कोई पिछड़ा एकीकरण नहीं है। ऐसी स्थिति में, ऐसा परिणाम होगा कि पिछड़े एकीकरण को न रखने वाली कंपनियों को विपरीत रूप से तुकसान होगा। हमारी राय में, इसकी न तो कानून के अंतर्गत परिकल्पना की गई थी और न ही इसे एक वांछित परिणाम के रूप में माना जा सकता है। पाटनरोधी कानून पाटन की अनुचित पद्धति के विरुद्ध समग्र रूप में घरेलू उद्योगों के संरक्षण के लिए अभिप्रेरित है, भले ही वे एकीकृत हों अथवा नहीं।"

108. इसलिए, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग के संयंत्र पिछड़े एकीकृत नहीं हैं, को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

109. यह निर्धारित करने के बाद कि उपर्युक्त कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति निम्नलिखित कारकों के कारण हुई है।

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की डंपिंग हुई है।
- ख. क्षति अवधि के दौरान आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
- ग. संबद्ध आयात बाजार में काफी कम कीमतों पर आए हैं, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पैदा हुआ है।
- घ. संबद्ध आयात जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे थे, जिससे घरेलू उद्योग को आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यहां तक कि अपनी स्वयं की लागत से भी कम पर।
- ड. घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत में हुई वृद्धि के बराबर अपने विक्रय मूल्य में वृद्धि करने में असमर्थ रहा, क्योंकि आयातों की पहुंच कीमत में आनुपातिक वृद्धि नहीं हुई।
- च. पाटन किए गए आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया और मूल्य वृद्धि को रोक दिया, जो अन्यथा होती।
- छ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री मात्रा में गिरावट आई।
- ज. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई।
- झ. घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में क्षति अवधि के दौरान तीव्र गिरावट देखी गई है, और उद्योग को महत्वपूर्ण घाटा और नकद घाटा हुआ है।

ज. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान बहुत कम रिटर्न अर्जित किया और ऐसा रिटर्न व्यावहारिक रूप से शून्य था।

ट. आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, क्योंकि घरेलू उद्योग व्यावहारिक रूप से अपने वर्तमान निवेश पर कोई रिटर्न नहीं कमा रहा है।

ज. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

110. भारतीय उद्योग के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क को लागू करना व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी उत्पादों के खुदरा उपभोक्ताओं को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा, जैसा कि अतीत में किया था। 2017 में पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के बाद, भारत में संबद्ध वस्तुओं की कमी हो गई थी और घरेलू उत्पादकों ने अपनी बिक्री कीमतों में वृद्धि की थी जिससे एमएसएमई क्षेत्र उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया था, जिसने ऐसी वृद्धि के कारण हानियों का सामना किया था।

ख. एलएबी कीमतों में 10% वृद्धि के कारण एलएबी एसए में 8-9% वृद्धि होगी, जो 32 मिलियन अमरीकी डालर की कुल वृद्धि का कारण बनेगा, जो उपभोक्ताओं के व्यय पर एलएबी उत्पादकों को लाभ पहुंचाएगा।

ग. एलएबी डिटर्जेंट के लिए उत्पादन की लागत का 35-45% स्थापित करता है। एलएबी की बिक्री कीमत में कोई भी वृद्धि डिटर्जेंट विनिर्माताओं पर उल्लेखनीय प्रभाव डालेगी। 10% पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग पर 3.8% से अधिक पड़ता है जो छोटे मार्जिनों पर काम करता है।

घ. डिटर्जेंट विनिर्माताओं ने उस समय अपनी कीमतों को कम नहीं किया जब सोडा एश और एलएबी की कीमत में कमी हुई थी क्योंकि वे कच्चे माल की कीमतों में कमी के बाद भी हानियों का सामना कर रहे थे। जब सोडा एश और एलएबी की कीमतों में वृद्धि के साथ, प्रयोक्ताओं को उच्च कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए सोडा एश और लैब के प्रयोग में कमी करने के द्वारा अपने फार्मलेशंस को समायोजित करने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसी कीमतों में कमी होने के समय, पुराने फार्मलेशंस को प्रयोक्ता उद्योग द्वारा पुनः स्थापित किया गया।

ङ. रोजगार प्रदान करने के संदर्भ में डाउनस्ट्रीम उद्योग एलएबी उद्योग की तुलना में बहुत बड़ा है। अतः शुल्कों को लागू किया जाना केवल दो छोटे उत्पादकों को लाभ पहुंचाने की कीमत पर एक बड़े उद्योग पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा।

च. यह दावा कि प्रमुख प्रयोक्ताओं ने भाग नहीं लिया है और इसलिए, प्रयोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का किसी साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोप, डिटर्जेंट और होम केयर प्रोडक्ट्स 10000 से अधिक प्रयोक्ताओं की एक एसोसिएशन है और इन्होंने भाग लिया है।

छ. देश में एक उल्लेखनीय मांग-आपूर्ति अंतर है जिसकी क्षमता 700 केटी की मांग के प्रति केवल 450 केटी है। हालांकि मांग बढ़ रही है, विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई क्षमता विस्तार नहीं किया जा रहा है।

ज. आपूर्ति की कमी के कारण उपयोगकर्ता भारतीय उद्योग से खरीद करने में असमर्थ हैं।

झ. इंडोरामा (यूएसए), सासोल (यूएसए), कतर, सेप्सा (स्पेन) और आईएसयू (कोरिया) द्वारा बंद करने की योजना के कारण एलएबी की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति भी बाधित होने की संभावना है। इसके अलावा, आपूर्ति पहले से ही नियोजित की गई है और बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त उत्पाद उपलब्ध नहीं है।

ज. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लागू किए जाने से देश में आने वाले समग्र आयातों में कमी आई है, चूंकि केवल 7 विनिर्माताओं को बीआईएस द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसने संबद्ध वस्तुओं को अन्य स्रोतों से आयातों को सीमित कर दिया है।

ट. पहले प्रवृत्त किए गए शुल्कों के समाप्त होने के छह महीनों के बाद शुल्कों को लागू करना एक अकुशल घरेलू उद्योग के लिए निरंतर संरक्षणवाद को इंगित करता है जो कि उचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध है और प्रयोक्ता उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।

ठ. पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से खुदरा उपभोक्ताओं के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी उत्पादों की लागत में वृद्धि होगी।

ड. डिटर्जेंट विनिर्माता डाउनस्ट्रीम उद्योग की कीमत से कम कीमत पर भारत-एशियन एफटीए के तहत डिटर्जेंट का नियंत्रित कर रहे हैं। डिटर्जेंट के कच्चे माल की कीमत में कोई भी वृद्धि भारतीय विनिर्माताओं को पूरी तरह से अप्रतिस्पर्धी बना देगी।

८. बड़ी संख्या में प्रयोक्ताओं ने वर्तमान जांच परिणामों को लागू करने और पिछले मामले में शुल्कों को समाप्त करने के विरुद्ध ऑल इंडिया फेडेरेशन ऑफ सोप, डिटरजेंट और होमकेयर प्रोडक्ट्स के जरिए अनुरोध दायर किए हैं।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

111. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:-

- क. भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति अंतर नहीं है और वास्तव में भारतीय उद्योग के पास, जब इसकी भारतीय मांग से तुलना की जाती है तो, कुल मिलाकर अत्यधिक क्षमता है।
- ख. यह एक भली भांति स्थापित सिद्धांत है कि जहां मांग-आपूर्ति अंतर है, वहां आयात अनिवार्य हो जाते हैं किन्तु यह पाटन के लिए एक औचित्य नहीं माना जा सकता है।
- ग. संबद्ध वस्तुओं को अन्य देशों से आयात किया जा सकता है जैसे चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ओमान, सउदी अरेबिया, साउथ कोरिया, स्पेन और थाइलैंड।
- घ. शुल्कों को लागू करने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर नगण्य प्रभाव होगा, क्योंकि एलएबी की कीमत में 5% की वृद्धि के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत में 1% से भी कम की वृद्धि होगी।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों ने जानबूझकर संवितरण चैनल में प्रत्येक पक्षकार के लिए शुल्क संघटक पर लाभ मार्जिन को जोड़ने के द्वारा डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर शुल्कों के प्रभाव के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया है।
- च. कीमत में सिर्फ 1% की वृद्धि से विशाल डिटरजेंट उद्योग को आयातों के विरुद्ध अप्रतिस्पर्धी नहीं माना जा सकता।
- छ. डिटरजेंट की कीमतें एलएबी की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी हैं और इसलिए इस बात का कोई संकेत नहीं है कि शुल्कों को लागू करने से डिटर्जेंट की कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- ज. शुल्कों को लगाने से उचित बाजार स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके परिणामस्वरूप आयातों की तुलना में घरेलू उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे विदेशी मुद्रा के बहिर्भूमन पर नियंत्रण होगा।
- झ. एलएबी का प्रयोग लाउंड्री, बर्टन, घरेलू सफाई संबंधी उत्पादों का विनिर्माण करने में किया जाता है और इसलिए यह अनिवार्य है कि उत्पाद का उत्पादन भारत में ही किया जाए।
- ञ. भारतीय उद्योग द्वारा किए जा रहे ताजा निवेशों को सुरक्षित रखने के लिए एक समान स्तर पर व्यापार को बनाए रखने की जरूरत है।
- ट. एक स्वस्थ घरेलू उद्योग प्रयोक्ताओं के हित में है, ताकि वे आयातों पर और निर्यातकों की दया पर पूरी तरह से निर्भर न रहें जो उनका शोषण कर सकते हैं।
- ठ. एलएबी पर शुल्कों की समाप्ति, एलएबी एसए उद्योगों के निष्पादन में किसी महत्वपूर्ण सुधार को नहीं दर्शाता हैं बल्कि शुल्क के किसी विपरीत प्रभाव की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं।
- ड. एलएबीएसए उद्योग केवल एक अस्थायी उद्योग है और वे निरपवाद रूप से कीमत में किसी भी परिवर्तन को अपने डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर डाल देंगे।
- ढ. प्रयोक्ताओं ने 2017-2022 के बीच शुल्कों के संबंध में कोई भी चिन्ता नहीं दर्शायी है।
- ण. घरेलू उद्योग अनुचित पाटन के विरुद्ध उपचार की मांग करने के लिए गलत नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, पिछले और प्रस्तावित शुल्कों के बीच 2.5 वर्षों का अंतर है।
- त. एलएबी का प्रयोग मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र की कंपनियों जैसे प्रोक्टर एंड गैंबल, हिन्दुस्तान यूनिलीवर, निरमा लिमिटेड, आरएसपीएल, फेना, ज्योति लैब्स आदि के द्वारा किया जाता है न कि एमएसएमई सैक्टर के द्वारा।
- थ. घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण निवेशों के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होने में असमर्थ है क्योंकि वर्तमान लाभप्रदता के आधार पर भुगतान अवधि दो दशकों से अधिक होगी।

ज.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य, सामान्य रूप से पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को स्थापित किया जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी प्रकार से सबद्ध देशों से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि

पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने से भारत में उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को लागू किया जाना यह सुनिश्चित करेगा कि पाटन पद्धति द्वारा कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ता को विस्तृत चयन की उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

113. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क को लागू करने से जनता के हित पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लागू किए जाने के प्रभाव पर, उत्पाद साथ ही घरेलू उद्योग के प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा कुल मिला कर सामान्य जनता पर इसके प्रभाव के बारे में विचार किया है। यह निर्धारण वर्तमान जांच की अवधि में प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्य पर आधारित है।

114. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्यों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से मतों को आमंत्रित करते हुए जांच शुरूआत अधिसूचना जारी की है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच जिसमें उनके परिचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के सभी संभव प्रभाव शामिल हैं, के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है।

115. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने से डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत उपभोग कारकों और डिटरजेंट तथा विचाराधीन उत्पाद की वर्तमान कीमतों के आधार पर कीमत में 5% तक की वृद्धि के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत में 1% से भी कम की वृद्धि होगी। जैसाकि नीचे सारणी से देखा जा सकता है, 5% शुल्क को लागू करने के परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं की लागत में केवल 0.58% की वृद्धि होगी। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने का प्रयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव होगा।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	मूल्य
क.	मानक ठोस डिटर्जेंट उत्पाद	कि.ग्रा.	1
ख.	डिटर्जेंट की वर्तमान बाजार कीमत	रु./कि.ग्रा.	140
ग.	प्रयुक्त एलएबी की मात्रा	प्रति कि.ग्रा.	0.12
घ.	एलएबी की वर्तमान बाजार कीमत	रु./कि.ग्रा.	135
ड.	डिटर्जेंट में प्रयुक्त एलएबी की लागत	रु.	16.20
च.	शुल्क के लागू होने के बाद प्रतिशत वृद्धि	%	5%
छ.	डिटर्जेंट में प्रयुक्त एलएबी की लागत में वृद्धि	रु.	0.8
ज.	डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	0.58%

116. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि अंतिम डाउनस्ट्रीम उत्पाद, जो कि डिटरजेंट हैं, की कीमतों में एलएबी और अन्य कच्चे माल की कीमत के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने डिटरजेंट, एलएबी और अन्य कच्चे माल, सोडा एश की कीमतों में परिवर्तन को प्रस्तुत किया है।

117. यह नोट किया गया है कि डिटरजेंट की कीमतों में उस समय वृद्धि हुई थी, जब सोडा एश और एलएबी की कीमतों में वृद्धि हुई थी। तथापि, डिटरजेंट की कीमतें उस समय स्थिर बनी रहीं जब सोडा एश और एलएबी की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में, यदि एलएबी की कीमतों में मासूली वृद्धि होती है तो इसका डाउनस्ट्रीम उत्पादकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

118. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतर के कारण आयात अनिवार्य हैं और उन्हें आयातों के लिए अधिक कीमत अदा करने के लिए विवश होना पड़ेगा। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर भारत में पाटन के लिए कोई औचित्य नहीं है। चाहे देश में मांग-आपूर्ति अंतर विद्यमान हो, यह जरूरी है कि उत्पाद उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। पाटनरोधी शुल्क विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता को बाधित नहीं करेगा किन्तु यह सुनिश्चित करेगा कि वह उचित कीमतों पर उपलब्ध हो। वास्तव में, बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थापना और अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है जो मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने में सहायता करेगा।

119. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि उत्पाद को अन्य देशों जैसे चीन, इंडोनेशिया, इटली, जापान, ओमान, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, स्पेन और थाइलैंड से भी घरेलू रूप से वस्तुओं को प्राप्त करने सहित, आयात किया जा सकता है। दूसरी ओर, यह नोट किया गया है कि देश में संबद्ध वस्तु के चार उत्पादक हैं। यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है तो, घरेलू उद्योग के परिचालनों की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। इसलिए, घरेलू उत्पाद की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि घरेलू उत्पादक उचित कीमतों पर लाभप्रद बने रहें।

120. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी कहा है कि पाटनरोधी शुल्कों की समाप्ति के सिर्फ छह महीनों के बाद ही शुल्कों को लागू करने का कोई तकार्धा नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार अथवा पाटनरोधी नियमावली में शुल्कों के समाप्त होने और शुल्कों को दोबारा लागू करने के बीच कोई समय सीमा अथवा अंतर अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जांच के अनुसरण में शुल्कों को लागू किया जाना पिछले शुल्कों की समाप्ति के पश्चात लगभग 3 वर्ष के पश्चात होगा, जिस दौरान घरेलू उद्योग ने क्षति का सामना किया है।

121. यह भी दावा किया गया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग का आकार एलएबी उद्योग की तुलना में काफी बड़ा है और शुल्कों को लगाया जाना डाउनस्ट्रीम उद्योग के लिए उचित नहीं होगा। यह नोट किया गया है कि उद्योग का आकार इस बात पर विचार किए जाने के लिए कोई कारण नहीं हो सकता कि क्या शुल्क लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना किया है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि शुल्कों को लागू किए जाने का इसके आकार पर ध्यान दिए बिना डाउनस्ट्रीम उद्योग की लागतों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।

ट. प्रकटन के पश्चात टिप्पणियाँ

ट.१. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

122. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

- क. ईरान से आयातित एलएबी निम्न गुणवत्ता का है तथा बीआईएस प्रमाणन मानकों को पूरा करने में लगातार विफल रहा है, जिसके कारण जांच अवधि की पिछली दो तिमाहियों में ईरान से आयात पूरी तरह रुक गया है। किसी भी कथित क्षति के लिए ईरानी आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
- ख. आईसीआईआईसी तथा उसके निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य दाखिल किए गए प्रत्युत्तर के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। अप्रत्याशित सीमा तनाव के कारण आईसीआईआईसी दावा किए गए निर्यात मूल्य के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ था। तथापि, निर्यातक आवश्यक कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार है।
- ग. निर्यात मूल्य में समायोजन, सत्यापन योग्य सीमा तक दाखिल किए गए प्रत्युत्तर पर आधारित होना चाहिए।
- घ. घरेलू उद्योग एलएबी के वास्तविक उत्पादन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि इसमें एलएबी के दो सबसे बड़े उत्पादक शामिल नहीं हैं; तथा इसमें कोई भी पिछड़ा-एकीकृत उत्पादक भी शामिल नहीं है।
- ङ. ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने आरआईएल तथा आईओसीएल से कोई सूचना नहीं मांगी है अथवा उन्हें प्रश्नावली नहीं भेजी है, जैसा कि पिछले मामलों में किया गया है।
- च. भारतीय उद्योग के समग्र स्वास्थ्य का व्यापक और सटीक मूल्यांकन प्रदान करने के लिए आरआईएल और आईओसीएल को शामिल करना आवश्यक है और यह सुनिश्चित करना है कि क्षति का निर्धारण केवल उद्योग के एक उपसमूह के लिए ही न किया जाए।

छ. प्राधिकारी को सऊदी अरब और थाईलैंड से आयात के प्रभाव की फिर से जांच करनी चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि क्या ऐसे आयातों से घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है, भले ही आवेदकों ने अपने आवेदन में कोई आरोप नहीं लगाया हो।

ज. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत आयात मात्रा और प्रकटीकरण विवरण में प्राधिकारी द्वारा उपयोग की गई मात्रा में विसंगति है। जबकि याचिका में कतर से आयात में गिरावट दिखाई गई, प्रकटीकरण विवरण में ऐसे आयात में वृद्धि दर्ज की गई है।

झ. कतर से आयात में वृद्धि अस्थायी है, और यह एलएबी के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन का परिणाम है, जिसने अन्य देशों से आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

अ. प्रकटीकरण विवरण में आवेदकों के घरेलू उत्पादन हिस्से, कर्मचारियों की संख्या और पीबीआईटी का अगोपनीय सारांश शामिल नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने व्यापार नोटिस 10/2018 के अनुसार पूर्ण डेटा का खुलासा नहीं किया है। अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है, और महत्वपूर्ण उत्पादन और बिक्री से संबंधित जानकारी को रोक दिया गया है, जिससे इच्छुक पक्षों की सार्थक प्रतिक्रिया देने की क्षमता सीमित हो गई है।

ट. मूल्य कटौती की जांच समग्र जांच अवधि के लिए की जानी चाहिए, न कि प्रत्येक तिमाही के लिए।

ठ. विशेष रूप से कतर से संबंधित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया नहीं है।

ड. घरेलू उद्योग की मूल्य निर्धारण चुनौतियां और मात्रा मापदंडों में गिरावट इसकी अपनी परिचालन अकुशलता से उपजी है, क्योंकि उनके संयंत्र पुराने और मूल्यहास वाले हैं।

ढ. आयात कीमतों और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई सहसंबंध नहीं प्रतीत होता है।

ण. याचिकाकर्ताओं के लागत-मूल्य अंतर की स्व-प्रदत्त प्रकृति के बारे में बार-बार प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण को स्वीकार नहीं किया गया है या रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। उनकी बिक्री की लागत कड़े माल की कीमतों के अनुरूप नहीं थी, जबकि आंतरिक बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी बिक्री कीमतें कृत्रिम रूप से कम रहीं।

त. उपयोगकर्ता संघ एडीडी के कथित नगण्य प्रभाव पर प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तुत गणना से असहमत है। एमएसएमई निर्माताओं के लिए लागत प्रभाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिनके डिटर्जेंट की कीमतें ₹60-₹70/किलोग्राम की सीमा में हैं, न कि ₹140/किलोग्राम जैसा कि माना जाता है।

थ. 0.12 के उपभोग कारक और 10% एडीडी के साथ, एमएसएमई उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम उत्पाद लागत पर वास्तविक प्रभाव 3.8% से अधिक है।

द. भारत में मांग-आपूर्ति का अंतर बढ़ता जा रहा है। मांग 7,00,000 मीट्रिक टन के करीब है और घरेलू उत्पादन क्षमता सीमित है, इसलिए उपयोगकर्ता उद्योग आयात के बिना अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। उद्धृत किए गए अधिकांश वैकल्पिक स्रोत बीआईएस प्रतिवंधों के कारण भारत को निर्यात करने में असमर्थ हैं।

ध. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकारी के मामले में निर्णय में कहा गया है कि गैर-एकीकृत उत्पादकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि प्राधिकारी को पूरे उद्योग के लिए क्षति विश्लेषण करना चाहिए।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

123. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटीकरण के बाद निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

क. कैप्टिव इनपुट का मूल्यांकन उसके उत्पादन की पूरी लागत पर नहीं किया गया है और इसके बजाय, कड़े माल और उपयोगिताओं में से सबसे कम और क्षमताओं के उच्चतम उपयोग को गैर-क्षतिकारी मूल्य के निर्धारण के लिए माना गया है।

ख. कैप्टिव इनपुट की लागत का अनुकूलन पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-III के प्रावधानों के दायरे से बाहर है, साथ ही प्राधिकारी की पिछली प्रथा भी इससे बाहर है।

ग. प्राधिकारी द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में, प्राधिकारी ने स्वीकार किया कि जहां कैप्टिव इनपुट को लागत पर स्थानांतरित किया जाता है, वहां पुस्तकों में दर्ज ऐसी लागत को गैर-

क्षतिकारी मूल्य के निर्धारण के लिए माना जाता है। 29 दिसंबर 2015 को आयोजित डीजीटीआर बैठक के कार्यवृत्त में प्राधिकारी द्वारा इसी तरह की स्थिति अपनाई गई थी।

घ. अतीत में, ई यू, कोरिया आरपी, चीन पीआर और ताइवान से पोटेशियम कार्बोनेट और रूस से पीटीएफई के मामले में, प्राधिकारी ने माना कि कैप्टिव इनपुट के उत्पादन की लागत घरेलू उद्योग के वास्तविक रिकॉर्ड पर आधारित होगी।

ड. इस अवधि में उपयोगिताओं के उपयोग में कोई अक्षमता नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग ने लागत में कमी हासिल करने के लिए एक उपयोगिता के पक्ष में अन्य की खपत को कम कर दिया है। उपयोगिताओं की उपलब्धता, बाजार की स्थितियों और लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसा बदलाव जानबूझकर किया गया था।

च. केवल 22% का रिटर्न देना अनुचित है क्योंकि दोनों घरेलू उद्योगों के संयंत्र बहुत पुराने और मूल्यहास हो चुके हैं। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अतीत में बहुत अधिक रिटर्न हासिल किया था जब कोई डंपिंग नहीं थी और इस तरह, अतीत में अर्जित रिटर्न का औसत विचार किया जाना चाहिए।

छ. घरेलू उद्योग को नुकसान डंप किए गए आयातों के कारण हुआ है, न कि किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण।

ज. शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, तथा मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए विषयगत देशों से आयात उचित कीमतों पर जारी रह सकता है।

झ. रसायन और संबद्ध उत्पादों, जैसे एलएबी, के उत्पादन में लगे सभी उद्योगों के लिए नियोजित शटडाउन नियमित है, तथा इस तरह के शटडाउन वर्तमान अवधि के लिए अद्वितीय नहीं हैं। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अतीत में नियोजित शटडाउन ने उत्पाद की कमी पैदा की है।

ज. आपूर्ति की कोई भी कमी अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुई है, जो घरेलू उद्योग के नियंत्रण से परे हैं।

ट. डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता, जो बड़े पैमाने पर संगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, शुल्क लगाने से प्रभावित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपयोगकर्ता अतीत में भी प्रभावित नहीं हुए थे।

ठ. शुल्क लगाने से भारतीय उद्योग में कोई एकाधिकार स्थिति पैदा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कई उत्पादक हैं। इसके अलावा, अतीत में जब शुल्क लगाए गए थे तो कोई एकाधिकार नहीं बनाया गया था।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

124. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों की जांच की है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ उन तर्कों और तर्कों की पुनरावृत्ति हैं जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है और इसलिए, इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यकतानुसार संबोधित की गई हैं। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकारी ने इस प्रकटीकरण पश्चात जांच में ऐसे मुद्दों पर उत्तरों को दोहराने से परहेज किया है। हालाँकि, प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही वे मुद्दे जिन्हें पहले संबोधित किया गया था लेकिन जिनकी आगे जांच करना आवश्यक समझा गया, उनका समाधान नीचे किया गया है।

125. ईरान से आयात की कथित घटिया गुणवत्ता और बीआईएस मानकों को पूरा करने में उनकी विफलता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसे पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और विचाराधीन उत्पाद से संबंधित अनुभाग में इसका समाधान किया जा चुका है। इसलिए, प्राधिकारी इस तर्क में कोई दम नहीं पाते हैं कि ईरान से आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के साथ तुलनीय नहीं है। इसके अलावा, इस तर्क के संबंध में कि पिछली दो तिमाहियों में ईरान से उपरोक्त आयात बंद हो गया था और इससे घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी को संपूर्ण जांच अवधि में पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है। इसके अलावा, एक ही समय में हुई क्षति के साथ पाटित आयातों के प्रभाव की तुलना सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकारी ने जांच अवधि की प्रत्येक तिमाही के लिए पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। परिणामस्वरूप, जहां मौजूद ईरानी आयातों को प्रासंगिक अवधि के लिए ध्यान में रखा गया है।

126. ईरान के उत्पादक और उनके निर्यातकों द्वारा उनके निर्यात मूल्य पर विचार करने के संबंध में दिए गए तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातकों को उनके द्वारा दावा किए गए निर्यात मूल्य के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया गया था। चूंकि पाटनरोधी जांच एक

समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे पक्षकारों को आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई और अवसर प्रदान करेंगे। निर्यात मूल्य में समायोजन के संबंध में, प्राधिकारी ने केवल उस सीमा तक समायोजन किया है, जहां तक कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे दावे सत्यापन योग्य थे, जो कि पिछली जांचों में अपनाई गई सुसंगत प्रथा के अनुरूप है।

127. अन्य हितबद्ध पक्षों का यह तर्क कि क्षति थाईलैंड और सऊदी अरब से आयात के कारण हुई है, नोट किया गया है। यद्यपि इन देशों के संबंध में याचिका में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए गए थे, प्राधिकारी ने गैर-विषयगत देशों से मूल्य स्तरों और मात्राओं सहित समग्र आयात स्थिति का मूल्यांकन किया है। तथापि, पाटनरोधी जांच उन देशों के विरुद्ध निर्देशित की जाती है जिनके विरुद्ध आवेदन में पाटन और क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिए गए हैं। वर्तमान जांच विषयगत देशों के संबंध में पृष्ठ दावों के आधार पर शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया है, सऊदी अरब और थाईलैंड से आयात की कीमत विषयगत आयातों से अधिक थी। इस प्रकार, ऐसे आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
128. घरेलू उद्योग की प्रतिनिधित्व क्षमता के बारे में, प्राधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता नियमों के तहत आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हैं। प्राधिकारी ने अन्य घरेलू उत्पादकों सहित सभी इच्छुक पक्षों की भागीदारी के लिए भारत के राजपत्र और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जांच आरंभ करने की अधिसूचना प्रकाशित की। इसके अलावा, प्राधिकारी ने भारत में विषयगत वस्तुओं के अन्य घरेलू उत्पादकों को वर्तमान जांच आरंभ करने के बारे में विधिवत सूचित किया। हालांकि, आरआईएल और आईओसीएल से कोई प्रस्तुतिकरण या प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों की गैर-भागीदारी घरेलू उद्योग की योग्यता को अमान्य नहीं करती है, क्योंकि उनका घरेलू उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, जैसा कि नियम 2(बी) के तहत अपेक्षित है।
129. आयात मात्रा प्रवृत्ति में अंतर के बारे में इच्छुक पक्षों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि निष्कर्षों के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से लेनदेन-वार आयात डेटा पर भरोसा किया है। इसलिए, आयात मात्रा की प्रवृत्ति में मामूली उतार-चढ़ाव को उसी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
130. कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल के मानकीकरण/अनुकूलन के बारे में घरेलू उद्योग के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-क्षतिकारी मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुलग्नक-III के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। गैर-क्षतिकारी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के तत्वों से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल, उपयोगिताओं का सर्वोत्तम उपयोग, जिसका उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए किया जाता है, जांच की अवधि में दर लागू करते हुए कच्चे माल और उपयोगिताओं की लागत निर्धारित करने के लिए विचार किया जाता है। कच्चे माल और उपयोगिताओं के अकुशल उपयोग से घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। जहां तक कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल की लागत के मानकीकरण/अनुकूलन का संबंध है, प्राधिकारी नोट करता है कि पीयूसी के लिए प्रयुक्त सभी कच्चे माल के साथ-साथ कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल की लागत का निर्धारण ऊपर वर्णित पद्धति के अनुसार किया जाता है तथा कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चे माल की लागत के निर्धारण के लिए कोई अलग पद्धति नहीं है।
131. अन्य इच्छुक पक्षों और घरेलू उद्योग द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में दिए गए तर्कों के संबंध में, जिस पर एनआईपी के निर्धारण के लिए विचार किया जाना है, यह दोहराया जाता है कि प्राधिकारी की सतत कार्यप्रणाली के अनुसार, पीयूसी के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल संपत्तियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व 22%) को व्याज, कॉर्पोरेट कर और लाभ की वसूली के लिए अनुमति दी गई है, ताकि एनआईपी पर पहुंचा जा सके, जैसा कि नियमों के अनुबंध III में निर्धारित किया गया है।

132. उपयोगिता मिश्रण में परिवर्तन करके उपयोगिताओं के कुशल उपयोग पर घरेलू उद्योग के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि उपयोगिता की लागत निर्धारित करने के लिए, पिछले तीन वर्षों में उपयोगिताओं के सर्वोत्तम उपयोग और जांच की अवधि को जांच की अवधि की दर पर माना जाता है। यह अभ्यास घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जांच की अवधि और क्षति अवधि के लिए सूचना/आंकड़ों के आधार पर किया जाता है और प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाता है। उपयोगिता के कुशल उपयोग को निर्धारित करने के लिए अपनाई गई पद्धति पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुसार है, जिसे लगातार लागू किया जाता है।

133. याचिकाकर्ताओं के लागत-मूल्य अंतर की स्व-प्रदत्त प्रकृति के संबंध में तर्क के संबंध में, प्राधिकारी पुनः दोहराते हैं कि बिक्री की लागत 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर 208 सूचकांक अंक हो गई है, जबकि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर 153 सूचकांक अंक हो गया है, जो बिक्री की लागत की तुलना में उचित वृद्धि नहीं है।

134. अत्यधिक गोपनीयता और अपर्याप्त अगोपनीय सारांशों पर प्रस्तुतीकरण की जांच की गई है। प्राधिकारी ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने यथासंभव जानकारी के अगोपनीय संस्करण प्रदान किए हैं, और पाटनरोधी नियमों के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया गया है।

135. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में इच्छुक पक्षों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता है, और यदि मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है, तो अंतर को पाटने के लिए उचित कीमतों पर आयात जारी रह सकता है। इसका उद्देश्य आपूर्ति को प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।

136. तिमाही आधार पर मूल्य कटौती की जांच के संबंध में तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में एलएबी की कीमतों में उतार-चढ़ाव था और प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पिछली जांच में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था। इसलिए, प्राधिकारी ने तिमाही आधार पर मूल्य कटौती की जांच करना उचित समझा। हालांकि, जांच की अवधि में समग्र मूल्य कटौती का आकलन करने के लिए तिमाही मूल्य कटौती का भारित औसत निर्धारित किया गया है।

137. उपयोगकर्ता उद्योग ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने 140 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर एडीडी लगाने के प्रभाव की गणना की है, जो बाजार में प्रचलित कीमत से बहुत अधिक है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उपलब्ध जानकारी और क्षति मार्जिन पर आधारित शुल्क के आधार पर, 60-70 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर ऐसे शुल्क का प्रभाव भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है।

ठ. **निष्कर्ष**

138. प्रस्तुत किए गए निवेदनों, उपलब्ध कराई गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है तथा उपरोक्त विश्लेषण और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

- विचाराधीन उत्पाद का दायरा कतर और ईरान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "रैखिक अल्काइल बेंजीन" है।
- विषयगत वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 38 के अंतर्गत समर्पित टैरिफ कोड 3817 0011 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- आवेदन निरमा लिमिटेड और तमिलनाडु पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक नियमों के नियम 2(बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।
- विषयगत वस्तुएँ कतर और ईरान से निर्यात की जाती हैं और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएँ पाटनरोधी नियम, 1995 के नियम 2(घ) के अनुसार एक दूसरे के समान वस्तुएँ हैं।

v. विचाराधीन उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर और महत्वपूर्ण है।

vi. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

vii. इस अवधि के दौरान कुल आयातों में संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों से आयातों में वृद्धि की तुलना में संबद्ध आयातों में उच्च दर से वृद्धि हुई है।

viii. उत्पादन और मांग (कैप्टिव को छोड़कर) के संबंध में संबद्ध आयातों में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है तथा जांच अवधि में इसमें गिरावट आई है।

ix. जांच अवधि की तीन तिमाहियों में संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है।

x. संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।

xi. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्रमशः ***% और ***% की गिरावट आई है।

xii. जांच अवधि में मामूली वृद्धि के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में कुल मिलाकर गिरावट आई है।

xiii. जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2020-21 में ***% से घटकर ***% हो गई। दूसरी ओर, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

xiv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के औसत इन्वेंटरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2020-21 की तुलना में 102% बढ़ी है।

xv. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता आधार वर्ष की तुलना में 103% कम हो गई।

xvi. घरेलू उद्योग को इस अवधि में नकद लाभ में भी गिरावट का सामना करना पड़ा है। आधार वर्ष की तुलना में नकद लाभ में 96% और पिछले वर्ष की तुलना में 72% की गिरावट आई है।

xvii. डंप किए गए मूल्यों पर आयात ने घरेलू उद्योग की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xviii. ऐसा प्रतीत होता है कि किसी अन्य कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है।

xix. पाटनरोधी शुल्क लगाना व्यापक सार्वजनिक हित में है।

ड. सिफारिशें

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति, और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की शुरुआत और जांच आयोजित करते हुए, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की जरूरत है। इसलिए: प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं।

140. इसके अतिरिक्त, एचएस कोड 3817 00 11 के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी इस कोड के अंतर्गत आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क वसूलने की सिफारिश करते हैं।

141. अनुसरण किए गए कमतर शुल्क के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के समकक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने की सिफारिश करते हैं:

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष	विवरण	मूल का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3817 00 11*	लाइनियर एल्काइल बेंजीन#	ईरान	ईरान	ईरान केमिकल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट कंपनी.	14	एमटी	यूएस.डॉ.
2	-वही-	-वही-	ईरान	ईरान सहित कोई भी देश	(1) के अतिरिक्त कोई अन्य	54	एमटी	यूएस.डॉ.
3	-वही-	-वही-	ईरान और कतर के अतिरिक्त कोई अन्य देश	ईरान	कोई भी	54	एमटी	यूएस.डॉ.
4	-वही-	-वही-	कतर	कतर	एसईईएफ लिमिटेड	31	एमटी	यूएस.डॉ.
5	-वही-	-वही-	कतर	कतर सहित कोई अन्य देश	(4) के अतिरिक्त कोई अन्य	62	एमटी	यूएस.डॉ.
6	-वही-	-वही-	कतर और ईरान के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कतर	कोई भी	62	एमटी	यूएस.डॉ.

* नोट-सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है, तथा पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के विवरण के अनुसार किया जाएगा।

इस उत्पाद को आम तौर पर वाणिज्यिक भाषा में लीनियर अल्काइल बेंजीन या एलएबी के नाम से जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद में मिश्रित अल्काइल बेंजीन शामिल हैं, और विशेष रूप से मिश्रित अल्काइल नेफ्थलीन को बाहर रखा गया है।

142. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा तथा इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8बी, 9, 9ए के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

ज.

आगे की प्रक्रिया

143. इस अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 26th March, 2025

CASE NO- AD (OI)-05/2024

Subject: Final findings in the anti-dumping investigation concerning imports of “Linear Alkyl Benzene” (LAB) originating in or exported from Iran and Qatar.

F. No. 6/05/2024-DGTR

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) received an application from Nirma Limited and Tamilnadu Petroproducts Limited (hereinafter also referred to as the “applicants” or the “domestic industry”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “AD Rules” or the “Rules”) requesting initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Linear Alkyl Benzene”(LAB), (hereinafter also referred to as the “subject goods”, “LAB” or the “product under consideration”) originating in or exported from Iran and Qatar (hereinafter also referred to as the “subject countries”).
2. And whereas, based on a duly substantiated application filed with sufficient *prima facie* evidence of dumping and injury due to imports from subject countries filed by the applicants, the Authority issued a public notice vide notification No 6/05/2024-DGTR dated 29th March 2024, published in Part-I Section-I of the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.

b. The Authority issued a notification vide No 6/05/2024-DGTR dated 29th March, 2024 published in the in the Part-I Section-I of Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.

c. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, known importers / users in India as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicants. The interested parties were asked to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their submissions known in writing within the time limit prescribed in the initiation notification.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The embassies of the subject countries in India were sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters with the request to advise the exporters/producers from their country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification.

f. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the document filed before the Authority.

g. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter referred to as “EIQ”) to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.

h. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- i. Iran Chemical Industries Investment Co.
- ii. Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C.

i. In response to the initiation notification, the following producers/exporters of the product under consideration from subject countries have registered as an interested party and filed questionnaire responses.

- i. Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C
- ii. SEEF Limited, Qatar
- iii. Iran Chemical Industries Investment Co.
- iv. Alkyne Trading LLC
- v. Cluster Trading LLC
- vi. Erbium Trading LLC
- vii. Safe Chemical FZE
- viii. Bisotun Petrochemical Company

j. Bisotun Petrochemical Company, a producer from Iran, filed a letter clarifying that they did not export to India during the period of investigation.

k. The Authority sent questionnaire to the following known importers / users of the subject goods in India in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

- i. A.R. Stanchem Pvt. Ltd.
- ii. A.R. Sulphonates Private Limited
- iii. Abdos Consumer Care Limited
- iv. Advance Surfactants India Limited
- v. Anand Chemicals
- vi. Barkur Surfactants Pvt. Ltd.
- vii. Bharathi Soap Works
- viii. Bhaskar Venkatesh Products Pvt. Ltd.
- ix. Cymose Products
- x. Devi Cropscience Pvt. Ltd.
- xi. Fashion Suiting (P) Limited
- xii. Fena Private Limited
- xiii. Flora Laboratories
- xiv. Gora Mal Hari Ram Ltd.
- xv. Hipolin Limited
- xvi. Hi-Tech India
- xvii. ISRO Products
- xviii. Kishore Sons Detergents Pvt. Ltd.
- xix. Lingam Chemical Industries
- xx. Man Chemicals
- xxi. Muthukani Industries
- xxii. National Soaps Company
- xxiii. New India Detergents Limited
- xxiv. Orchid Chemicals
- xxv. Power Soaps Ltd.
- xxvi. Prabu Soap Works
- xxvii. Raceme Products
- xxviii. Raja Chemical Works
- xxix. Rajaram Group of Industries
- xxx. Reino Industrial Organics Pvt. Ltd.
- xxxi. Sabari Detergents
- xxxii. Saci Chem
- xxxiii. Sakthi Traders
- xxxiv. Shanti Nath Detergents (P) Limited
- xxxv. Shree Unicorn Organics Private Limited
- xxxvi. Shree Pushpam Industries
- xxxvii. Shiva Soap Works
- xxxviii. Shriram Bharat Chemicals & Detergents (P) Ltd.
- xxxix. Shunmuga Industries
- xl. Skill Dyechem
- xli. Sree Manakula Vinayaga Chemicals
- xlii. Standards Surfactants Ltd.
- xliii. Silver Chemicals

- xliv. S. Kumars Detergents Pvt. Ltd.
- xlv. S.S Enterprises
- xlvi. Vardaan Detergent Private Limited

- l. The following importers/users have registered themselves as interested parties:
 - i. Sai Fertilizers & Phosphates Pvt. Ltd.
 - ii. A.R. Sulphonates Pvt. Ltd.
 - iii. Laxmi Agro Industrial Consultants & Exporters Ltd.
 - iv. KLJ Resources Limited
- m. The following importers/users have submitted questionnaire responses to the Authority:
 - i. Sai Fertilizers & Phosphates Pvt. Ltd.
 - ii. A.R. Sulphonates Pvt. Ltd.
 - iii. Laxmi Agro Industrial Consultants & Exporters Ltd.
 - iv. KLJ Resources Limited
- n. The following users/importers associations have registered themselves as interested parties:
 - i. All India Federation of Soaps, Detergents and Homecare Products' Manufacturers ("AIFSDHPM")
 - ii. Bengal Soaps & Detergents Manufacturers Welfare Association
- o. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2022 to 30th September 2023 (12 months). The injury investigation period covers the periods 1st April 2020 – 31st March 2021, 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023 and the period of investigation.
- p. The DG System & DGCI&S were requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury investigation period. The same were received by the Authority and considered at the stage of initiation of the investigation as well as for the final findings.
- q. Interested parties were provided 15 days' time from the date of circulation of intimation letters, to file their comments on the scope of product under consideration (PUC) and product control numbers (PCN) methodology. No comments or submissions were received from interested parties on the scope of PUC and PCN methodology. Therefore, the Authority vide notification having No 6/05/2024-DGTR dated 3rd June, 2024 notified the scope of PUC and also notified that no PCN methodology was adopted.
- r. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally regarding the subject investigation in a public hearing held on 12th November, 2024. The interested parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- s. The non-injurious price (hereinafter referred to as the "NIP") has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the records maintained by the domestic industry on the basis of Generally Accepted

Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- t. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified during on site-verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present findings.
- u. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries was also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present findings.
- v. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April, 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims.
- w. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- x. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- y. In accordance with Rule 16 of Rules *Supra*, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 13th March, 2025 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings.
- z. ‘***’ in this disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- aa. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = Rs. 83.21.

C. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

4. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as-

“3. The product under consideration in the present petition is “linear alkyl benzene”. It is commonly known as linear alkyl benzene or LAB in the commercial parlance. The product under consideration includes mixed alkyl benzenes, and specifically excludes mixed alkyl naphthalenes.

4. LAB is an organic compound with the formula C₆H₅C_nH_{2n+1}. Typically, 'n' ranges between 10 and 16. It is a colourless and doorless liquid, and is slightly soluble in water. It is considered to

be a flammable chemical product. Commercially available LAB is a mixture of substances composed of a benzene ring attached to a single chain of carbon atoms. As such, various isomers are possible since the benzene ring may be positioned at all carbons of the alkyl chain except the terminal carbon.”

C.1. Submissions by other interested parties

5. The other interested parties did not submit any comments on the scope of the product and PCN methodology. However, the other interested parties argued that the product imported from Iran was a different commodity as it had high molecular weight and was inferior in quality in comparison with the quality standards laid down by the Government of India.

C.2. Submissions by the domestic industry

6. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - i. There are no known differences in the product produced by the domestic industry and the product imported from the subject countries.
 - ii. Contrary to claims of other interested parties, Tamilnadu Petroproducts and Indian Oil Corporation Limited produce LAB of high molecular weight.
 - iii. The product produced by Indian producers is technically and commercially interchangeable with the imported product and no evidence was submitted by the interested parties to show that there is a difference between the products.
 - iv. No PCN methodology is required in the facts of the present case.

C.3. Examination by the Authority

7. The Authority has examined the comments made by interested parties as above. It is noted that the opportunity to make comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology was provided to all interested parties through notice of initiation. None of the interested parties commented on the scope of the product under consideration and PCN methodology. Accordingly, the Authority has considered the same scope of the product under consideration, as defined in the notice of initiation. The product under consideration is defined as follows:

“3. The product under consideration in the present petition is “linear alkyl benzene”. It is commonly known as linear alkyl benzene or LAB in the commercial parlance. The product under consideration includes mixed alkyl benzenes, and specifically excludes mixed alkyl naphthalenes.

4. LAB is an organic compound with the formula $C_6H_5C_nH_{2n+1}$. Typically, ‘n’ ranges between 10 and 16. It is a colourless and odorless liquid, and is slightly soluble in water. It is considered to be a flammable chemical product. Commercially available LAB is a mixture of substances composed of a benzene ring attached to a single chain of carbon atoms. As such, various isomers are possible since the benzene ring may be positioned at all carbons of the alkyl chain except the terminal carbon.”

8. The subject goods are classified under Chapter 38 of Schedule I to the Customs Tariff Act, under the dedicated tariff code 3817 00 11. Accordingly, the Authority has considered the above-mentioned tariff code for the purpose of the present investigation. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of product under consideration.
9. The interested parties were advised to file comments on PCN methodology within 15 days of circulation of non-confidential version of documents filed. The interested parties agreed that there was no need for adoption of a PCN methodology, and accordingly, the Authority has not considered a PCN methodology in the present investigation.
10. Some of the other interested parties have contended that the product imported from Iran does not meet the quality standards of the Government of India, due to their high molecular weight. On the other hand, the domestic industry contended that TNPL and Indian Oil Corporation Limited produce LAB of high molecular weight. The Authority notes that the interested parties in their comments to scope of PUC and PCN methodology made no submission regarding the need for product differentiation based on molecular weight. Based on the same, the Authority had concluded that there was no need for a PCN methodology. It is only at the oral hearing stage that the interested parties have alleged that there are different grades of the product, based on molecular weight. The domestic industry in their submission, has clarified that the domestic producers have also produced LAB with a high molecular weight. The matter has been examined, and it is noted that the foreign producers have not demonstrated that the product with high molecular weight does not have comparable characteristics with the domestically produced product. The domestic industry has also submitted that the imported and domestic product is consumed for the same use and are technically & commercially interchangeable and were interchanged, which has not been disputed by the foreign producers. In view of the foregoing, the Authority does not find merit in the contention that the product imported from Iran is not comparable to that supplied by the domestic industry.
11. On the basis of the information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers use the two interchangeably. The other interested parties have also not disputed that the goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods. In view of the same, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject countries.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

12. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the scope of domestic industry and standing:
 - i. The two major producers of the subject goods i.e., Indian Oil Corporation Limited and Reliance Industries Limited have not neither supported nor participated in the subject investigation, despite having provided data in previous investigations.

- ii. The applicants do not constitute major proportion of the Indian industry as they do not account for more than 50% of the total Indian production.
- iii. The production of the applicants is very low, with Nirma using a significant share of its capacity for captive consumption. The Manual of Operating Practices for Trade Remedial Investigations acknowledges that information should be sought from non-participating producers, especially where any major producer has not furnished detailed information.
- iv. Reliance India Limited and Indian Oil Corporation Limited have nationwide production and sales, and thus provide better case studies of direct competition with subject imports.
- v. Non-inclusion of such producers in the injury analysis would skew the analysis in the present investigation.
- vi. In previous cases such as PVC Suspension Resin and Plain Medium Density Fibre Board, the Authority sought data from major producers for examination. The same approach should be adopted in the present case as well.
- vii. Reliance by the domestic industry on various past findings of the Authority with regards to the non-participation of other major producers is misplaced.

D.2. Submissions by the domestic industry

13. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:

- i. The application has been filed by Nirma Limited and Tamilnadu Petroproducts Limited. There are two other domestic producers of the subject goods i.e., Indian Oil Corporation Limited and Reliance Industries Limited that has not opposed the subject investigation.
- ii. The applicants are not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importers of the dumped goods in India.
- iii. The production quantity of the applicants is higher than the individual capacity of Indian Oil Corporation Limited and Reliance Industries Limited.
- iv. The applicants account for a major proportion of the total Indian production and hence constitute 'domestic industry' under Rule 2(b) of the Rules.
- v. Reliance was placed on several investigations particularly *Lubrizol (India) Pvt. Ltd. vs. Designated Authority [2005 (187) E.L.T. 402 (Tri. - Del.)]* wherein CESTAT held that it is not necessary that the production by the applicant must exceed 50% of the total Indian production. The applicants accounting for 31% of the Indian production also constitutes major proportion within the meaning of Rule 2(b).
- vi. Rule 2(b) does not require whole of the Indian industry to be applicants before the Authority. The applicants cannot compel any specific producer to participate in an investigation. There may be more than one major proportions, but the applicants must constitute one of them, as held by WTO in Argentina – Poultry and followed by the Authority in various cases. Such requirement is satisfied in present case.
- vii. The Authority, in a number of investigations, has determined that applicants constituting 30-35% of the total Indian production are eligible to constitute domestic industry.
- viii. The financial performance of Indian Oil Corporation Limited and Reliance Industries Limited and their participation in the previous investigations is not relevant in the subject investigation since the Authority is only required to examine injury caused to the domestic industry by analysing the information provided by the domestic industry and is not obligated to examine the performance of every domestic producer in the country.

D.3. Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

15. The application has been filed by Nirma Limited and Tamilnadu Petroproducts Limited. The applicants have not imported the product under consideration and are not related to any exporter or importer of subject goods in India. In view of the same, the Authority finds that it is eligible to constitute domestic industry under the provisions of Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules. There are two other producers of the subject goods namely, Indian Oil Corporation Limited and Reliance Industries Limited. The production of each producer of the subject goods is as below.

Party	Production	Share in production
Applicants	***	43%
Other domestic producers	***	57%
Total	***	100%

16. The interested parties have emphasized that information must be sought from other domestic producers not participating in the investigation. In this regard, the Authority notes that the applicants constitute a major proportion of the total Indian production. The share of the applicants in Indian production is more than 40% (43%), which is significantly high. There is no legal requirement that the applicants must constitute at least 50% of the total Indian production. As noted by the Panel in *Argentina -Definitive Anti-Dumping Duties on Poultry from Brazil*, “the reference to a major proportion suggests that there may be more than one “major proportion” for the purpose of defining “domestic industry””. It is also noted that the Authority is only required to examine whether the applicants meet the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the AD Rules. The Authority or the domestic industry cannot compel a party to participate in the investigation.

17. Further, the WTO Panel Report, in *EC - Cotton-Type Bed Linen from India*, observed that the information related the domestic producers that are outside the scope of the domestic industry is not relevant to evaluate the economic factors having a bearing on the state of the domestic industry.

“6.182 However, our conclusion with respect to the second aspect of India's claim is different. As we have noted, the determination of injury has to be reached for the domestic industry as defined by the investigating authorities, in this case the 35 producers comprising the "Community industry" as defined by the European Communities. In our view, information concerning companies that are not within the domestic industry is irrelevant to the evaluation of the "relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry" required under Article 3.4. This is true even though those companies may presently produce, or may have in the past produced, the like product, bed linen. Information concerning the

Article 3.4 factors for companies outside the domestic industry provides no basis for conclusions about the impact of dumped imports on the domestic industry itself. If other present or former bed linen producers had been considered part of the domestic industry, the fact that some of them went out of business would be relevant to the evaluation of the impact of dumped imports on the domestic industry. But given that the European Communities defined the domestic industry as 35 producers of bed linen, information concerning other companies does not inform the evaluation of "factors and indices having a bearing on the state of the industry" under Article 3.4 of the AD Agreement, and thus cannot serve as the basis of findings regarding the impact of dumped imports on the domestic industry."

18. The Authority notes that even if Reliance Industries Limited and Indian Oil Corporation Limited are not the applicants, it does not preclude the Authority from examining whether the applicants before it, which constitute a major proportion, have suffered injury.
19. In view of the above, the Authority concludes that the applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, it is held that the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

20. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to confidentiality:
 - i. The domestic industry has claimed excessive confidentiality regarding write-up of production process, volume and value of production of other Indian producers.
 - ii. The domestic industry has claimed excessive confidentiality regarding interest and finance cost and total PBIT, and adjustments made to calculate net export price.
 - iii. The applicants have failed to show good cause for such confidentiality claimed.

E.2. Submissions by the domestic industry

21. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to confidentiality:
 - i. The other interested parties have claimed complete confidentiality regarding all adjustments for normal value and export price comparability.
 - ii. The producers / exporters have violated Trade Notice 10/2018 by claiming confidentiality regarding broad stage-wise production process and names of related parties engaged in production and sale of product under consideration.
 - iii. The information available in the public domain has also been claimed confidential. The producer, SEEF has claimed confidentiality regarding purchase of raw material from related parties, even though the same is available in public domain in Annual Report 2018 of then Qatar Petroleum (holding company of SEEF).
 - iv. The other interested parties have filed their comments on confidentiality, more than two months after the expiry of the deadline, making their submissions time-barred.
 - v. The domestic industry has justified the confidentiality claimed by it.
 - vi. Contrary to claim of parties, write-up on production process has been provided in the application.

- vii. The actual information of other domestic producers cannot be disclosed, since there are only two other producers. The domestic industry has provided details of total Indian production.
- viii. The interest cost and PBIT per unit has been provided as indexed information.
- ix. The applicants were not authorised to disclose the evidence with regard to adjustments made to calculate net export price, as it was procured from third parties.

E.3. Examination by the Authority

- 22. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7) of the Rules.
- 23. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

- 24. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties provided information on a confidential basis were directed to provide sufficient non confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS

F.1. Submissions by other interested parties

- 25. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:
 - i. The quality of Iranian imports is not approved by the Government of India as Iranian producers did not have BIS license during the POI, resulting into no imports from Iran during the end of POI. Thereafter, only 7 manufacturers including Qatar and Iran certified by the BIS.

- ii. In previous investigation into the same product, the Authority had noted that the injury margin for Saudi Arabia was negative at the stage of initiation itself, and thus, excluded Saudi Arabia. However, no such determination made at the stage of initiation in the present case.

F.2. Submissions by the domestic industry

- 26. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.
 - i. The producers from both the subject countries have received BIS licenses with respect to LAB. Iranian producers have also received BIS license after period of investigation.
 - ii. Since LAB is not sold at retail level, All India Federation of Soaps, Detergents and Homecare Products' Manufacturers do not have any standing to participate in the investigation as per Rule 6(5).
 - iii. As held by CESTAT in *ATMA v. Designated Authority*, any association willing to participate as an interested party must establish its credentials by submitting necessary documents as per Trade Notice F. No. 14/44/2016-DGAD. The participating User's association has failed to submit the required documents.
 - iv. Since the domestic industry did not request inclusion of Saudi Arabia or Thailand as subject countries, there is not requirement to record an observation with regards to inclusion or exclusion of such countries.

F.3. Examination by the Authority

- 27. Regarding the claim of the domestic industry, regarding participation of users; the Authority notes that the members of the associations are users of the product under consideration. Therefore, the Authority has considered the submissions made by them.
- 28. With regards to the claim of the other interested parties the Authority did not make a determination regarding the injury margin for Saudi Arabia at the stage of initiation as done in the previous case, it is noted that in the previous investigation, the domestic industry had filed an application against imports from Iran, Qatar, China and Saudi Arabia. Since the Authority observed that the injury margin for imports from Saudi Arabia was negative, the Authority decided to not initiate the investigation against such imports and made an observation to that effect in the initiation notification. However, in the present case, the domestic industry has not filed an application with respect to imports from Saudi Arabia. Further, there were no allegations of dumping and injurious imports from countries other than subject countries. Accordingly, there is no requirement to determine and make an observation with respect to the injury margin from Saudi Arabia.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by other interested parties

- 29. The following submissions have been made by other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - i. The applicants did not provide details of their efforts to determine domestic sales prices, prices of exports to third countries and cost of production in the subject countries for determination of normal value.
 - ii. The domestic sales in Qatar are more than 5% of exports to India, in ordinary course of trade and thus, ought to be considered to determine normal value.

- iii. The subject goods originating in Iran have been considered as originating in UAE in the DG System data. Such imports should be considered to be of Iranian origin, as evident from the documentation provided.
- iv. In light of the decision of the Appellate Body in *EU – Biodiesel and Ukraine – Ammonium Nitrate*, the applicants defaulted in calculating the normal value on the basis of the cost of production of the applicants instead of the country of origin, Iran.
- v. Calculating normal value based on cost of production of the applicants is inappropriate as the applicants do not have vertical integration and thus, incur high costs.
- vi. The normal value for Iran can be calculated based on domestic sales provided in the responses.
- vii. The domestic industry has failed to provide any evidence to show that purchase of inputs by SEEF from its affiliates was not at arm's length.
- viii. As already demonstrated in the response, the exporters have purchased inputs from affiliates at arm's length prices, in line with internationally published prices. Such prices cannot be disregarded.
- ix. The argument of particular market situation is belated, having been made at an advanced stage of the investigation. Allowing such an argument at this stage would be contrary to principles of natural justice. Further, no evidence has been provided of such particular market situation.
- x. The applicants have not explained how mere existence of government ownership or supply of feedstock by government owned supplier would lead to particular market situation, or how such particular market situation would prevent proper comparison, as required by the Panel Report in Australia-Copy Paper.
- xi. The evidence of adjustments made to calculate net export price has not been provided.
- xii. The applicants failed to substantiate their claim that the exporters from subject countries are engaged in post-invoicing discount.
- xiii. Contrary to the claims of the domestic industry, Muntajat India is not involved in the sales channel for the product under consideration.
- xiv. Dumping and injury margin should be based on the information filed by the cooperating producers.
- xv. The applicants have claimed dumping and injury margin on quarterly basis, they have not provided data with regard to cost and price for determination of non-injurious price on quarterly basis.
- xvi. There is no prescribed format for furnishing response by a producer with no exports. The observation that Bisotun Petrochemical has not exported to India directly or indirectly in the period of investigation, should be recorded in the finding.

G.2. Submissions by the domestic industry

- 30. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price and dumping margin:
 - i. Dumping and injury margin should be determined on a quarterly basis, owing to significant fluctuations in the raw material prices as well as import prices and volumes, as per the Authority's practice in the past.
 - ii. The weighted average export price will be significantly different from the actual prices prevailing in the market due to significant changes in subject import prices over the period of investigation.
 - iii. The domestic industry has provided its information on a quarterly basis and the dumping and injury margin provided in the petition were also on a quarterly basis.

- iv. The Authority has undertaken quarterly or monthly analysis in numerous investigations due to significant price fluctuations in prices and costs during the period of investigation.
- v. There is no legal requirement for comparison of imports only on the basis of averages, and considering the market dynamics, comparison can be quarterly or monthly.
- vi. The Authority may verify the information submitted by the exporters, and if found accurate, the same may be used for determination of dumping margin for the exporters.
- vii. For initiation of investigation, the applicants are only required to give information for *prima facie* satisfaction of the Authority, as held by the CESTAT in ATMA v. DA. Thus, the applicants submitted the best available information for calculation of dumping margin.
- viii. Comparison of weighted average export price and normal value as well as weighted average landed price with non-injurious price for the period of investigation, would not result in a fair comparison as per Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement.
- ix. There exists a particular market situation in the subject countries with respect to the prices of LAB and the prices of the raw materials.
- x. There is a significant presence of state-owned or state-controlled suppliers of LAB and its feedstock in the Qatar market, which has distorted the prices of LAB and the feedstock in the market.
- xi. The sole responding producer of LAB from Qatar is owned and controlled by Qatar Energy, a state-owned public corporation. Further, such producer has procured feedstock from Qatar Energy, indicating the presence of government in the market.
- xii. The responding producers from subject countries have also procured major inputs from their affiliated parties and thus, unless the producers can establish that the purchases were at arm's length, the cost of production of such producers must be adjusted based on the market prices of such inputs.
- xiii. There is a need to examine the role of Muntajat India Limited, an affiliate entity of SEEF and Muntajat located in India. In case the entity is involved in the sales or marketing of LAB, the export price must be adjusted with respect to such activities.
- xiv. The responding producer and exporter from Qatar have claimed excessive confidentiality with respect to related parties engaged in production or sale of LAB, production process, adjustments claimed for normal value and export price and information related to purchase of major raw materials.
- xv. The volume of sales within Qatar does not form the basis of claim of particular market situation by the domestic industry.
- xvi. Distortion in input prices due to government price regulation leads to distortion in cost of production and domestic price but does not impact export prices which are in competition with global producers. Thus, the distortion in input prices prevents proper comparison of domestic and export price.
- xvii. Contrary to the argument of other interested parties, the Authority can consider out-of-country prices for determination of cost of production, after reasonably adjusting the same to represent the cost of production in the country, as observed by the WTO Appellate Body in EU-Biodiesel.
- xviii. The claim for particular market situation in Iran is not solely based on low domestic sales, but on factors affecting prices and price of inputs.
- xix. The law does not prescribe any deadline for alleging the existence of particular market situation. In any case, the domestic industry raises allegations during the hearing, giving an opportunity to all interested parties to submit their responses.

- xx. Iranian exporters are taking contrary stand before different government authorities, having declared goods of Iranian origin as goods originating in UAE, which affects the reliability of the information submitted.
- xxi. There is a need to verify the export prices of the responding exporters with respect to post invoice discounts. In this regard, the sales documents of the exporters must be verified.
- xxii. The Authority is not required to record the name of each exporter that has not exported the subject goods. The exporter may file a new shipper review at a later stage.

G.3. Examination by the Authority

31. As per Section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either –

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub- section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

32. The domestic industry has claimed that there exists a particular market situation in Qatar and Iran with respect to the product under consideration. It has been claimed that the suppliers of LAB in both countries are owned and / or controlled by the government, directly or indirectly. Further, the suppliers of the inputs for the product under consideration are also owned and / or controlled by the government. As a result, particular market situation has been created in the subject countries. However, the domestic industry has not provided any evidence in support of its claim that such particular market situation exists in Qatar and Iran. Accordingly, the Authority is not examining this claim of the domestic industry.

33. With regards to the contention of other interested parties that normal value and export price for the producers / exporter shall be determined based on the information provided by the producers / exporters in the questionnaire response, the Authority notes that information provided by the producers / exporters in their questionnaire responses is appropriate and thus, normal value has been

determined based on the price of subject goods when destined for consumption in the domestic market.

34. As regards the submissions of the interested parties that the normal value at the stage of initiation was not appropriate, it is noted that under Article 5.1 of the WTO Anti-dumping Agreement, the Authority may initiate an investigation based on the application filed by the domestic industry. Further, Article 5.2 of the Agreement provides that such application must contain “information as is reasonably available to the applicant”. Accordingly, the applicants submitted application demonstrating dumping margin based on the information that was reasonably available to them. Further, at the time of initiation, the Authority is only required to *prima facie* satisfy itself of the evidence regarding dumping, injury and causal link between the two. The nature of evidence required for the purpose of initiation may not be of the same quality as required for final imposition of duty. Therefore, the Authority does not find that the evidence provided by the applicants with regard to determination of normal value was not appropriate. However, the Authority has now determined normal value for all responding producers based on the questionnaire responses filed by them.

35. With regards to the contention that the dumping margin and the injury margin must be determined on a quarterly basis, it is noted that during the period of investigation, there were no imports from Iran for two quarters. Further, the prices of the raw materials and the landed price of the subject fluctuated significantly during the period of investigation. In order to ensure a fair comparison as prescribed under Article 2.4 of the Anti-dumping Agreement, the Authority has determined normal value, export price and the landed price on a quarterly basis.

G.3.1 Determination of normal value

G.3.1.1. Normal value for Iran

a) Normal value for Iran Chemical Industries Investment Co.

36. Iran Chemical Industries Investment Co. (ICIIC) has sold ***MT of the subject goods in the domestic market during the period of investigation, whereas it has exported ***MT of the subject goods to India through four unrelated exporters. The Authority notes that the domestic sales are in sufficient volumes when compared with exports to India. ICIIC has sold the subject goods to unrelated customers in the home market, except for some sales to Commercial and Port Services of Iran Co., who is identified as a related end user of the subject goods and not a trader of the subject goods. Information concerning total sales made by ICIIC in the home market have been furnished on record. Accordingly, the Authority has determined the normal value based on the sales of the subject goods in the domestic market by ICIIC. To determine the normal value, the Authority has conducted ordinary course of trade test to determine profit making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. It is noted that more than 80% of domestic sales are profitable. Accordingly, all domestic sales by ICIIC have been considered to determine the normal value. ICIIC has not claimed any price adjustments since the domestic sales have been made on ex-factory basis. Thus, the normal value at ex-factory level for ICIIC has been determined and the same is mentioned in the dumping margin table.

b) Normal value for other producers/exporters from Iran

37. Normal value for all other non-cooperative producers and exporters from Iran has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table.

G.3.1.2 Normal value for Qatar

a) Normal value for SEEF Limited (producer)

38. Based on the data filed by M/s SEEF Limited, the producer and its associated exporter i.e. M/s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Co. (Muntajat) Q.P.J.S.C. filed Questionnaire Response. The exporter and producer have an agreement on grant of exclusive selling rights to M/s Qatar Chemicals and Petrochemical Marketing and Distribution Co. (Muntajat) Q.P.J.S.C., the exporter, as per an agreed marketing fee formula for sales of all quantity of subject goods produced by M/s SEEF Ltd. to all destinations viz domestic market, India and countries other than India. It is noted that ***MT of subject goods were sold in the domestic market during the POI.

39. To determine the normal value, the Authority conducted the ordinary course of trade test. The domestic sales were found to be in sufficient volumes when compared with exports to India. The Authority also determined if there were profit-making domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. If the profitmaking transactions are more than 80%, all transactions in the domestic sales are to be considered for the determination of normal value and in cases where profitmaking transactions are less than 80%, only profitable domestic sales are to be taken into consideration for the determination of the normal value. Wherever there are no profitable domestic sales transactions normal value was constructed based on the cost of production along with the reasonable profit.

40. The adjustments claimed on account of insurance, credit cost, bank charges, marketing fees and SGA expenses of Muntajat have been accepted by the Authority.

41. Accordingly, the normal value at ex-factory level for SEEF has been determined and the same is shown in the dumping margin table.

b) Normal value for other producers/exporters from Qatar

42. Normal value for all other non-cooperative producers and exporters from Qatar has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table.

G.3.2 Determination of export price

G.3.2.1. Export price for Iran

a) Export price for Iran Chemical Industries Investment Co.

43. Exporter Questionnaire Response has been filed by Iran Chemical Industries Investment Co (ICIIC), a producer of subject goods from Iran along with unaffiliated exporters based in UAE namely Erbium Trading LLC (formerly Known as Rubiks Trading LLC), Alkyne Trading LLC, Cluster Trading LLC and Safe Chemicals FZE.

44. ICIIC is a limited liability company established in the year 1984 in Iran and is a producer of subject goods. ICIIC has not exported the subject goods directly to India and the entire export has been made through the unrelated exporters named above and to unrelated importers in India.

45. During the POI, ICIIC has sold ***MT of subject goods to India indirectly through the unrelated exporters as above. The responses filed by the producer and the corresponding exporters were subjected to desk verification. However, it was noted that the exporters were not able to furnish supporting documents to substantiate their claimed net export price. The Authority notes since the exporter could not furnish such information even after ample opportunities having been provided. Thus, the Authority is not in a position to accept the export price claimed by ICIIC and its exporters. In view of the same, export price in case of subject goods exported by ICIIC has been determined based on facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The net export price so determined is mentioned in the dumping margin table.

b) Export price for other producers/exporters from Iran

46. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Iran has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table.

G.3.2.2 Export price for Qatar

a) Export price for SEEF Limited

47. The Authority notes that SEEF has exported through its associated exporter i.e. M/s Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company. (Muntajat) Q.P.J.S.C a total quantity of ***MT, to Indian customers. The Authority has considered the data filed by SEEF and Muntajat for calculating the export price.

48. The adjustments claimed on account of shipping cost, ocean insurance, port charges, bank charges, credit cost and marketing fees have been allowed by the Authority. In addition, the Authority made adjustments to the export price on account of SGA expenses of Muntajat on the sales of the PUC to arrive at the ex-factory export price at the producer's level.

49. Accordingly, the net export price for SEEF has been determined based on the weighted average export price to India and the same is shown in the dumping margin table.

b) Export price for other producers/exporters from Qatar

50. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Qatar has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table.

G.4. Determination of dumping margin

51. The normal value, export price and dumping margins determined in the present investigation for all the subject countries are as follows –

Dumping margin table

S. No	Country	Name of Producer	Normal Value (\$/MT)	Export price (\$/MT)	Dumping Margin (DM) (\$/MT)	DM (%)	DM Range
1.	Iran	Iran Chemical Industries Investment Co.	***	***	***	***	0-10
		Any other	***	***	***	***	0-10
2.	Qatar	SEEF Limited	***	***	***	***	0-10
		Any other	***	***	***	***	0-10

H. INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by other interested parties

52. The following submissions have been made by other interested parties with regard to injury and causal link:

- i. Cumulative assessment of injury is not appropriate since there is a huge price difference between the import prices from Iran and Qatar.
- ii. There has been only marginal increase in imports from Qatar over the injury period, indicating that imports from Qatar cannot be a reason of injury to the domestic industry.
- iii. There is no volume injury to the domestic industry due to imports from Iran, as there were no imports from Iran during the last two quarters of the period of investigation as the producers did not have BIS certification. The imports from Qatar have remained same during the last three quarters of the period of investigation.
- iv. Imports from Qatar have declined in 2022-23, when the duties were allegedly revoked, while total imports increased by 31 points. Such a decline was despite increase in demand. Imports from Iran declined in period of investigation compared to the base year. Thus, there is no increase in imports in absolute terms.
- v. The price of the subject goods has moved in tandem with downstream demand. Prices declined in Asia in latter half of 2022, due to high prices in the first half and over-saturated inventories with downstream users. However, the prices increased between July and September 2023 due to increase in demand, and cost support provided by ethylene prices. Prices in India declined by 16% in first quarter of 2023 due to feeble industrial demand.
- vi. The prices of the subject imports from Qatar declined on account of decline in prices of benzene.
- vii. The applicants have not provided price undercutting for entire injury period, which is required as per Trade Notice 5/2021.
- viii. There is no price suppression or depression since price of imports from Qatar has increased every year compared to the base year. Even though selling price of domestic industry and

landed price increased, the profitability of the domestic industry deteriorated, which may be attributable to the rising raw material prices.

ix. While the applicants have claimed that the mark-up over raw material cost has declined, such decline cannot be attributed to imports. It is an admitted position that the applicants face higher raw material costs and that raw material prices have increased. However, price of imports has also increased.

x. There is a need to verify the cost of sales of the applicants as international prices of kerosene and benzene reduced, but cost of sales of the domestic industry did not decline.

xi. The economic parameters of the domestic industry in terms of sales value, selling price, salaries and wages, and net fixed assets were healthier in the period of investigation than the base year, despite the anti-dumping duty in force in the base year.

xii. There appears to be no correlation between the alleged injury and the prices of imports.

xiii. Despite claims of injury, TPL is currently in the process of expanding its production capacity from *** MT to *** MT. TPL also has plans to expand its caustic soda production. Nirma has also acquired stake in Stericon Pharma Limited, Glenmark Life Sciences.

xiv. The volume of imports from subject countries is only 60 KT which constitute only 4% of the domestic demand. The remaining volume is imported for production of exported goods. Such a negligible volume cannot cause injury to the domestic industry. Even if duty is imposed, the domestic industry would continue to struggle because of significant imports from other countries.

xv. Tamilnadu Petroproducts Limited caters to the demand of Southern Indian market, whereas the imports from Qatar are made in northern and western Indian markets, thus, such imports do not cause injury to Tamilnadu Petroproducts Limited.

xvi. Losses of the domestic industry can be attributable to high crude oil prices, affecting the cost of raw material upstream value chain of the product. Tamilnadu Petroproducts Limited has also acknowledged the impact of high crude prices in its annual report for 2022-23.

xvii. The injury to the domestic industry is on account of competition with other Indian producers.

xviii. There are significant imports from Saudi Arabia, and the product is largely homogenous, thus, there is no rationale for higher prices of imports from Saudi Arabia. Moreover, in its annual report for 2022-23, Tamilnadu Petroproducts Limited expressed concern regarding the increase in imports from Saudi Arabia.

xix. Exclusion of Thailand from the scope of subject country is not appropriate and breaks causal link in view of the following.

- Such exclusion is discriminatory and violates the provisions of Rule 19 of the Anti-Dumping Rules.
- There is no evidence to show absence of injury and dumping from Thailand. It is possible that imports from Thailand are the sole cause of injury.
- The price difference between the imports from Iran and that from Thailand is less than 2%, with landed price of imports from Iran being higher than the landed price from Thailand.
- The price of imports from Thailand has declined over the period of investigation at a rate higher than the price of imports from Iran.
- The imports from Thailand have been prevalent throughout and increased during the period of investigation, while the subject imports declined consistently within the period of investigation.
- The share of imports from Thailand in total imports is higher than the share of imports from Iran.

- xx. The prices of imports from Saudi Arabia and Thailand were as low as the subject imports and thus, could also have been a cause of injury to the domestic industry.
- xxi. The domestic industry has acknowledged in its annual report that global competitors for the product are profitable, indicating their poor performance is due to highly depreciated plants which led to operational inefficiencies and increased maintenance requirements.
- xxii. The plant of Tamilnadu Petroproducts Limited was under maintenance for *** days, which impacted its profitability and production.
- xxiii. The applicants have not shared the actual or meaningful summary of volume losses due to shutdowns.
- xxiv. Since the applicants are dependent upon backward integrated producers, Reliance India Limited and Indian Oil Corporation Limited, the domestic industry is at a significant disadvantage. Thus, injury may be due to inefficiencies and feedstock issues.
- xxv. As opposed to the submissions by the domestic industry, reliance on judgement RIL vs. Designated Authority with regard to backward integration is not appropriate as the issue addressed was regarding incorrect calculation of non-injurious price based on actual cost of production in a captive plant, and not injury determination.
- xxvi. As held in Viscose Staple Fibre case, a return of 22% is considered irrespective of the age of investments as a consistent practice. Similarly, in Sodium Cyanide, a return of 22% was considered, irrespective of the plant being depreciated. Therefore, the non-injurious price should be determined based on a return of 22% in accordance with various decisions of Tribunal and the Manual of Operating Practices.
- xxvii. When the quantity of utilization of raw materials differs due to costing reasons, instead of only using the actual cost of utilization during the period of investigation, the Authority should consider the best utilization of both utilities taken together to ensure utilization inefficiencies are not unfairly attributed to the subject imports.
- xxviii. The increase in net fixed assets, without an increase in capacity, can have the impact of artificially inflating the non-injurious price.
- xxix. The claim that only the actual costs for raw material and utility consumption during the period of investigation should be considered is not tenable as per the law. Only the period of investigation cannot be considered for determination of non-injurious price. The Rules does not limit the analysis to the best utilization of raw materials in cases where the domestic industry has been injured due to inefficient utilization.

H.2. Submissions by the domestic industry

53. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

- i. The provision for cumulative assessment under the Rules is a mandatory provision and the conditions set therein are met in the present case.
- ii. The subject imports have caused material injury to the domestic industry.
- iii. The volume of subject imports increased significantly after the expiry of the anti-dumping duties imposed on subject imports from Qatar and Iran in April 2022.
- iv. The share of imports from the subject countries have increased over the injury period and the rate of increase in the subject countries was much higher than other imports.
- v. The volume of imports has increased by 48%, which is higher than the increase in the rate of demand.
- vi. The volume of imports has increased by 54% in relation to production and by 45% in relation to consumption over the period.

- vii. Subject imports accounting for 9% of the demand cannot be considered insignificant.
- viii. Increase in the cost of domestic industry are due to increase in the prices of inputs, but the same are not reflected in the import prices.
- ix. In 2020-21, the imports were priced 51% higher than the cost of raw materials, but were priced only 8% above the cost of raw materials consumed during the period of investigation, preventing the domestic industry from increasing its prices commensurate with the increase in raw material cost.
- x. The domestic industry was forced to reduce its prices during the period of investigation below its cost to compete with the imports.
- xi. As per Trade Notice 5/2021, Proforma IV-A and IV-B do not require the domestic industry to provide price undercutting. Regardless, the domestic industry has provided price undercutting for the period of investigation.
- xii. The landed price of imports was even below the cost of the domestic industry.
- xiii. During the period of investigation, both the cost of sales and selling price of the domestic industry reduced. However, with the decline in landed price, the decline in selling price was higher than the decline in cost of sales.
- xiv. The subject imports were priced lower than the imports from non-subject countries. While the prices of the other imports were above the cost of sales of the domestic industry, the subject imports were priced lower than the cost.
- xv. The capacity of the domestic industry remained stable throughout the injury period while the production and capacity utilization declined over the injury period.
- xvi. The increase in volume of domestic sales was because the domestic industry reduced its prices below its cost and compromised on its profitability to maintain its volume parameters.
- xvii. The domestic industry had a market share of ***% in 2020-21, which declined to ***% in the period of investigation.
- xviii. With the loss of market share, the domestic industry faced accumulation of inventories which increased by 110% when compared to 2020-21.
- xix. The domestic industry was earning sufficient profits till 2021-22 when the duties were in force. During 2022-23, the profits declined sharply due to excessive dumping and the situation aggravated during the period of investigation which led to significant losses.
- xx. The profits per unit declined by 103% as compared to the base year. The cash profits also declined by 97% as compared to the base year and 75% as compared to the previous year.
- xxi. Since the plants of Nirma Limited and Tamilnadu Petroproducts Limited are 27 and 40 years old respectively, their substantial depreciation does not warrant a high capital employment and the meagre profits earned also show a very high return on capital employed.
- xxii. The return on investment earned was almost nil.
- xxiii. The interest coverage ratio of the domestic industry has declined compared to previous years despite significant decline in the interest burden.
- xxiv. There exists a causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry.
- xxv. Nirma is located in western India and can cater to northern and western markets. In any case, importers are importing goods in west and selling in south, thereby shipping dumped goods across India.
- xxvi. Contrary to the claims of other parties, Tamilnadu Petroproducts Limited announced capacity expansion considering long term business plans in 2021, when there was no dumping. Further, capacity expansion by Nirma related to non-subject goods.

- xxvii. The production process used by Tamilnadu Petroproducts Limited is cost-efficient. Further, high cost of energy and feedstock are factors inherent to domestic industry, which have not changed over the injury period.
- xxviii. Injury to the domestic industry must be examined as it exists and factors inherent to the industry cannot be considered as causing injury, as held in the case of Nippon Zeon Co. Ltd. vs. Designated Authority, and accepted by the Authority in various investigations.
- xxix. All major plants for LAB across the globe are older plants, including that of SEEF and ICIIC which are 21 and 34 years old.
- xxx. The other interested parties have not highlighted any development in technology, which would result in the technology of the domestic industry becoming outdated.
- xxxi. Contrary to the claims of other parties, the domestic industry was able to utilize its capacities exceedingly well during the injury period, which shows that plants are not depreciated. Further, the domestic industry has submitted injury information after excluding the effect of shutdowns.
- xxxii. Increase in net fixed assets of domestic industry was on account of purchase of new machinery for captive power unit and thus, did not affect production capacity.
- xxxiii. The subject imports must be one of the causes of injury and not the only cause of injury, as held in EC – Tubes and Pipes, U.S. – Hot-Rolled Steel Products and U.S. – Salmon.
- xxxiv. The imports from Thailand are priced higher than the subject imports, and the difference is equivalent to the price undercutting suffered by the domestic industry.
- xxxv. Contrary to claims of other parties, imports of LAB from Thailand attract 5% duty under the India-ASEAN FTA and 10% surcharge.
- xxxvi. Imports from Thailand must be compared with the subject imports as whole and not with imports from Iran. Regardless, imports from Thailand were priced higher than imports from Iran in 2 months and were comparable for one month.
- xxxvii. Since the subject countries are price setters in the market, imposition of duty on subject goods would result in price correction of other imports also.
- xxxviii. The user industry must show evidence to prove their claim that they have imported subject goods from Saudi Arabia at same or similar prices.
- xxxix. Tamilnadu Petroproducts Limited expressed concerns regarding imports from Middle East, Thailand and China generally, but specifically highlighted injury due to imports from subject countries in its annual report.
- xl. Contrary to the claims of the other interested parties, the fact that the domestic industry is not backward integrated like other Indian producers is not the cause of injury.
- xli. In the case of Reliance Industry Limited vs DA, the Supreme Court held that that law does not allow for discrimination between integrated and non-integrated companies, as such discrimination would be to the detriment of small plants with no backward integration.
- xlii. Contrary to the claims of interested parties, the decision in RIL v. DA regarding the manner in which concerns of domestic industry as a whole must be examined, is equally applicable in the context of both injury and non-injurious price.
- xliii. The determination of injury margin must be based on quarterly analysis because it will not be a fair comparison of non-injurious price and landed price calculated on annual basis due to absence of imports from Iran in second half of period of investigation.
- xliv. Para 3 of Annexure III prevails over provisions of Para 4 of Annexure III, since the former requires the Authority to determine non-injurious price based on cost of production of domestic industry, while Para 4 provides that the Authority may examine if inefficiencies in utilization has caused injury to the industry and the same may be nullified. Mechanical use of lowest utilization in each case would nullify the intention of law makers.

- xlv. Contrary to the claim of the other interested parties, Annexure-III provides that a reasonable return must be allowed on capital employed. It is the well-established practice of CESTAT and Authority to allow for a return other than 22% where there is evidence supporting the same.
- xlvi. The plants of domestic industry are significantly depreciated, and allowing only a return of 22% would be adverse for the industry. The domestic industry achieved high returns in absence of dumping and the same should be allowed.

H.3. Examination by the Authority

54. The Authority has examined the arguments and counter arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

H.3.1 Cumulative Assessment of imports

55. Article 3.3 of WTO agreement and Para (iii) of Annexure II of the AD provide that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- i. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
- ii. A cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic articles.

56. As regards to the contention of the other interested parties that the imports from Qatar and Iran cannot be cumulatively analyzed due to the differences in the volume and prices of the goods, it is noted that the volume of imports from both Qatar and Iran is more than 3% of the total imports and such imports are being dumped into the country. The product under consideration imported from Qatar has same physical and chemical characteristics as subject goods imported from Iran and that produced by the domestic industry and vice versa. As regards the contention that there is a difference in the price of imports from Qatar and Iran, the Authority further notes that Article 3.3 of the Anti-dumping Agreement as well as Para (iii) of Annexure II expressly provides the conditions to be satisfied before conducting a cumulative analysis of the imports from all subject countries. Such provisions do not require the Authority to undertake a country-wise analysis of prices as condition prior to such cumulation.

57. In view of the above, the Authority notes that:

- i. The subject good are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than de minimis limits prescribed under the Rules.
- ii. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.

- iii. Cumulative assessments of the effects of imports are appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

58. Accordingly, the Authority proposes that it would be appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the subject goods from the subject countries on the domestic industry.

59. Rule 11 of the Anti-dumping Duty Rules, 1995 read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry:

“... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...”.

60. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules.

61. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed below under the relevant parameters.

62. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters for assessing the financial parameters of the domestic industry. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.

H.3.2 Volume effect of the dumped imports on domestic industry

a) Assessment of demand/ Apparent consumption

63. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Iran	MT	100	6066	42481	23,542
Qatar	MT	34215	40823	39518	52,878
Imports from Subject Countries	MT	34,315	46,889	81,999	76,420
<i>Indexed</i>	Index	100	137	239	223

Imports from other countries	MT	2,05,518	2,27,119	2,49,128	2,17,543
<i>Indexed</i>	Index	100	111	121	106
<u>Including captive</u>					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	97	88	93
<u>Excluding captive</u>					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	96	87	93
Sales of other producers	MT	***	***	***	***
Total demand including captive	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	104	109	106
Total demand excluding captive	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	104	110	106

64. It can be seen that the demand for PUC has increased over the injury period with the demand peaking in 2022-23 and declining marginally in POI.

b) Volume effect of the dumped imports

65. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Subject imports	MT	34,315	46,889	81,999	76,420
<i>Indexed</i>		100	137	239	223
Iran	MT	100	6066	42481	23542
Qatar	MT	34215	40823	39518	52878
Imports from other countries	MT	2,05,518	2,27,119	2,49,128	2,17,543
<i>Indexed</i>		100	111	121	106
Total imports	MT	2,39,832	2,74,009	3,31,127	2,93,962
<i>Indexed</i>		100	114	138	123
Imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Demand (excluding captive)	%	***	***	***	***
Total Imports	%	14.31	17.11	24.76	26.00

66. It is noted from the above table that:

- The volume of subject imports has increased, in absolute terms as well as in relative terms, over the injury period.
- The share of subject imports has increased in the total imports over the period. Further, the subject imports have increased at a higher rate than the increase in imports from other countries.

iii. The subject imports in relation to production and demand (excluding captive) have increased over the injury period and declined in POI.

H.3.3 Price effect of dumped imports

67. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production and net sales realization of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject countries.

a) **Price undercutting**

68. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the weighted average import price from the subject countries. As noted above, the Authority has calculated the landed price for the subject countries on a quarterly basis. Accordingly, the price undercutting of the dumped imports from the subject countries has been determined on a quarterly basis as below.

Particulars	Unit	POI Q1	POI Q2	POI Q3	POI Q4	POI
Net Sales Realisation	₹/MT	***	***	***	***	***
Landed Price	₹/MT	1,29,893	1,23,772	1,46,454	1,36,601	1,34,935
Price Undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	20-30	15-25	Negative	1-10	5-15

69. It is noted that the subject imports were undercutting the domestic prices in three quarters of the period of investigation.

b) **Price suppression/depression**

70. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices during the injury period is examined in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
-------------	------	---------	---------	---------	-----

Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	160	228	208
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	144	170	153
Landed Price	₹/MT	82,184	1,32,723	1,48,490	1,34,935
<i>Indexed</i>	Index	100	161	181	164

71. It is noted that the landed value of the imports was significantly lower than the selling price of the domestic industry throughout the injury period. While both the cost of sales and the selling price of the domestic industry increased till 2022-23, the increase in selling price was not in line with the increase in cost. While the cost of sales and the selling price of the domestic industry declined in the period of investigation, the decline in selling price was much higher as the landed price also declined in this period. Over the injury period, while the cost of sales of the domestic industry increased by 108%, the selling price increased by only 53% in order to compete with the imports. Thus, it is seen that subject imports have depressed the prices of the domestic industry and have prevented price increase, which otherwise would have occurred.

H.3.4 Economic parameters of the domestic industry

72. Annexure II to the Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on capital employed or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

73. The Authority has examined the injury parameters taking into account various facts and arguments made by the interested parties.

a) **Production, capacity, capacity utilization and sales**

74. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Capacity	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	98	92	91
Capacity utilization	%	***	***	***	***

<i>Indexed</i>	Index	100	100	93	93
Domestic sales	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	96	87	93

75. It is noted that:

- The installed capacity of the domestic industry has remained stable throughout the injury period.
- The production and capacity utilization of the domestic industry have declined over the injury period. As compared to the base year, the production and capacity utilization of the domestic industry declined by ***% and ***% respectively.
- The domestic sales of the domestic industry declined consistently till 2022-23 but increased in the period of investigation when compared to previous year (2022-23). However, the domestic sales have declined over the injury period.
- The domestic sales during the period of investigation were lower than the sales volume in the first two years of the injury period, when anti-dumping duties were in force.

b) **Market share**

76. Market share of the domestic industry and the imports is shown in table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Including captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	93	81	88
Other producers	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	96	91	94
Subject imports	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	131	218	211
Imports from other countries	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	106	111	100
Excluding captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	92	79	88
Other producers	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	96	90	94
Subject imports	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	131	217	210
Imports from other countries	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	106	110	100

77. The Authority notes that the market share of the domestic industry declined from ***% in 2020-21 to ***% in the period of investigation. On the other hand, the market share of the subject imports has increased over the injury period. While the market share of the domestic industry has increased in the period of investigation when compared with preceding year (2022-23), the same is attributed to the

fact that the domestic industry has significantly reduced their prices in order to sell in the market. The overall market share of the Indian industry has also declined over the injury period.

c) **Inventories**

78. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	99	234	202

79. The Authority notes that –

- The average inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period, having increased by 102% as compared to 2020-21.
- While the average inventories declined in the period of investigation when compared with preceding year 2022-23, the applicants have claimed that such decline is on account of the domestic industry reducing its prices to regain its market share.

d) **Employment, wages and productivity**

80. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period as given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	108	121	129
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	107	85	90
Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	98	92	91

81. It is seen that the number of employees of the domestic industry has declined over the injury period, while the salaries paid have increased during the same period. The productivity of the domestic industry has declined over the period.

e) **Profitability, cash profits and return on capital employed**

82. Profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of sales	Rs. /MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	160	228	208
Selling price	Rs. /MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	144	170	153
Profit/(loss) before tax	Rs. /MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	100	9	(3)
Profit/(loss) before tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	96	8	(2)
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	97	13	4
Return on investment	%	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	85	8	1
PBIT (Profit before Interest & Tax)	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Indexed</i>	Index	100	97	11	2

83. It is noted that that –

- The domestic industry earned sufficient profits during till 2021-22. However, the profitability of the domestic industry declined in 2022-23. The domestic industry suffered significant losses in the period of investigation as it reduced its prices in order to recover its market share.
- During the period of investigation, the profitability of the domestic industry deteriorated by 103% as compared to the base year.
- The domestic industry has also suffered deterioration in cash profits over the period. The cash profits declined by 96% as compared to the base year and 72% as compared to the previous year.
- The domestic industry has faced a significant decline in its return on investment. While the domestic industry earned a healthy return till 2021-22, its return on investment declined in 2022-23 and was almost nil in the period of investigation.

f) **Growth**

84. The growth of the domestic industry in terms of capacity, production, domestic sales, profits, cash profits and return on capital employed is as per the table below:

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Production	MT	-	-2%	-6%	-1%
Domestic sales	MT	-	-4%	-10%	7%
Profit / Loss before tax	Rs/MT	-	0%	-91%	-128%
Cash Profits	Rs Lacs	-	-3%	-87%	-72%
Return on capital employed	%	-	-15%	-91%	-86%

85. It is noted that the volume and profitability parameters have witnessed a declined over the period. However, the profitability parameters of the domestic industry have witnessed a sharp decline in the

period of investigation. The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have declined.

g) **Impact on ability to raise capital investment**

86. The domestic industry has submitted that it has suffered a decline in its profitability and its interest coverage ratio has also declined over the period. The interested coverage ratio of the domestic industry has declined despite a significant decline in the interest costs.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
PBIT	₹ Lakhs	***	***	***	***
Interest Cost	₹ Lakhs	***	***	***	***
Interest coverage ratio	Times	12.24	17.30	3.65	0.40

87. The domestic industry has also submitted that against a significant investment of almost ₹ *** crores, the domestic industry has practically earned no returns. Further the domestic industry has submitted that setting up a plant for production of subject goods would require an investment of ₹ *** lakhs per MT. However, at present profitability, the domestic industry would be unable to recover such investment. Even considering the highest returns earned by the domestic industry during the injury period, it would be able to earn a return of only 3% on fresh investments.

88. The other interested parties have claimed that despite claims of injury, Tamilnadu Petroproducts Limited is expanding its production capacity from *** MT to *** MT. Further, is also planning to expand its caustic soda production. It has also been claimed that Nirma Limited has also acquired stake in Stericon Pharma Limited, Glenmark Life Sciences. In this regard, the domestic industry has clarified that the expansion of production capacity for the subject goods was planned and executed at the start of the injury period, when the domestic industry was not suffering injury. With regards to the other expansion plans, such plans do not relate to the subject goods and are thus, not the subject of the present investigation.

h) **Factors affecting prices**

89. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices in relation to the increase in cost of sales. The subject imports have forced the domestic industry to sell the goods below cost. Further, the subject imports have significantly undercut the domestic prices, creating a strain on the prices of domestic industry, which has resulted in a decline in profitability. Thus, the subject imports have affected the prices of the domestic industry.

i) **Magnitude of dumping margin**

90. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

H.3.5 Overall assessment of injury

91. Based on the submissions of all parties, the examination of imports of the subject goods and the performance of the domestic industry clearly shows that –

- The volume of imports has increased significantly over the injury period. While the imports were low till 2021-22, the volume of imports increased significantly thereafter.
- The volume of imports in relation to domestic production and consumption has increased over the injury period.
- The volume of imports has increased over the injury period as against increase in demand.
- The subject imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry during the period of investigation.
- While the cost of sales and selling price of the domestic industry increased over the period, the increase in the cost of sale was higher than the increase in selling price.
- The subject imports depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases which otherwise would have occurred.
- The production and capacity utilization of the domestic industry declined over the period.
- The domestic industry faced significant accumulation of inventories over the period.
- The domestic industry earned sufficient profits till 2021-22, but its profitability declined in 2022-23 and it earned significant losses in the period of investigation.
- The domestic industry faced significant decline in its cash profits and it earned almost zero return on its capital employed.
- The subject imports have impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment and have jeopardized the current and any future investments for the subject goods.

H.3.6 Magnitude of injury margin

92. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry.

93. With regards to the arguments of the other interested parties and the domestic industry concerning the return on capital employed which is to be considered for determination of NIP, it is noted that as per the consistent practice of the Authority, a reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) deployed for the PUC has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules.

94. Based on the above, the Authority has determined a quarterly NIP for the domestic industry. Accordingly, a comparison has been made between the landed value of all the cooperating producers and NIP of the like articles produced by domestic industry for each quarter of the period of investigation. Based on the landed price and Non-Injurious Price determined as above, the injury margin for producers/exporters as determined by the Authority is provided in the table below:

S. No	Country	Name of Producer	Non-Injurious Price (\$/MT)	Landed Price (\$/MT)	Injury Margin (IM) (\$/MT)	IM (%)	IM Range
1.	Iran	Iran Chemical Industries Investment Co.	***	***	***	***	0-10

S. No	Country	Name of Producer	Non-Injurious Price (\$/MT)	Landed Price (\$/MT)	Injury Margin (IM) (\$/MT)	IM (%)	IM Range
		Any other	***	***	***	***	0-10
2.	Qatar	SEEF Limited	***	***	***	***	0-10
		Any other	***	***	***	***	0-10

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CAUSAL LINK

95. The Authority examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have caused injury to the domestic industry. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The Authority examined whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

a) Volume and value of imports from third countries

96. The Authority notes that other than the subject imports, there are significant imports from Saudi Arabia and Thailand. The other interested parties have contended that the injury to the domestic industry is not due to the subject imports since the subject imports account for a very low share in the total imports and injury is likely on account of imports from Saudi Arabia and Thailand which are also priced low. In this regard, it is noted that the price of imports from Saudi Arabia are higher than the subject imports and the selling price of the domestic industry. Thus, such imports cannot be cause of injury to the domestic industry.

97. With respect to imports from Thailand, the Authority notes that the imports from Thailand were priced above the subject imports. Thus, injury to the domestic industry is not likely on account of such imports.

b) Contraction in demand

98. It is noted that the demand for the subject goods has increased over the period and thus, injury caused to the domestic industry cannot be attributed to possible contraction in demand.

c) Changes in the pattern of consumption

99. It is noted that there is no change in the pattern consumption of the subject goods, which could have caused injury to the domestic industry.

d) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

100. The imports of the subject goods are not restricted in any manner and are freely importable in the country.

e) **Development in technology**

101. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the product under consideration.

f) **Export performance of the domestic industry**

102. It is noted that the domestic industry has not exported the subject goods during the injury period. Thus, the injury is not account of the exports.

g) **Performance of other products**

103. The Authority has considered segregated data for product under consideration for injury analysis. Thus, performance of other products produced and sold by the domestic industry is not a possible cause of the injury to the domestic industry.

h) **Imports concentrated in one region**

104. The other interested parties have argued that imports from Qatar are made in the northern and western markets, while Tamilnadu Petroproducts Limited caters to southern market and thus, such imports cannot be a possible cause of the injury to the domestic industry. However, it is noted that the other applicant, Nirma Limited, is located in Gujarat and is catering to the western market as well. In any case, there is no restriction in the movement of the subject goods across the country and thus, the dumped imports can be sold across the country.

i) **Depreciated plants of the domestic industry**

105. It has also been contended by the other interested parties that injury to the domestic industry is due to their highly depreciated plants, which required high maintenance and shutdowns. In this regard, the domestic industry has submitted that all plants across the globe are more than 20 years old, with very limited new investments. The Authority notes that the fact that the plants of the domestic industry are old and depreciated is a factor that is inherent to the industry and has remained unchanged. Thus, the Authority is not required to conduct a non-attribution analysis for factors inherent to the domestic industry. Such position was taken by the Appellate Body in *European Union – Anti-dumping Measures on Biodiesel from Argentina [DS473/AB/R]*.

“7.522. Argentina primarily takes issue with the EU authorities' conclusion that the structure of the EU industry was not a cause of injury. The two factors, namely lack of vertical integration and lack of access to raw materials, identified by Argentina, essentially are inherent features of the EU domestic industry that, according to Argentina, render it less competitive than the Argentine producers. In our view, however, this line of argument is premised on a misreading of Article 3 of the Anti-Dumping Agreement and its various paragraphs, including Article 3.5. The concept of injury envisaged by Article 3 relates to negative developments in the state of the domestic industry. Article 3 is not intended to address differences in the structure of the domestic industry as compared to that of the exporting Member. Rather, it is clear from the text of Article 3.5 and from its indicative list of such

"other factors" – which all pertain to developments in the situation of the domestic industry – that the authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to the domestic industry and have remained unchanged during the period considered by the investigating authority for purposes of its injury analysis."

106. Thus, the fact that the plants of the domestic industry are depreciated, which is a factor inherent to the applicants, cannot be a cause of injury to the domestic industry.

j) **Backward integrated plants of other producers**

107. It has also been contended by the other interested parties that the domestic industry is not backward integrated, while the other Indian producers like RIL and IOCL are. As a result, while RIL and IOCL have not suffered injury, the domestic industry has. It is noted that the lack of vertical integration in the production process cannot be held against any producer. Further, the law does not allow the Authority to discriminate between plants which are vertically integrated and those that are not, in its injury analysis. This position was clearly established by the Hon'ble Supreme Court in the case of ***Reliance Industries Limited vs Designated Authority, [(2006) 10 SCC 368]***. The court held that the law does not allow for any discrimination between the integrated and non-integrated companies and that such discrimination would inevitably result in the peril of the small plants with no backward integration.

"The approach adopted by the DA, in our opinion, will lead to a situation where an artificial discrimination will be created between the integrated and non-integrated companies to the peril of the small plants with no backward integration (backward integration means a factory which also produces its own raw materials, etc.). In such situations, the result will be that the companies with no backward integration will suffer adversely. In our opinion, this was neither envisaged under the law nor can be considered as a desired result. The anti-dumping legislation is meant for protection of the domestic industries as a whole against unfair practice of dumping, irrespective of whether they are backwardly integrated or not."

108. Therefore, the fact that the plants of the domestic industry are not backward integrated cannot be considered as a cause of injury.

109. Having determined that the aforementioned factors have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that injury to the domestic industry has been caused due to the following factors.

- There is dumping of the subject goods from the subject countries.
- The volume of imports has increased over the injury period, in absolute terms and in relation to the domestic production and consumption.
- The subject imports have entered the market at significantly low prices, creating a strain on the prices of the domestic industry.
- The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry in each quarter of the period of investigation, forcing the domestic industry to reduce its selling prices to compete with the imports, even below its own costs.
- The domestic industry was unable to increase its selling price equal to the increase its cost of sales as the landed price of imports did not increase commensurately.
- The dumped imports depressed the prices of the domestic industry and prevented price increase which otherwise would have occurred.

- g. The production, capacity utilization and domestic sales volume of the domestic industry declined over the injury period.
- h. The market share of the domestic industry declined while the market share of the subject imports increased.
- i. The profitability parameters of the domestic industry have witnessed a sharp decline over the injury period, and the industry suffered significant losses and cash losses.
- j. The domestic industry earned very low returns during the period of investigation and such returns were practically nil.
- k. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise capital investment as the domestic industry is practically earning no returns on its current investment.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1. Submissions by other interested parties

- 110. The submissions made by the other interested parties with regards to Indian industry's interest are as follows:
 - a. Imposition of anti-dumping duty will adversely impact retail consumers of personal hygiene products as it did in the past. Post the imposition of anti-dumping duty in 2017, there was shortage of the subject goods in India and the domestic producers increased their selling prices which significantly impacted the MSME sectors which suffered losses due to such increase.
 - b. 10% increase in LAB prices can lead to 8-9% increase in LABSA, leading to an overall increase by 32 million USD, which will benefit LAB producers at the expense of consumers.
 - c. LAB constitutes 35-45% of the cost of production for detergents. Any increase in selling price of LAB will have significant impact on the detergent manufacturers. The impact of 10% anti-dumping duty is more than 3.8% on the downstream industry, which works on small margins.
 - d. The detergent manufacturers did not reduce prices when price of soda ash and LAB reduced as they were suffering losses even after reduction in raw material prices. With increase in prices of soda ash and LAB, the users were forced to adjust their formulations by reducing the use of Soda Ash and Lab in order to reduce the effect of high prices. At the time such prices declined, the old formulations were restored by the user industry.
 - e. The downstream industry is much bigger than the LAB industry in terms of providing employment. Thus, imposition of duties would negatively impact a bigger industry at the cost of benefitting only two small producers.
 - f. The claim that major users have not participated and hence, there is no impact on users is not supported by any evidence. All India Federation of Soaps, Detergents and Homecare Products is an association of more than 10000 plus users and has participated.
 - g. There is a significant demand-supply gap in the country, with capacities of only 450 KT as against demand of 700 KT. Though the demand is growing, no capacity expansion is being undertaken for the product under consideration.
 - h. The users are unable to purchase from Indian industry due to supply shortages.
 - i. The international supply of LAB is also likely to be restrained as Indorama (USA), Sasol (USA), Qatar, Cepsa (Spain) and ISU (Korea) are planning shutdowns. Further, supplies have been pre-planned and no additional products are available for sale.
 - j. The imposition of Quality Control Order has reduced the overall imports into the country, since only 7 manufacturers have been certified by the BIS. This has restricted imports from other sources of the subject goods.

- k. Imposition of duties six months after expiration of duties previously in force indicates continual protectionism to an inefficient domestic industry, which is against fair competition and adversely affects the user industry.
- l. Imposition of anti-dumping duty will lead to increase in cost of personal hygiene products for retail consumers.
- m. The detergent manufacturers are exporting detergent under India-ASEAN FTA at prices below the price of downstream industry. Any increase in price of raw material for detergent will make the Indian manufacturers totally uncompetitive.
- n. A large number of users have filed submissions, through All India Federation of Soaps, Detergents and Homecare Products, against the imposition of present findings and removal of duties in the previous case.
- o. Imposition of duties would result in monopolistic conditions in the LAB market.

J.2. Submissions by the domestic industry

111. The submissions made by the domestic industry with regards to Indian industry's interest are as follows:

- a. There is no demand-supply gap in the Indian market and in fact, the Indian industry as whole has excess capacity when compared to the Indian demand.
- b. It has been a well settled principle that imports are inevitable where there is a demand-supply gap, but the same cannot be a justification for dumping.
- c. The subject goods can be imported from other countries such as China, Indonesia, Italy, Japan, Oman, Saudi Arabia, South Korea, Spain, and Thailand.
- d. Imposition of duties would have negligible impact on the downstream industry, since a 5% increase in price of LAB would result in increase in prices of downstream products by less than 1%.
- e. The interested parties have deliberately overstated the impact of the duties on downstream users by adding a profit margin on the duty component as well for each party in the distribution channel.
- f. A mere increase of 1% in the price cannot render the large detergent industry as uncompetitive against imports.
- g. The prices of detergents have not moved in tandem with the prices of LAB and thus, there is no indication that the imposition of duties would adversely impact the prices of detergents.
- h. Imposition of duties would lead to fair market situation, resulting in domestic product being favoured over imports, thereby restricting outflow of foreign exchange.
- i. LAB is used to manufacture laundry, utensils, household cleaning products and thus, its essential that the production of the product must be done in India.
- j. There is a need to maintain a level playing field to safeguard fresh investments being made by the Indian industry.
- k. A healthy domestic industry is in the interest of the users, so that they are not completely reliant on imports and at the mercy of the exporters, who might exploit them.
- l. Expiry of duties on LAB have not showed any significant improvement in the performance of LABSA industries, implying the absence of any adverse impact of the duty.
- m. The LABSA industry is only a pass-through industry and they invariably pass on any price changes to their downstream users.
- n. The users did not raise any concerns regarding the duties between 2017-2022.

- o. The domestic industry cannot be faulted for seeking remedy against unfair dumping. Further, there is a difference of 2.5 years between imposition of previous and proposed duties.
- p. LAB is majorly consumed by large, organized sector companies such as Procter & Gamble, Hindustan Unilever, Nirma Limited, RSPL, Fena, Jyothi Labs, etc. and not by the MSME sector.
- q. The domestic industry is unable to fully commit to significant investments as the payback period based on current profitability would be more than two decades.

J.3. Examination by the Authority

112. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject countries in any way. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would ensure that no unfair advantages are gained by dumping practice, prevent decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

113. The Authority considered whether imposition of anti-dumping shall have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the imposition of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.

114. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties, including importers, consumers and others. The Authority also prescribed a questionnaire for the users/consumers to provide relevant information with regard to present investigation, including any possible effects of anti-dumping duty on their operations.

115. The domestic industry has submitted that imposition of the anti-dumping on the subject imports would not have any adverse effect on the downstream users. It has been claimed that based on the consumption of product under consideration considering the consumption factors and the current prices of detergent and of the product under consideration, an increase in the price by 5% would result in an increase in the price of downstream products by less than 1%. As can be seen from the table below, imposition of duty of 5% would result in an increase of only 0.58% in the cost for the downstream users. Thus, the imposition of anti-dumping duty would have negligible impact on the users.

S. No.	Particulars	Unit	Values
A	Standard solid detergent product	kg	1

B	Current market price of the detergent	₹ / kg	140
C	Quantity of LAB used	per kg	0.12
D	Current market price of LAB	₹ / kg	135
E	Cost of LAB used in detergent	₹	16.20
F	Percentage increase post imposition of duty	%	5%
G	Increase in cost of LAB used in detergent	₹	0.8
H	Impact of anti-dumping duty on downstream users	%	0.58%

116. Further, the domestic industry has also submitted that the prices of the ultimate downstream product, that is detergent, have not moved in line with the price of LAB and other raw materials. In this regard, the domestic industry has submitted the price movement of detergent, LAB and the other raw material, Soda Ash.

117. It is noted that the prices of detergents increased when the prices of Soda Ash and LAB increased. However, the prices of detergents remained stable when the prices of Soda Ash and LAB declined. Thus, the prices of the downstream industry have not moved in tandem with the prices of LAB and Soda Ash. In such a situation, even if the imposition of duties results in marginal increase in the price of LAB, it would have no impact on the downstream producers.

118. Some interested parties have contended that the imports are inevitable due to the demand-supply gap in India and they would be forced to pay higher price for the imports. The Authority notes that the demand-supply gap is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The imposition of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at the fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge the demand-supply gap.

119. Further, the domestic industry has submitted that the product can also be imported from other countries such as China, Indonesia, Italy, Japan, Oman, Saudi Arabia, South Korea, Spain and Thailand, along with sourcing the goods domestically. On the other hand, it is noted that there are 4 producers of the subject goods in the country. If the current situation persists, the viability of the operations of the domestic industry may be impacted. Therefore, to ensure continued availability of the domestic product, it is necessary that the domestic producers remain viable at fair prices.

120. The other interested parties have also stated that there is no rationale for imposition of duties merely six months after expiry of the anti-dumping duties. The Authority notes that the WTO Anti-dumping Agreement or the Anti-dumping Rules do not prescribe any timeline or gap period between the expiry of duties and re-imposition of duties. Further, imposition of duties pursuant to the present investigation would be almost 3 years after the expiry of previous duties, during which the domestic industry has suffered injury.

121. It has also been claimed that the size of the downstream industry is much larger than the LAB industry and it would not be fair to the downstream industry if duties are imposed. It is noted that the size of the industry cannot be factor of consideration on whether duty should be imposed or not. The Authority has noted that the domestic industry has suffered injury due to the dumped imports. Further, it is also noted that imposition of duties would have marginal impact on the costs of the downstream industry, regardless of its size.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions by other interested parties

122. The following post-disclosure comments have been made by the other interested parties:

- a. The LAB imported from Iran is of inferior quality and has consistently failed to meet BIS certification standards, leading to a complete halt in imports from Iran in the last two quarters of the POI. Any alleged injury cannot be attributed to Iranian imports.
- b. The export price for ICIIC and its exporters must be determined based on the response filed. ICIIC was unable to furnish evidence in support of claimed export price due to unforeseen border tensions. However, the exporter is willing to submit any evidence required.
- c. The adjustments to the export price must be based on response filed, to the extent verifiable.
- d. The domestic industry is not representative of actual production of LAB as it does not include the two largest producers of LAB; and also, does not include any backward-integrated producers.
- e. The Authority does not appear to have sought any information from or sent a questionnaire to RIL and IOCL, as has been done in past cases.
- f. Inclusion of RIL and IOCL is essential to provide a comprehensive and accurate evaluation of Indian industry's overall health and ensure that injury is not determined for only a subset of the industry.
- g. The Authority must re-examine the impact of imports from Saudi Arabia and Thailand and whether such imports have caused injury to the domestic industry, even if the applicants have not made any allegations in their application.
- h. There is a discrepancy in the import volumes as cited by the petitioner and that used by the Authority in the disclosure statement. While the petition showed a decline in imports from Qatar, the disclosure statement records an increase in such imports.
- i. The increase in imports from Qatar is temporary, and is a result of the implementation of the Quality Control Order for LAB, which has restricted imports from other countries.
- j. The Disclosure Statement does not contain a non-confidential summary of the domestic production share of the applicants, number of employees and PBIT. The Petitioners have not disclosed complete data in accordance with Trade Notice 10/2018. Excessive confidentiality has been claimed, and vital production and sales-related information has been withheld, limiting the ability of interested parties to respond meaningfully.
- k. Price undercutting should be examined for the period of investigation as a whole and not for each quarter.
- l. The subject imports, particularly from Qatar have not suppressed the prices of the domestic industry.
- m. Domestic industry's pricing challenges and decline in volume parameters stem from its own operation inefficiencies, since their plants are old and depreciated.
- n. There appears to be no correlation between the imports prices and the profitability of the domestic industry.
- o. The repeated submissions regarding the self-inflicted nature of the cost-price gap of the Petitioners has not been acknowledged or taken on record. Their cost of sales did not fall in line with raw material prices, while their selling prices remained artificially low due to internal market competition.
- p. The user association disagrees with the calculation presented in the Disclosure Statement on the alleged negligible impact of ADD. The cost impact is far more significant for MSME manufacturers, whose detergent prices are in the range of ₹60–₹70/kg, not ₹140/kg as assumed.

- q. With a consumption factor of 0.12 and a 10% ADD, the actual impact on the final product cost for MSME users exceeds 3.8%, making operations unsustainable for smaller manufacturers.
- r. The demand-supply gap in India is growing. With demand nearing 7,00,000 MT and limited domestic production capacity, the user industry cannot meet its needs without imports. Most alternative sources cited are unable to export to India due to BIS restrictions.
- s. While the judgement in the case of Reliance Industries Limited vs Designated Authority states that non-integrated producers should not be discriminated against, it also states that the Authority must conduct injury analysis for industry as whole.

K.2. Submissions by the domestic industry

123. The following post-disclosure comments have been made by the domestic industry:

- a. Captive inputs have not been valued at its full cost of production and instead, the lowest of the raw material and utilities, and highest utilization of capacities has been considered for determination of non-injurious price.
- b. Optimization of cost of captive inputs is beyond the scope of the provisions of Annexure – III of the Anti-dumping Rules, as well as the past practice of the Authority.
- c. In an affidavit submitted by the Authority before the Hon'ble High Court of Delhi, the Authority admitted that where captive input is transferred on cost, such cost as recorded in the books is considered for determination of non-injurious price. Similar position was taken by the Authority in the Minutes of DGTR meeting conducted on 29th December 2015.
- d. In the past, in the case of Potassium Carbonate from EU, Korea RP, China PR and Taiwan, and PTFE from Russia, the Authority considered the cost of production of captive inputs shall be based on actual records of the domestic industry.
- e. There are no inefficiencies in the utilization of the utilities over the period, as the domestic industry reduced its consumption of one utility in favour of the other, to achieve cost reduction. Such shift was made deliberately in view of availability of the utilities, market conditions, and cost effectiveness.
- f. Allowing a return of only 22% is inappropriate since plants of both the domestic industry are very old and depreciated. Further, the domestic industry achieved very high returns in the past when there was no dumping and as such, the average of returns earned in the past must be considered.
- g. Injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports and not by any other known factors.
- h. Imposition of duty would not restrict imports, and imports from subject countries can continue at fair prices, to bridge any demand-supply gap.
- i. Planned shutdowns are routine for all industries engaged in production of chemicals and allied products, such as LAB, and such shutdowns are not unique to the present period. Further, no evidence has been submitted to show that planned shutdowns in the past have created a shortage of the product.
- j. Any supply shortages caused have been due to unforeseen circumstances, which are beyond the control of the domestic industry.
- k. The downstream users, which belong to the large-scale organized sector, are not likely to be affected by the imposition of the duty, since such users were not impacted in the past as well.
- l. Imposition of duties is not likely to create any monopolistic situation in the Indian industry, since there are multiple producers. Further, no monopoly was created in the past when duties were imposed.

K.3. Examination by the Authority

124. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the interested parties. It is observed that the majority of these submissions are reiterations of arguments and contentions that have already been examined and are therefore, addressed to the extent deemed necessary in the relevant paragraphs of these final findings. For the sake of brevity, the Authority has refrained from repeating responses to such issues in this post-disclosure examination. However, any new issues raised for the first time in the post-disclosure submissions, as well as those previously addressed but deemed necessary to examine further are addressed hereunder.

125. With regards to the contention of other interested parties regarding alleged inferior quality of imports from Iran and their failure to meet BIS standards, the Authority notes that the same has already been acknowledged and addressed in the section regarding product under consideration. Therefore, the Authority does not find merit in the contention that the product imported from Iran is not comparable to that supplied by the domestic industry. Further, with respect to the contention that considering the above imports from Iran had stopped in the last two quarters and the same cannot have caused injury to the domestic industry, the Authority notes that for the purpose of injury analysis, the Authority is required to assess the impact of dumped imports over the entire POI. Further, to ensure fair temporal comparison of effect of dumped imports to the injury, the Authority has determined the dumping and injury margin for each quarter of the POI. Consequently, Iranian imports, where present, have been taken into account for the relevant period.

126. With respect to the argument of the producer from Iran and their exporters regarding consideration of their export price, the Authority notes that sufficient time and opportunity was provided to the exporters to furnish the required evidence in support of their claimed export price. Since anti-dumping investigation is a time-bound exercise, the Authority is unable to grant any more opportunities to the parties for submission of further evidence. As regards the adjustments to the export price, the Authority has made adjustments only to the extent such claims were verifiable based on the information on record, in line with the consistent practice followed in earlier investigations.

127. The contention of other interested parties that injury is caused by imports from Thailand and Saudi Arabia, the Authority notes that while no specific allegations were made in the petition regarding these countries, the Authority has conducted an assessment of the overall import situation, including price levels and volumes from non-subject countries. However, anti-dumping investigations are directed towards countries against whom *prima facie* evidence of dumping and injury is provided in the application. The current investigation has been initiated based on substantiated claims regarding the subject countries. Further, as already noted by the Authority hereinabove, the imports from Saudi Arabia and Thailand were priced above the subject imports.

128. On the representativeness of the domestic industry, the Authority notes that the petitioners meet the standing requirements under the Rules. The Authority published the initiation notification in Gazette of India and its official website for the sake of participation of all the interested parties including other domestic producers. Further, the Authority duly informed other domestic producers of the subject goods in India regarding the initiation of the present investigation. However, no submissions or responses were received from RIL and IOCL. Further, it is noted that the non-participation of other domestic producers does not invalidate the standing of the domestic industry, since their domestic production constitutes a major proportion of the total Indian production, as required under Rule 2(b) of the Rules.

129. With regard to the contention of interested parties regarding difference in import volume trend, the Authority notes that for purpose of findings, the Authority has relied on transaction wise import data from DG Systems. Therefore, slight fluctuations in the trend of import volume can be attributed to the same.

130. As regards the contention of the domestic industry regarding normation/optimization of captively produced raw material, the Authority notes that the non-injurious price is required to be determined as per Annexure-III of Anti-Dumping Rules, 1995. For determining non-injurious price, the data relating to the elements of cost of production for the period of investigation are considered. The best utilization of raw materials, utilities over the past three years and the period of investigation, which are used directly or indirectly to manufacture the product under consideration are considered to determine the cost of raw material and utilities applying the rate at period of investigation. This process is adopted in order to nullify injury, if any, caused to the domestic industry by inefficient utilization of raw materials and utilities. As far as normation/optimization of cost of captively produced raw materials is concerned, the Authority notes that the cost of all the raw materials used for PUC as well as for captively produced raw material are determined as per the methodology explained above and there is no separate methodology for determination of the cost of captively produced raw material.

131. With regards to the arguments of the other interested parties and the domestic industry concerning the return on capital employed which is to be considered for determination of NIP, it is reiterated that as per the consistent practice of the Authority, a reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) deployed for the PUC has been allowed for recovery of interest, corporate tax and profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules.

132. As regards the submission of domestic industry on efficient utilization of utilities by changing utility mix, the Authority notes that in order to determine the cost of utility, the best utilization of utilities over the past three years and the period of investigation are considered at the rate of period of investigation. This exercise is carried out based on the information/data for the period of investigation and injury period submitted by the domestic industry and duly verified by the Authority. The methodology adopted for determining efficient utilization of utility is as per the Annexure-III of Anti-Dumping Rules, 1995, which is consistently applied.

133. With respect to contention regarding self-inflicted nature of the cost-price gap of the petitioners, the Authority re-iterates that cost of sales has increased from 100 index points to 208 index points where as the selling price of the domestic industry increased from 100 index points to 153 index points which is not a commensurate increase when compared with cost of sales.

134. Submissions on excessive confidentiality and inadequate non-confidential summaries have been examined. The Authority notes that petitioners have provided non-confidential versions of the information to the extent feasible, and confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Anti-Dumping Rules have been accepted.

135. With respect to the contention of interested parties regarding demand supply gap, the Authority notes that the imposition of duty does not prohibit imports, and if there exists a demand supply gap, imports may continue at fair prices to bridge the gap. The objective is not to restrict supply, but to ensure a level playing field for the domestic producers.

136. With respect to contention regarding examination of price undercutting quarterly, the Authority notes that there were fluctuations in the prices of LAB in the POI and the Authority adopted a similar approach in the previous investigation concerning the product under consideration. Therefore, the Authority deemed it fit to examine price undercutting on quarterly basis. However, a weighted average of the quarterly price undercutting has been determined for assessing the overall price-undercutting in POI.

137. The user industry has argued that the Authority has calculated the impact of imposition of ADD on downstream product priced at Rs. 140 per kg, which is much higher than the price prevailing in the market. In this regard, the Authority notes that based on the information available and for the duty based on injury margin, the impact of such duty on the downstream product priced in the range of Rs. 60-70 per kg may also not be significant.

L. CONCLUSION

138. Based on the submissions made, information provided, and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:

- i. The scope of product under consideration is “Linear Alkyl Benzene” originating in or exported from Qatar and Iran.
- ii. The subject goods are classified under Chapter 38 of Schedule I to the Customs Tariff Act, under the dedicated tariff code 3817 0011.
- iii. The application has been filed by Nirma Limited and Tamilnadu Petroproducts Limited. The applicants constitute domestic industry, under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3).
- iv. The subject goods are exported from Qatar and Iran and the article manufactured by the domestic industry are ‘like article’ to each other in terms of Rule 2(d) of the AD Rules, 1995.
- v. The product under consideration has been exported to India at a price below the normal value, resulting in dumping. The dumping margin is above de-minimis level and significant.
- vi. The volume of subject imports has increased, in absolute terms as well as in relative terms, over the injury period.
- vii. The share of subject imports has increased in the total imports over the period. Further, the subject imports have increased at a higher rate than the increase in imports from other countries.
- viii. The subject imports in relation to production and demand (excluding captive) have increased over the injury period and declined in POI.
- ix. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry in three quarters of the period of investigation.
- x. The subject imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- xi. The production and capacity utilization of the domestic industry have declined over the injury period. As compared to the base year, the production and capacity utilization of the domestic industry declined by ***% and ***% respectively.
- xii. The sales of domestic industry have overall declined over injury period with a slight increase in the POI.
- xiii. The market share of the domestic industry declined from ***% in 2020-21 to ***% in the period of investigation. On the other hand, the market share of the subject imports has increased over the injury period.

- xiv. The average inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period, having increased by 102% as compared to 2020-21.
- xv. During the period of investigation, the profitability of the domestic industry deteriorated by 103% as compared to the base year.
- xvi. The domestic industry has also suffered deterioration in cash profits over the period.
- xvii. Imports at dumped prices have adversely impacted the growth of the domestic industry.
- xviii. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports of the subject goods from subject countries.
- xix. Imposition of anti-dumping duties are in the larger public interest.

M. RECOMMENDATIONS

- 139. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to them to provide information on aspect of injury, causal link, and impact of measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions of anti-dumping investigations as laid down under the Anti-Dumping Duty, Rules, the Authority has reached a conclusion that the duty should be imposed on subject goods. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duties on imports of the product under consideration.
- 140. Further, having regard to the conclusion reached with regard to imports of product under consideration under HS Code 3817 00 11, the Authority recommends collection of anti-dumping duties on imports of the product under consideration, falling under this code.
- 141. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below, to be issued in this regard by the Central Government for a period of 5 (five) years from the date of notification to be issued in this regard.

DUTY TABLE

S.N.	Heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3817 00 11*	Linear Alkyl Benzene [#]	Iran	Iran	Iran Chemical Industries Investment Co.	14	MT	USD
2.	-do-	-do-	Iran	Any country, including Iran	Any other than (1)	54	MT	USD

3.	-do-	-do-	Any country other than Iran and Qatar	Iran	Any	54	MT	USD
4.	-do-	-do-	Qatar	Qatar	SEEF Limited	31	MT	USD
5.	-do-	-do-	Qatar	Any country, including Qatar	Any other than (4)	62	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than Qatar and Iran	Qatar	Any	62	MT	USD

*Note—Customs classification is only indicative, and the determination of anti-dumping duty shall be made as per the description of the Product under consideration.

The product is commonly known as Linear Alkyl Benzene or LAB in the commercial parlance. The product under consideration includes mixed alkyl benzenes, and specifically excludes mixed alkyl naphthalenes.

142. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

N. FURTHER PROCEDURE

143. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act/Rules.

DAR PAN JAIN, Designation Authority